प्रहरी

शासनादेश एवं विभागीय आदेश

भाग- 6

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड

SIEMAT

व्रतेषु जागृहि

(SIEMAT)

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड

ननूरखेड़ा, देहरादून

Email: uksiemat@gmail.com Ph/Fax : 0135-2780304

Website: siemat.uk.gov.in

अनुक्रमणिका

1.	कार्यालय में समय से उपस्थिति के संबंध में	7
2.	राज्य में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय एवं उनके निरीक्षण संबंधी दिशा निर्देश	10
3.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता के मैचिंग ग्रांट योजना के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय नियोजन समिति के संबंध में	11
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रस्तर–24 के अनुपालन में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर आकलन के संबंध में	13
5.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालयों के मानकों का निर्धारण	25
6.	माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालय संवर्ग का पुनर्गठन के संबंध में	31
7.	राज्य के सभी सरकारी / सहायता प्राप्त / निजी स्कूलों में लंच / टिफिन करने से पूर्व एवं बाद में हाथ साबुन से धोने के संबंध में	35
8.	उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के संबंध में	37
9.	सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्वतः प्रकटन के संबंध में	50
10.	वाहन भत्ता अनुमन्य के संबंध में	56
11.	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभिलेखों के विनिष्टीकरण हेतु विनिष्टीकरण पंजिका के संबंध में	57
12.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–27 में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संबंध में	58
13.	वेतन समिति की संस्तुतियों में लिए गए निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के संबंध में	59
14.	उपस्थिति पंजिका का रख रखाव सुनिश्चित करने के संबंध में	60
15.	सरकारी अभिलेखों के समुचित रख रखाव के संबंध में	62
16.	दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 के संबंध में	65

17. वेतन समिति की संस्तुतियों में लिए गए निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के संबंध में 66
18. प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अर्ह मानदेय प्राप्त पी0टी0ए0 शिक्षकों के मानदेय के संबंध में 67
19. टी0ई0टी0–1 उत्तीर्ण बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यार्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के संबंध में 69
20. उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2014 के संबंध में 74
21. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 स्पष्टीकरण 75
22. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा के संबंध में 76
23. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 2014 के संबंध में 78
24. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुक्त साईकिल) योजना के संबंध में 95
25. उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की धुलाई भत्ता के संबंध में 97
26. पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू. 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के ए0सी0पी0 के संबंध में 99
27. मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 462 / 2013 प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में 101
28. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा के संबंध में 103
29. वेतन समिति की संस्तुतियों में लिए गए निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के संबंध में 105
30. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदकों से उनका विस्तृत व्यक्तिगत ब्यौरा न मांगे जाने के संबंध में 108
31. प्रदेश के कोषागारों में ई–पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश 110
32. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (2) के संबंध में 112

33.	मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भोजनमाता के चयन, कार्य से पृथक एवं कार्यदायित्वों के संबंध में	113
34.	01.01.2014 से मंहगाई भत्ता पुनरीक्षण के संबंध में	114
35.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 के संबंध में	116
36.	सामान्य भविष्य निधि (उत्तराखण्ड) नियमावली 2006 के संबंध में	120
37.	सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता में संशोधन विषयक	121
38.	कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं / विषयों के संकेतकों के संबंध में	122
39.	वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) की वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया को ई–मोड में किए जाने के संबंध में	130
40.	नकद साख सीमा (सी0सी0एल0) / जमा साख सीमा (डी0सी0एल0) की वर्तमान प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया को ई मोड में किए जाने के संबंध में	134
41.	अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अंत तक संत्रात लाभ के संबंध में	138
42.	अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि मिलान प्रकरणों को 12 माह पूर्व महालेखाकार को प्रेषित किए जाने के संबंध में	139
43.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा संशोधन नियमावली 2014 के संबंध में	140
44.	सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन योजना में ब्याज दर के संबंध में	142
45.	सामान्य भविष्य निधि से लिए गए स्थाई आहरणों / अग्रिमों के स्वीकृत आदेशों की प्रति उपलब्ध कराने विषयक	143
46.	अधिवर्षता प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्त लाभों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में	144
47.	राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में	149
48.	मौलिक रूप से प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त / पदोन्नत के संबंध में	151

49.	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–2 के उपधारा (ज) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु निर्धारित कर्तव्य संबंधी	152
50.	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा कक्षा 09 से 12 तक के लिए लागू पाठ्यक्रम की अधिसूचना के संबंध में	160
51.	भारतीय झण्डा संहिता 2002, प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग न करने के संबंध में	166
52.	रा0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 में सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के पदों को समर्पित किए जाने के संबंध में	168
53.	राज्य स्तरीय समन्वयन सह अनुश्रवण समिति के संबंध में	170
54.	उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	174
55.	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों हेतु किराए व भोजन मद की अतिरिक्त धनराशि के संबंध में	177
56.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के द्वारा कार्मिक तैनाती के संबंध में	179
57.	उत्तराखंड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2014	181
58.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एस्कार्ट / परिवहन व्यवस्था हेतु बस्तियों को अधिसूचित करने के संबंध में	199

संख्या– 478 /xxxi(13)G/2009

प्रेषक

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 30 जून 2009

विषय– कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप सभी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं नयी कार्य संस्कृति से भली भांति अवगत हैं। समयशीलता ,समयबद्धता ,पारदर्शिता,निश्चत परिणामोन्मुखी व्यवस्था, तथा वित्तीय अनुशासन नयी कार्य संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव हैं। इन अवयवों के अन्तर्गत कार्य करते हुए ही हम प्रदेश को एक स्वच्छ, पारदर्शी,संवेदनशील , समयशील एवं प्रभावी प्रशासन देने में सफल हो सकते हैं।

2. उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और सरकार की प्राथमिकताओं की ओर समय–समय पर समस्त अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। शासन की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको यह सुनिश्चित करना है कि समयशीलता एवं समयबद्धता के प्रति अधिकारीगण एवं कर्मचारी गण प्रतिबद्ध रहें । समयशीलता एवं समयबद्धता को नजर अन्दाज किये जाने से जहां एक ओर स्वच्छ, प्रभावी,संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने की गति धीमी होती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी ,संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने की वचनबद्धता को भी धक्का लगता है और शासन की छवि धूमिल होती है। अतः सभी को समयशील और समयबद्ध रहते हुए कार्यशील रहना है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु मुझे निम्नवत कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) सभी कार्यालयाध्यक्ष, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, प्रति दिन कार्यालय समय से पूर्व पहुंचें और अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में यथा समय सुनिश्चित करायें।

(2) उपस्थित पंजिका में सभी कर्मचारियों का नाम व पदनाम अंकित किया जाये तथा प्रतिदिन नामित अधिकारी प्रातः 10.15 बजे उपस्थित रजिस्टर अपने पास मंगवाकर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे और कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय हेतु यह व्यवस्था 09.45 बजे सुनिश्चित हो।

(अ) महिने में 1 दिन देर से आने पर — मौखिक चेतावनी

(ब) महिने में 2 दिन देर से आने पर — लिखित चेतावनी

(स) महिने में 3 दिन देर से आने पर — एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना।

(द) 4 या इससे अधिक दिन देर से आने पर — अनुशासनात्मक कार्यवाही का किया जाना ।

(3) कार्यालय के समय के दौरान फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्र भ्रमण का विवरण एक रजिस्टर जिसे "क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर" कहा जायेगा, में रखा जाये। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगा:–

क0 सं0	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	क्षेत्र भ्रमण पर जाने का दिनांक व समय	कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए जाना है	क्षेत्र भ्रमण से लौटने का दिनांक व समय	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

4. उपरोक्त प्रारूप में "क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर" प्रदेश के प्रत्येक कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखा जायेगा और क्षेत्र भ्रमण पर जाने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। यदि व्यक्तिगत कार्य से कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय से बाहर जाता है तो उसके लिए भी "क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर" में प्रविष्टि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कालम नं0 4 व 6 में व्यक्तिगत कार्य अंकित करना होगा। इसी प्रकार का रजिस्टर विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों द्वारा भी भरा जायेगा।

5. उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का दायित्व सभी विभागाध्यक्षों /कार्यालयाध्यक्षों का होगा।

6. शासन यह आशा करता है कि सभी अधिकारी/ कर्मचारी कार्यालय के लिये निर्धारित समय का पालन करें और जो अधिकारी /कर्मचारी इसमें ढिलाई दिखायें उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय। प्रत्येक पक्ष में जिलाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में एक तथ्यपरक ,सारगर्भित रिपोर्ट अपने मन्तव्य सहित प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

संख्या— 478 (I) /xxxi(13)G/2009तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।
1. सचिव श्री राज्यपाल ,उत्तराखण्ड ।
2. सचिव विधान सभा,उत्तराखण्ड।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संख्या– 15 /37 /XXXIV/सू0प्रौ0/2008

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादून: दिनांक 28 जनवरी, 2011

विषय– राज्य में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय एवं उनके निरीक्षण संबंधी दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं पत्रों में निम्न सीमा तक संशोधन किया जाता है:–

1. कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण, संचार उपकरण, ऑडियो–विडियो से सम्बन्धित उपकरण का क्रय ओ0ई0एम0 (OEM) अथवा ओ0ई0एम0 (OEM) के पंजीकृत एवं नामित नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स (distributors of OEM) के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा यदि निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो सम्बन्धित ओ0ई0एम0 द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि वह उपकरण की सर्विस सपोर्ट व गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

2. निरिक्षण (inspection) एवं गुणवत्ता (quality) सुनिश्चित करने हेतु विभाग तृतीय पक्ष निरीक्षण जैसे कि DGS & D अथवा NIC के माध्यम से करायेंगे;

3. विभाग निविदा प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्रय किये जा रहे उपकरण हेतु समुचित सर्विस सपोर्ट प्रदेश में उपलब्ध है तथा इस हेतु सर्विस स्तर भी परिभाषित किये जाने का सुझाव है।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 15 /37 /XXXIV/सू0प्रौ0/2008 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3- राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निवेश कुमार झा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5
संख्या /xxiv –5/2012
देहरादून दिनांक 25, अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता के मैचिंग ग्रान्ट योजना के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय नियोजन समिति का गठन किये के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 97/ XXiv–5 /2012 दिनांक 27 जनवरी,2010 में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य स्तरीय नियोजन समिति का गठन निम्नवत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1.	सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
3.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड	सदस्य
4.	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ।	सदस्य/सचिव
5.	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधिं	सदस्य
6.	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्री बी0के0जोशी, निदेशक, दून लाईब्रेरी एण्ड रिसर्च सैन्टर, देहरादून	सदस्य
8.	श्री मान गिरी गोस्वामी, से0नि0 उप शिक्षा निदेशक	सदस्य
9.	महात्मा खुशीराम पुस्तकालय, देहरादून के पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
10.	श्री वी0पी0 सिंह, सूचना अधिकारी वाडिया इन्स्टीट्यूट, देहरादून	सदस्य
11.	श्री अजय कुमार सुमन, इन्दरा गॉधी नेशनल फॉरिस्ट एकेडमी, एफ0आर0आई0,न्यू0 फॉरिस्ट, देहरादून	सदस्य
12.	श्री वी0के0 पाण्डे, पुस्तकालयाध्यक्ष, आई0आई0पी0 देहरादून	सदस्य

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या 219 (1)./xxiv–5/2012, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता।
5. अध्यक्ष, राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता।
6. श्री वी0के0जोशी, निदेशक, दून लाईब्रेरी एण्ड रिसर्च सैन्टर, देहरादून ।

7. डा0 बहादुर सिंह बिष्ट, प्राचार्य, रा0एम0बी0पी0जी0 कालेज, हल्द्वानी नैनीताल।
8. श्री पान गिरी गोस्वामी, से0नि0 उप शिक्षा निदेशक, अशोक विहार, बरेली रोड, हल्द्वानी नैनीताल।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, महात्मा खुशीराम पुस्तकालय, देहरादून।
10. श्री वी0पी0 सिंह, सूचना अधिकारी वाडिया इन्स्टीट्यूट, देहरादून
11. श्री अजय कुमार सुमन, इन्दरा गाँधी नेशनल फॉरिस्ट एकेडमी, एफ0आर0आई0 न्यू फॉरिस्ट, देहरादून।
12. श्री वी0के0 पाण्डे, पुस्तकालयाध्यक्ष, आई0आई0पी0 देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

सं0–824/XXIV(1)/2013–824/2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2–राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद,
उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक: 22 जनवरी, 2013

विषयः–शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रस्तर–24 के अनुपालन में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर के आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1336/पैडा0–1/एल0एल0ए0/2012–13 दिनांक 14–08–2012 एवं संख्या–रा0प0नि0/1754/पैडा0–1/एल0एल0ए0/2912–13 दिनांक 24–9–2012 तथा संख्या–रा0प0नि0/1818/पैडा0–1/एल0एल0ए0/2912–13 दिनांक 9–10–2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रस्तर–24 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य में प्रारम्भिक स्तर पर विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर (Learning Level)प्राप्त करने एवं पूरक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित कार्य योजना सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रस्तर–24 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य में प्रारम्भिक स्तर पर विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने एवं पूरक शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्धारित कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

01– राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के पश्चात् विद्यालयों में प्रारम्भिक स्तर तक (कक्षा 1 से 8 तक) बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गयी हैं तथा साथ ही प्रारम्भिक कक्षाओं में किसी भी बच्चे को एक शैक्षिक वर्ष से अधिक उसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा। किसी भी बच्चे को अंकों के आधार पर किसी कक्षा में नहीं रोका जायेगा तथा शैक्षिक सत्र में प्रवेश हेतु कोई समय सीमा नहीं रखी जायेगी। अधिनियम में व्यवस्था दी गयी है कि विद्यालयों में देर से प्रवेश लेने या अधिक आयु वाले बच्चों को आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा तथा विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से आयु विशेष कक्षा के लिए तैयार किया जायेगा। प्रत्येक बच्चे की अपेक्षित अधिगम की सम्प्राप्ति सुनिश्चित हो सके इस हेतु बाल केन्द्रित गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण की व्यवस्थायें राज्य स्तर पर की गई हैं।

विभागीय स्तर पर देखे गये परिणामों एवं बाह्य संस्थाओं के सर्वेक्षण के आंकड़े प्रदर्शित करते है कि प्रारम्भिक स्तर पर विषयगत सम्प्राप्तियों का अधिगम स्तर अभी भी विशेषतः भाषा एवं गणित में अत्यधिक न्यून है। अधिनियम की धारा 24(1)D में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता भिन्न–भिन्न होती है। इसलिए एक निर्धारित समय एवं औपचारिक कक्षा शिक्षण मे अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों के लिए पूरक शिक्षण की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार हो सके। प्रत्येक विद्यालय के सभी छात्रों के अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम की धारा 24 में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों में बच्चों के आंकलन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनायी जाय। प्रदेश में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है तथा यथाशीघ्र एक प्रक्रिया को अन्तिम रूप देकर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में लागू किया जायेगा। यद्यपि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में मुख्यतः Formative Assesment को आधार बनाया गया है लेकिन Summative Assesment (मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन) के आधार पर मूल्यांकन को पूर्णतः नकारा नहीं गया है। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है जो कि विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर के साथ–साथ पूरक शिक्षण सम्बन्धी कार्य योजना को निरन्तर क्रियान्वित कर गतिशील रखे।

अधिनियम की धारा 29 में निर्धारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के मानकों पर नजर डाले तो यह भी क्रमश संवैधानिक मूल्यों के साथ सुनिश्चितता, बच्चों के ज्ञान एवं क्षमता का सर्वांगीण विकास, जहाँ तक सम्भव हो बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण कार्य, बच्चों को सभी प्रकार के डर भय, परेशानी से मुक्त रखना एवं उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने की बात की गई है इसके अतिरिक्त बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू करने की बात की गई है ताकि उनके द्वारा ज्ञान एवं समझ का अधिकाधिक उपयोग करते हुए अपने दैनिक जीवन में इसका क्रियान्वयन कर सके। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में न सिर्फ सिखाये गये ज्ञान का मूल्यांकन हो बल्कि बच्चों के परिवेशीय, परिवारिक पृष्ठभूमि एवं अन्य भौलिक ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाय।

02–औचित्य एवं आवश्यकता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रत्येक विद्यार्थी की सतत् एवं व्यापक स्तर पर अधिगम सम्प्राप्ति हेतु निरन्तरता तथा पूरक शिक्षण के क्षेत्रों की पहचान कर बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर से नीति निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि विधार्थियों के शैक्षिक अधिगम सम्प्राप्ति के प्रति राज्य के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के साथ–साथ अकादमिक संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही, निर्धारित की जा सके। इस पद्धति द्वारा जहाँ एक ओर शिक्षकों एवं सम्बन्धित संस्थाओं के मूल्यांकन का आधार क्रमशः विधार्थियों, विद्यालय एवं जनपदों के शैक्षिक सम्प्राप्ति पर निर्धारित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य में समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष राज्य के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर के आंकलन एवं स्तर का भी पता चलता रहेगा तथा तद्नुरुप सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

उक्त के आलोक में जब तक सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्णत लागू नही हो जाती है प्रदेश में प्रारम्भिक स्तर के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण

शिक्षण–अधिगम सुनिश्चित हो सके एवं उनका अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है, जिसे कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू होने पर इस प्रक्रिया का एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।

03–प्रस्तावित कार्ययोजना :

प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन/आंकलन प्रत्येक विद्यालय में दो चरणों में किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कर सके।

- अधिगम स्तर का आंकलन राज्य स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं हेतु कक्षानुसार हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं हमारा परिवेश विषयों के लिए निर्धारित संकेतकों/सम्बोधों के आधार पर किया जायेगा जो कि समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिगम स्तर का आंकलन अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषय में विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे निर्धारित संकेतकों/सम्बोधों के आधार पर किया जायेगा।
- प्रथम चरण में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों एवम् विद्यालय का स्वःमूल्यांकन अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह तक किया जायेगा जिसके लिए दिये गये संकेतकों के अनुरूप टूल विद्यालय स्तर पर ही बनाया जायेगा। इस प्रकार किये गये मूल्यांकन/आंकलन के बाद शिक्षक के द्वारा स्वयं विद्यालय को रेटिंग स्केल पर किसी एक ग्रेड पर रखा जायेगा। इसके लिए बच्चों के अधिगम स्तर के परिणामों का 80% तथा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का 20% सम्मिलित किया जायेगा।
- प्रथम चरण के मूल्यांकन के समय इस वर्ष के लिए 30% Formative तथा 70% Summative assessment किया जायेगा तथा अगले वर्ष से पूर्णतः सी0सी0ई0 पर आधारित assessment किया जायेगा। Summative assessment में 50% सम्बोध विगत वर्ष के तथा 50% सम्बोध वर्तमान वर्ष के रखे जायेंगे।
- भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से सम्बन्धित टूल राज्य स्तर से SPO/SCERT/DIET के समन्वयन से तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वःमूल्यांकन का विश्लेषण शिक्षक के द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों को पुनः उनके स्तर के अनुरूप सूचीबद्ध किया जायेगा। इस प्रकार सूचीबद्ध किये गये बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय 31 जनवरी तक दिन प्रतिदिन के आधार पर सुधारात्मक उपाय करेंगे। पूरक शिक्षण विद्यालय समयावधि में कक्षा अन्य बच्चों के साथ ही सम्पन्न कराया जाएगा तथा समय–समय पर बच्चे की प्रगति को निर्धारित प्रपत्र/पंजिका में दर्शाया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय की ग्रेडिंग एवं प्रत्येक विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले तथा न कर सकने वाले विद्यार्थियों का संख्यात्मक विवरण ABCD एवं E Scale संकुल समन्वयक को 03 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रथम चरण के मूल्यांकन के बाद संकुल स्तर पर सभी विद्यालयों की रेटिंग/ग्रेडिंग शिक्षा विभाग के वेब.पोर्टल/डाटा बेस पर संकुल समन्वयक के द्वारा 03 दिन में अपलोड/अंकित की जायेगी जिसका विश्लेषण जनपद स्तर पर DIET के द्वारा तथा राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जायेगा। राज्य स्तर पर किए गए

विश्लेषण की आख्या तैयार कर महानिदेशक शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। जब तक विभागीय वेब पोर्टल तैयार नहीं होता है तब तक डाटा बेस प्रारूप तैयार कर सम्बन्धित स्तरों पर ऑफ लाइन डाटा अंकित किया जाएगा।

- प्रथम चरण में किये गये स्वःमूल्यांकन के बाद द्वितीय चरण का मूल्यांकन 03 माह बाद अन्य विभागों के समन्वयन से सी0आर0सी0/ब्लॉक रिसोर्स पर्सन/समस्त शिक्षा अधिकारी/डायट प्राचार्य एवं प्रवक्ता/सीमैट/एस0पी0ओ0/शिक्षा निदेशालय/एस0सी0ई0आर0टी0 के अधिकारियों एवं अन्य शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित अभिकर्मियों के द्वारा किया जायेगा।
- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के लिए टूल SCERT/SPO/DIET द्वारा विकसित किया जायेगा तथा मूल्यांकन में सम्मिलित किये जाने वाले समस्त अधिकारियों/अभिकर्मियों को प्रक्रिया की जानकारी के लिए एक दिन का अभिमुखीकरण (Orientation)/Briefing की जायेगी।
- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के लिए संकुल समन्वयक द्वारा संकुल स्तर के समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन किया जायेगा। अधिगम स्तर के आंकलन के लिए प्राथमिकता के आधार पर A एवं E श्रेणी में रखे गये बच्चों का मूल्यांकन अवश्य किया जायेगा।
- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन 10%/विद्यालयों तथा जनपद स्तर से (DIET, DPO, DEO, CEO) 5% विद्यालयों का संकुल समन्वयक के मूल्यांकन/आंकलन के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करेंगे। राज्य स्तर से SIEMAT, SPO, SCERT, Director School Education के द्वारा प्रत्येक जनपद में 10 विद्यालयों का मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए परस्पर जनपदों/विद्यालयों का आवंटन किया जायेगा जिससे सभी जनपदों में विद्यालयों का परीक्षण किया जा सके। डायट हेतु द्वितीय चरण के मूल्यांकन/आंकलन का कार्य उनके विभागीय मूल कार्यों के अतिरिक्त होगा।
- मण्डल स्तर पर भी मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक आकस्मिक रूप से विद्यालयों में अध्यापक के द्वारा किये गये स्वःमूल्यांकन एवं उसके बाद किये गये सुधारात्मक उपायों के आंकलन के लिए द्वितीय चरण के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।
- निदेशालय स्तर से निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक भी इस मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।
- शासन स्तर से प्रमुख सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा एवं अपर सचिव भी द्वितीय चरण के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वितीय चरण के मूल्यांकन अवधि में डायट/संकुल समन्वयकों/ब्लॉक समन्वयकों/शिक्षा अधिकारियों के समन्वयन से सुविधानुसार विद्यालयों का मूल्यांकन करेंगे।
- प्रत्येक स्तर तक एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा विकसित एवं शासन द्वारा अनुमोदित टूल तथा आंकलन प्रारूप सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन के टूल दो वर्षों तक सम्बन्धित विद्यालयों में सुरक्षित रखे जायेंगे।
- द्वितीय चरण के मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को संकुल समन्वयक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन की तिथि को ही विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड /डाटा बेस तैयार करना होगा।

- किसी भी स्तर पर विलम्ब किये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।
- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के परिणाम अपलोड होने पर राज्य MIS Cell के द्वारा SCERT/SPO के समन्वयन से राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जायेगा। द्वितीय चरण के मूल्यांकन के परिणामों की तुलना स्वमूल्यांकन के परिणामों से की जायेगी तथा द्वितीय चरण के मूल्यांकन को वरीयता देते हुए विद्यालय को ग्रेडिंग/रेटिंग दी जायेगी।
- राज्य स्तर पर किए गए विश्लेषण के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग आख्या को प्रकाशित किया जाएगा तथा उक्त आख्या समस्त विद्यालयों, संकुल, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर वितरित की जाएगी।
- द्वितीय चरण के मूल्यांकन के समय विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित अध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों एवं शैक्षिक संस्थानों को सुधार हेतु उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सम्बन्धित विद्यालय दिए गए सुझावों के आधार पर विद्यालय विकास योजना तैयार कर सुधार हेतु कार्य करेंगे।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर का साझा (Sharing) विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं अभिभावकों के साथ-साथ विभागीय अभिकर्मियों/अधिकारियों (संकुल/ब्लॉक समन्वयकों, डायट एवं राज्य स्तर पर उच्चाधिकारियों) के साथ अनिवार्यतः किया जायेगा।
- प्रथम एवं द्वितीय चरण के मूल्यांकन/आंकलन हेतु आवश्यक एवं प्रासंगिक दिशा निर्देश समयान्तर्गत सभी स्तरों पर प्रसारित किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा का होगा।

04– शैक्षिक सत्र में अधिगम स्तर आकलन हेतु समय सारणी का विवरण प्रस्तर–10 में उल्लिखित किया गया है।

05– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कार्य विभाजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रधानाध्यापकों के कार्य एवं दायित्व, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में अध्यापकों के कार्य एवं दायित्व, कक्षानुसार शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु विषयानुसार संकेतक एवं कक्षानुसार शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु विषयानुसार संकेतक भी संलग्न कर उपलब्ध कराये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कार्य विभाजन</u>

क्र0सं0	विवरण	उत्तरदायित्व
01	विषय आधारित संकेतकों के आधार पर विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन।	अध्यापक/प्रधानाध्यापक
02	स्वमूल्यांकन के विश्लेषण के आधार पर पूरक शिक्षण की व्यवस्था संकुल के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों का स्वमूल्यांकन डाटाबेस तैयार कर डायट को उपलब्ध कराना।	संकुल समन्वयक
03	डाटा बेस का जनपद स्तर पर विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार करना।	डायट/डी0आर0सी0
04	डाटा बेस का विश्लेषण के आधार पर पूरक शिक्षण हेतु कार्ययोजना एवं सी0आर0सी0/बी0आर0सी0 को आवश्यक अनुसमर्थन।	डायट/सी0आर0सी

05	डाटा बेस का राज्य स्तर पर विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार करना।	एस0सी0ई0आर0टी0
06	जनपद स्तर पर विद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण।	सी0डी0ओ0,डी0ई0ओ0,बी0ई0ओ0, डायट,बी0आर0सी0,सी0आर0सी0
07	द्वितीय चरण का मूल्यांकन हेतु टूल निर्माण।	एस0सी0ई0आर0टी0
08	द्वितीय चरण के मूल्यांकन हेतु टूल मुद्रण एवं वितरण।	सर्व शिक्षा अभियान
09	राज्य स्तर पर मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन एवं शेयरिंग।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं एस0एस0ए0
10	राज्य स्तर पर अनुश्रवण निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, एस0एस0ए0, स0सी0ई0आर0टी0

06— शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रधानाध्यापकों के कार्य एवं दायित्व

प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयों में निम्नलिखित कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे :—

1. प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिये गये प्राविधानों के तहत समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक बुलायेंगे तथा इस बैठक में बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति आदि की आवश्यक जानकारी, माता–पिता/अभिभावक को देंगे तथा छात्र की प्रगति में सहयोग पर चर्चा करेंगे।
2. प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, अध्यापकों, छात्रों, परिसम्पत्तियों, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्तियाँ आदि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव करेंगे/करवायेंगे तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति, उच्चाधिकारियों आदि द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
3. सभी अध्यापकों के मध्य उनकी योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप समयसारिणी सहित कार्य वितरण करेंगे।
4. समय–समय पर आहूत बैठकों तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।
5. विद्यालय में उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का छात्रहित में अधिकतम उपयोग करेंगे।
6. उच्चाधिकारियों से समन्वयन स्थापित करेंगे।
7. विद्यालय की समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे तथा पारदर्शिता से कार्यों का निर्वहन करेंगे।
8. प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण–पत्र प्रदान करेंगे।

07—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में अध्यापकों के कार्य एवं दायित्वः—

विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु अध्यापक निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व सम्पादित करेंगे:

1. स्कूल में नियमित रूप से, समय की पाबंदी के साथ अपनी उपस्थिति बनाये रखेंगे।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खण्ड 29 उपखण्ड 2 के प्राविधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलायेंगे तथा पूरा करेंगे।
3. निर्दिष्ट समयावधि में समूचा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
4. हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आंकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करेंगे।

5. माता–पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करेंगे ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।
6. विद्यालय स्तर पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति/गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समस्त शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक का होगा।
7. विद्यालय में बच्चों के अधिगम स्तर के नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा कक्षाध्यापक/विषयाध्यापकों का होगा। तद्नुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।
8. प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन/आकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होगा। यह आकलन प्रत्येक बच्चे हेतु सतत् एवं व्यापक होगा। ऐसे बच्चों जो कि अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी माना जायेगा।
9. प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख व्यवस्थित करेगा जो कि अधिनियम की धारा–30 की उपधारा–2 में वर्णित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का आधार होगा।
10. अध्यापक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स तथा टी0एल0एम0 विकसित करने हेतु संकुल संसाधन केन्द्र/विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों को निरन्तर बाधित किये बिना प्रतिभाग करेगा।
11. कोई भी अध्यापक बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चे को शारीरिक दण्ड तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं करेगा।
12. प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।
13. एक शैक्षिक सत्र में 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घण्टे (Instructional hours) विद्यालय संचालित करना होगा।
14. प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घण्टे, जिसके अन्तर्गत् तैयारी घण्टे भी सम्मिलित हैं, शिक्षण कार्य करना होगा।
15. किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
16. बच्चों में अपेक्षित मानव मूल्यों को विकसित करेगा।
17. शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा।
18. कोई भी अध्यापक प्राईवेट टयूशन में संलिप्त नहीं होगा।
19. बच्चे में संविधान के निहित मूल्यों का विकास करेगा।
20. बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम् सीमा तक विकास करेगा।
21. बाल केन्द्रित तथा बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करेगा।
22. बच्चे को भय, सदमा और चिन्तामुक्त वातावरण देगा तथा उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनायेंगे।
23. बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन करेंगे।
24. आवश्यक होने पर बच्चे को उसकी मातृभाषा में पाठ समझायेंगे।
25. इसके अतिरिक्त जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा उसका निर्वहन करेंगे।

5. माता–पिता या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करेंगे ताकि बच्चों की उपस्थिति की नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और आवश्यक जानकारी उन्हें दी जा सके।
6. विद्यालय स्तर पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति/गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समस्त शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक का होगा।
7. विद्यालय में बच्चों के अधिगम स्तर के नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा कक्षाध्यापक/विषयाध्यापकों का होगा। तद्नुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।
8. प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन/आकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होगा। यह आकलन प्रत्येक बच्चे हेतु सतत् एवं व्यापक होगा। ऐसे बच्चों जो कि अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी माना जायेगा।
9. प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख व्यवस्थित करेगा जो कि अधिनियम की धारा–30 की उपधारा–2 में वर्णित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का आधार होगा।
10. अध्यापक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण मॉडयूल्स तथा टी0एल0एम0 विकसित करने हेतु संकुल संसाधन केन्द्र/विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों को निरन्तर बाधित किये बिना प्रतिभाग करेगा।
11. कोई भी अध्यापक बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चे को शारीरिक दण्ड तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं करेगा।
12. प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।
13. एक शैक्षिक सत्र में 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घण्टे (Instructional hours) विद्यालय संचालित करना होगा।
14. प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घण्टे, जिसके अन्तर्गत् तैयारी घण्टे भी सम्मिलित हैं, शिक्षण कार्य करना होगा।
15. किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
16. बच्चों में अपेक्षित मानव मूल्यों को विकसित करेगा।
17. शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा।
18. कोई भी अध्यापक प्राईवेट टयूशन में संलिप्त नहीं होगा।
19. बच्चे में संविधान के निहित मूल्यों का विकास करेगा।
20. बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम् सीमा तक विकास करेगा।
21. बाल केन्द्रित तथा बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करेगा।
22. बच्चे को भय, सदमा और चिन्तामुक्त वातावरण देगा तथा उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनायेंगे।
23. बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरन्तर मूल्यांकन करेंगे।
24. आवश्यक होने पर बच्चे को उसकी मातृभाषा में पाठ समझायेंगे।
25. इसके अतिरिक्त जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा उसका निर्वहन करेंगे।

26. उपर्युक्त कार्यों को करने में यदि कोई शिक्षक चूक करता है या उन्हें पूरा नहीं करता है तो उस पर लागू होने वाले सेवानियमों के तहत उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

08— उक्त व्यवस्था अगले शैक्षिक सत्र 2013—14 से लागू होगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2012—13 के शेष अधिगम स्तर का आंकलन बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के परस्पर परामर्श के उपरान्त इस भाँति करवायेंगे कि अगले शैक्षिक सत्र 2013—14 के प्रारम्भिक महीनों में यह प्रकिया प्रारम्भ हो जाय।

09— कक्षानुसार शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु विषयानुसार संकेतक

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन.
1	• वर्णमाला अ से ज्ञ तक पढ़ना, लिखना एवं बोलना। • छोटी—छोटी कविता सुनाना। • अ तथा आ की मात्रा के दो अक्षरों के शब्दों को पढ़ना, लिखना।	• 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना, गिनना एवं लिखना। • एक अंकीय संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना। • 1 से 100 तक के सिक्कों तथा नोटों की पहचान।	• A to Z तक की वर्णमाला को बोलना, लिखना एवं पहचानना। • अंग्रेजी की छोटी कविताओं को सुनाना।	• परिवेश के फल, सब्जी, फूलों, पशु—पक्षी, पेड़— पौधों के नाम बताना।
2	• मात्राओं की पहचान। • विभिन्न मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ना एवं लिखना। • कहानी एवं कविता सुनाना। • वाक्यों में शब्दों को पहचानना। • पाठ्यपुस्तक के पाठों का वाचन करना।	• 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना। • इकाई, दहाई एवं सैकड़े के रूप में संख्याओं लिखना एवं पढ़ना। • सम एवं विषम संख्याओं को लिखना पढ़ना एवं पहचानना। • तीन अंकीय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना (हासिल सहित)। • 1 से 10 तक के पहाड़े बोलना, पढ़ना एवं लिखना। • स्थानीय वस्तुओं की ज्यामितीय आकृतियों की पहचान।	• A to Z तक की वर्णमाला को बोलना, लिखना एवं पहचानना। • अंग्रेजी की कविताओं को सुनाना। • Action word (Come in, Sit Down, Thank you, Welcome) को बोलना एवं समझना। • Fruits, Vegetable, Flowers, Birds, Animals आदि के पाँच—पाँच नाम सुनाना। • छोटे—छोटे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना एवं लिखना।	• बच्चों के घर परिवार नाते—रिश्तों, विद्यालय परिवेश के बारे में जानकारी। • गाँव एवं अपने आस—पास की जानकारी रखना।
3	• छोटे—छोटे श्रुतिलेख लिखना। • वाक्यों का निर्माण करना। • पाठ्यपुस्तक के पाठों को पढ़ना। • छोटे वाक्यों की कहानी एवं कविता लिखना।	• चार अंकीय संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना। • स्थानीय मान निकालना। • चार अंकीय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना। • दो अंकीय संख्याओं	• किताब में दिये गये पाठों को पढ़ना। • अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम अंग्रेजी में पूर्ण वाक्य के साथ बताना। • किताब में दिये गये शब्दों के अर्थ बताना।	• आस—पास के पेड़—पौधों, वन, जल, कृषि आदि के बारे में जानकारी। • भोजन एवं

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन
	• छोटे संयुक्ताक्षर लिखना एवं पढ़ना। • लोकगीत एवं स्थानीय कहानियों को सुनाना।	का गुणा एवं भाग। • 1 से 15 तक पहाड़ों को बोलना एवं लिखना। • समान हर वाली भिन्नों का जोड़ एवं घटाना। • रुपये, पैसों का जोड़। • ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप।	• सप्ताह के दिनों, महीनों के नाम अंग्रेजी में लिखना एवं बोलना। • Fruits, Vegetable, Flowers, Birds, Animals आदि के पाँच–पाँच नाम लिखना एवं पढ़ना।	मौसम की जानकारी। • पानी एवं वर्षा जल के उपयोग एवं संरक्षण की जानकारी। • व्यक्तिगत एवं विद्यालय की स्वच्छता। • स्थानीय त्यौहार एवं मेलों की जानकारी।
4	• पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकों को सस्वर पढ़ना। • चित्रों को देखकर वाक्य निर्माण करना एवं लिखना। • कविता एवं कहानी बनाना, सुनाना एवं लिखना। • सुलेख एवं श्रुतिलेख लिखना। • विलोम एवं समानार्थी शब्दों की जानकारी। • विभिन्न शीर्षकों पर 10 वाक्यों का निबन्ध लिखना।	• पाँच अंकीय संख्याओं को लिखना, पढ़ना, जोड़, घटाना (हासिल सहित)। • चार अंकीय संख्याओं का गुणा, गुणक एवं गुणनफल। • चार अंकीय संख्याओं का भाग, भाजक, भाज्य, शेषफल एवं भागफल। • भिन्नों का जोड़। • रुपये पैसे का जोड़। • मापन– लंबाई, वजन का जोड़ एवं घटाना। • समय का जोड़ एवं घटाना। • वृत्त एवं कोण की समझ। • आँकड़ों का ज्ञान। • 1 से 15 तक के पहाड़े सुनाना एवं लिखना।	• पाठ्यपुस्तक को पढ़ना। • Noun and Verb का ज्ञान। • अंग्रेजी के छोटे–छोटे वाक्य बनाना। • Parts of Body के बारे में जनना व लिखना। • अंग्रेजी में छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना।	• पेड़–पौधों और जीव–जन्तुओं में सम्बन्धों एवं उपयोगिता की जानकारी। • भोजन, स्वच्छता एवं प्रदूषण के बारे में जानकारी। • यातायात एवं संचार के संसाधनों की जानकारी। • राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों की जानकारी। • स्थानीय मेलों, त्यौहारों, रीति–रिवाजों की जानकारी।
5	• पुस्तक का प्रवाह के साथ सस्वर वाचन करना। • सामान्य शीर्षकों पर अनुच्छेद लिखना।	• 6 से 8 तक के अंकों की संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की विधि को	• Cursive Writing • Small Paragraph • Poem, Song, Story, को बोलना एवं लिखना।	• परिवार, वृक्ष, प्रवास, पलायन एवं पुर्नवास की जानकारी।

कक्षा	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	परिवेशीय अध्ययन
	• सुलेख, श्रुतिलेख, पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना। • पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों को पहचानना एवं वाक्य निर्माण करना। • सरल मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य निर्माण करना। • पूर्ण विराम, अर्द्ध विराम, प्रश्न वाचक चिह्नों का प्रयोग एवं जानकारी। • चित्रों, घटनाओं पर निबन्ध लिखना। • कहानी, कविता बनाना।	जानना। • भिन्नों का जोड़ना, घटना, गुणा एवं भाग। • दशमलव का जोड़ घटाना। • भिन्नों का दशमलव एवं दशमलव का भिन्न में परिवर्तन करना। • घन, घनाभ, बेलन, शंकु के शीर्ष एवं तलों की जानकारी। • वृत्त एवं कोण का निर्माण करना।	• पाठ्यपुस्तक को पढ़ना। • Noun and Verb का प्रयोग करना। • अंग्रेजी की छोटी कहानियां लिखना। • अंग्रेजी मे छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। • Parts of Speech, opposite words, Simple translation. • किसी विषय पर अंग्रेजी में निबंध लिखना। • विद्यालय एवं स्थानीय वस्तुओं का अंग्रेजी में नाम बोलना एवं लिखना।	• जल एवं जंगल का संरक्षण एवं उपयोग। • आपदा की जानकारी एवं उसके बचाव। • पोषण एवं कुपोषण की जानकारी। • सिंचाई के साधनों की जानकारी। • जैविक एवं अजैविक कूड़े के निस्तारण की जानकारी। • सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग की समझ। • संचार के तरीकों, ई-मेल, एस0एम0 एस0 आदि की जानकारी। • स्थानीय रीति रिवाजों एवं त्यौहारों की जानकारी।

10—शैक्षिक सत्र में अधिगम स्तर आकलन हेतु समय सारणी

क्रम सं0	कार्यक्रम	समयावधि
	प्रथम चरण	
01	अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन	15 अक्टूबर तक
02	अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन के प्रारूप का संकुल स्तर पर उपलब्ध कराना एवं डाटा बेस तैयार करना।	20 अक्टूबर तक
03	संकुल समन्वयक द्वारा समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन कर डाटा बेस डायट को उपलब्ध कराना	30 अक्टूबर तक
04	जनपद स्तर पर डायट द्वारा स्वमूल्यांकन का विश्लेषण एवं डाटा बेस तैयार करना ।	10 नवम्बर तक
05	राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा स्वमूल्यांकन का विश्लेषण एवं डाटा बेस तैयार करना ।	30 नवम्बर तक
06	अध्यापकों द्वारा पूरक शिक्षण	15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक
	द्वितीय चरण—पर्यवेक्षण मूल्यांकन/आंकलन	
01	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा आंकलन हेतु टूल एवं प्रारूप तैयार करना।	30 अक्टूबर तक
02	संकुल समन्वयक द्वारा समस्त विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
03	विकास खण्ड स्तर द्वारा दस प्रतिशत विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
04	जनपद स्तर द्वारा पाँच प्रतिशत विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन करना।	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
05	मण्डल स्तर द्वारा पाँच—पाँच विद्यालयों का मूल्यांकन/ आंकलन	15 जनवरी से 15 फरवरी तक
06	राज्य स्तर द्वारा प्रत्येक जनपद के 10 विद्यालयों का मूल्यांकन/आंकलन	15 जनवरी से 28 फरवरी तक
07	प्रत्येक स्तर पर किए गए मूल्यांकन/ आंकलन की डाटा बेस अंकना	मूल्यांकन के अन्तिम दिन।
08	जनपद एवं राज्य स्तर द्वारा द्वितीय चरण के आंकलन का विश्लेषण	31 मार्च तक
09	द्वितीय चरण के आंकलन के आधार पर विद्यालय प्रबन्धन समिति,संकुल, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर ग्रेडिंग शेयरिंग	30 अप्रैल तक
10	अध्यापकों द्वारा द्वितीय मूल्यांकन के आधार पर पूरक शिक्षण	01 अप्रैल से 25 मई तक
11	राज्य स्तर द्वारा विश्लेषण के पश्चात आख्या का प्रकाशन	30 जून तक

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संo- (i)/XXIV(1)/2013-824/2012 तद्दिनॉंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

2-निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

3-निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4-निदेशक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर।

5-अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कूमायूँ मण्डल।

6-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0)।

7-समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

8-राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।

9-गार्ड फाइलं

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

प्रेषक, 									संख्या– 40 /XXIV-5/ 2012

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मा0 शिक्षा अनुभाग– 5 							देहरादूनः दिनांक 28 जनवरी, 2013

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालयों के मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 4905/पुस्तकालय/ढॉचा/2011–12 दिनांक 28 अप्रैल,2011 एवं वेतन विसंगति समिति के 14 वें प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 296/XXVii(7)40(14)/2011, दिनांक 13 दिसम्बर,2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित पुस्तकालयों का संग्रहण, पुस्तकालयों द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाएँ, कम्प्यूटर के आधार पर पुस्तकालयों को अंक प्रदान करने की व्यवस्था के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर पुस्तकालय श्रेणी का निर्धारण करते हुये निम्नानुसार वर्तमान में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालयों तथा इन पुस्तकालयों में सृजित किये जाने वाले पदों हेतु मानक निर्धारण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) **पुस्तकालयों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित मानक**

I	संग्रहण	मात्रा	अंक	अधिकतम अंक
1.	पुस्तकों का कुल संग्रहण	1–10000	1	10
2.	वर्ष में प्राप्त पुस्तकें	1–150	1	10
3.	वर्ष में प्राप्त कमिक शीर्षक (समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं सहित)	1–50	1	10
4.	पुस्तकेत्तर सामग्री (पांडुलिपि, फिल्मस, फोटोग्राफ्स, नक्शे, स्लाईड्स, आडियों, रिकार्डस और टैप्स, वीडियों टेप्स/कैसिट्स, कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए टैप्स, सी.डी.आर.आ.एम. माईक्रोफिल्म/माईक्रोफिश, पेन्टिंग्स, . ड्राइंग्स आदि)	1–1000	1	10

(टिप्पणी:– यदि एक ही पुस्तक, शीर्षक आदि की अधिक प्रतियों ली गई है तो उनकी अधिकतम मात्रा 5 तक ली जा सकती है।)

II	**सेवाएँ**			
5	उधार (दैनिक)	1–50	1	
6.	अन्तः पुस्तकालय उधार (मासिक)	1–50	1	
7.	फोटो कॉपिया (मासिक) (प्लेन पेपर्स, ब्रोमाइड प्रिन्टस,स्लाईड्स,माइक्रोफिल्मस) प्रयोगकर्ताओं को दस्तावेजों आदि की दी गई फोटो कापियों को ही हिसाब में लिया जाय।	100–10000	1	10
8.	संदर्भ पूछताछ	1–50	1	5
9.	पुस्तकालय में प्रयोगकर्ताओं की संख्या (दैनिक)	1–50	1	5
10.	सूचीकरण (मासिक)(अवधिक लेखों, प्रोसिडिंग्स और रिपोर्टो का सूचीकरण तथा संचित सूचीकरण कार्य)	100–300	1	
11.	सारांशीकरण (मासिक)(आवधिक लेखों, प्रोसिडिंग्स , रिपोर्टो के सारांश तैयार करना तथा सेकण्ड्री श्रोतों से सारांशों का चयन,इन सारांशों का फाईल करना परिचालन करना और मास्टर कापी तैयार करना)	50–150	1	
12.	समाचार पत्र की कतरनें तथा सूचीकरण (दैनिक)	10–50	1	
13.	सूचना का चयनित प्रसार (एस.डी.आई.)	1–15	2	
III	**बजट**			
14.	पुस्तकालय की संसाधन सामग्री और उपस्कर के लिए वार्षिक बजट	1–50000	1	10
IV	**प्रकाशन (उदाहरण सहित)**			
15.	साप्ताहिक / पाक्षिक	1	3	
16.	मासिक / तिमाही	1	2	
17.	छमाही / वार्षिक	1	1	
V	**कम्प्युटर प्रयोग**			
18	पुस्तकालय सम्बन्धी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण			

(आदेश और अधिग्रहण –1 वर्तमान सामग्री कैटालॉगिंग–1 अनुदर्शी कैटालॉगिंग–1, सीरियल्स नियंत्रण–1, पुस्तकालय सांख्यिकी और एम.डी.पी–1, एस.डी.आइ.–2, परिचालन–1, सूचीकरण, सारांशीकरण–1, डी टी पी–1)।

नोटः– पुस्तकालय का वर्ग उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। पुस्तकालय के लिए न्यूनतम अर्हक अंक पांच है। वर्गीकरण के लिए अंकों की रेंज निम्नानुसार है:–

वर्ग I	10 से कम अंक
वर्ग II	10–20 अंक
वर्ग III	21–40 अंक
वर्ग IV	41–60 अंक
वर्ग V	61 से अधिक अंक

(2)मानक के आधार पर वर्गीकृत किये गये पुस्तकालयों में कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत निम्न विवरण के अनुसार पद रखें जायें:–

क0सं0	पुस्तकालय की श्रेणी	पदों का विवरण	
		पदनाम	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रेणी–1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–1	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे –2800
		पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800
2	श्रेणी–2	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–2	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे– 4200
		सहायक कम कैटलॉगर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे– 2000
		पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800
3	श्रेणी–3	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–3	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे – 4600
		सहायक कम कैटलॉगर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे– 2000
		पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800
4	श्रेणी–4	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–4	वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे– 5400
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे– 4200
		सहायक कम कैटलॉगर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे– 2000
		पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800

5	श्रेणी–5	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–5	वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे– 6600
		उप पुस्तकालयाध्यक्ष	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे– 4600
		सहायक कम कैटलॉगर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे– 2000
		पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800

(3) उपर्युक्त मानक के आधार पर वर्गीकृत किये गये पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष पद का पदनाम, वेतनमान, भर्ती की विधि एवं अर्हता निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाय:–

पुस्तकालय की निर्धारित श्रेणी	पुनरीक्षित वेतन संरचना में संस्तुत अर्हता, भर्ती की विधि तथा वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन			
	पदनाम	संशोधित अर्हता/भर्ती की प्रकिया	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रेणी–1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–1 के पदों को अन्य पुस्तकालयों के दस वर्ष की सेवा वाले सहायक कम कैटलॉगर के पदधारकों में से चयन द्वारा भरा जाय परन्तु अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरा जाय सीधी भर्ती हेतु अर्हता इण्टरमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा एवं डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में सी०सी०सी०लेवल का प्रमाण पत्र रखी जाय।	वेतन बैण्ड–1	2800
श्रेणी–2	पुस्तकालयाध्यक्ष –ग्रेड–2	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण पत्र।	वेतन बैण्ड–2	4200
श्रेणी–3	पुस्तकालयाध्यक्ष –ग्रेड–3	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि एवं डी०ओ० ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालम में ओ लेबल का प्रमाण पत्र।	वेतन बैण्ड–2	4600
श्रेणी–4	पुस्तकालयाध्यक्ष –ग्रेड–4	इन पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय जो सीधी भर्ती की अर्हता रखते हों। परन्तु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में इन पदों को सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में	वेतन बैण्ड–3	5400

		स्नातकोत्तर उपाधि एवं डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण पत्र तथा श्रेणी–3 के पुस्तकालय में दो वर्ष का कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।		
श्रेणी–5	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–5	इन पदों को 10 वर्ष की सेवा वाले ऐसे उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जाय जो सीधी भर्ती की अर्हता रखते हों। परन्तु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में इन पदों को सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण पत्र तथा श्रेणी–4 के पुस्तकालय में पाँच वर्ष का कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।	वेतन बैण्ड–3	6600

(4)पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से इतर पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता एवं भर्ती की विधि निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित किया जायः–

पदनाम	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
(1)	(2)	(3)
पुस्तकालय परिचर	डांईग कैडर (मृत संवर्ग)	मृत संवर्ग घोषित भविष्य में आउट सोर्स से पद रखे जाय।
सहायक कम कैटलागर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे– 2000	शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से इण्टरमीडिएट एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र तथा डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० लेबल का प्रमाण पत्र।
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे– 4200	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण पत्र।
उप पुस्तकालयाध्यक्ष	वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे– 4600	शत प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि एवं डी०ओ० ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेबल का प्रमाण पत्र।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 64 (A)/ X XVII (7) / 20 11-12, दिनांक 09 नवम्बर,2012, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या 40 (1)/xxiv-5/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
4 समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7- वित्त अनुभाग-3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8- कम्प्यूटर सेल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

प्रेषक,

संख्या– 13 /XXIV-5/ 2013

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मा0 शिक्षा अनुभाग– 5

देहरादून: दिनांक 28, जनवरी, 2013

विषय:– माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालय संवर्ग का पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 4905/पुस्तकालय/ढॉचा/2011–12 दिनांक 28 अप्रैल,2011 एवं वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 296/XXVii(7)40(14)/2011, दिनांक 13 दिसम्बर,2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित पुस्तकालयों को अंकों के आधार पर श्रेणीकृत करते हुए निम्नानुसार ढॉचा पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) **श्रेणी–03 के कुल 07 पुस्तकालय:–** जिला पुस्तकालय देहरादून, नई टिहरी, गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ।

क0 सं0	पदनाम	प्रस्तावित वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–3	पे बैण्ड– 9300–34800 ग्रेड पे–4600	पुस्तकालयाध्यक्ष पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 के 07 पद	–	07	पूर्व में पुस्तकालयाध्यक्ष वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 में 07 पद सृजित है। इन्हीं पदों को अब ग्रेड पे 4600 में उच्चीकृत समझा जायेगा।
2	सहायक कम कैटलागर	पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2000	कनिष्ठ सहायक पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1900 के 05 पद	02	07	कनिष्ठ सहायक का पद डाईंग कैडर होगा।

3.	पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–1800	अनुचर पे बैण्ड 4440–7440 ग्रेड पे 1300 के 07 पद	–	07	पूर्व में पुस्तकालय परिचर वेतन बैण्ड 4440–7440 ग्रेड पे 1300 में 07 पद सृजित है। पुस्तकालय परिचर को ग्रेड पे 1800 में रखते हुये डाईंग कैडर घोषित करते हुए उक्त पदों पर भर्ती अब ऑउट सोर्सिंग से की जायेगी।

(2)श्रेणी–2 के कुल 17 पुस्तकालयः जिला पुस्तकालय पौडी, शाखा पुस्तकालय चम्बा, पोखरी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, अगस्तमुनी, चिन्यालीसौड, भटवाडी, बड़कोट, हल्द्वानी, द्वाराहाट बाड़ेछीना, रानीखेत, लोहाघाट, बागेश्वर, मुनस्यारी एवं काशीपुर।

क्र0 सं0	पदनाम	प्रस्तावित वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–02	पे बैण्ड–9300–34800 ग्रेड पे–4200	पुस्तकालयाध्यक्ष पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 के 17 पद	–	17	पूर्व में पुस्तकालयाध्यक्ष वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 में 17 पद सृजित है, अतः उक्त पद पुस्तकालय श्रेणी–2 ग्रेड पे 4200 में उच्चीकृत होगा।
2.	सहायक कम कैटलागर	पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–2000	कनिष्ठ सहायक पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1900 के 01 पद	16	17	कनिष्ठ सहायक का पद डाईंग कैडर होगा।
3.	पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1800	अनुचर पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1300 के 17 पद	–	17	पूर्व में अनुचर वेतन बैण्ड 4440–7440 ग्रेड पे 1300 में 17 पद सृजित है। अब पुस्तकालय परिचर के कुल 17 पद ग्रेड पे 1800 में रखते हुए इन पदों को डाईंग कैडर घोषित करते हुए उक्त पदों को ऑउट सोर्सिंग से भरा जायेगा।

(3) **श्रेणी–1** पुस्तकालय, **जनपद हरिद्वार।**

क0 सं0	पदनाम	प्रस्तावित वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–01	पे बैण्ड– 5200–20200 ग्रेड पे–2800	–	01	01	पूर्व में पुस्तकालयाध्यक्ष का कोई भी पद सृजित नही है फलस्वरूप अब पुस्तकालय को श्रेणी–1 में वर्गीकृत करते हुये पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–1 वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे–2800 में सृजित किया जाता है।
2	पुस्तकालय परिचर	वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1800	–	01	01	पूर्व में पुस्तकालय परिचर का कोई भी पद सृजित नही है। पुस्तकालय परिचर का पद ऑउट सोंसिंग से भरा जायेगा।

(4) विभिन्न विभागों में विद्यमान पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष के वर्तमान पदधारकों को पुस्तकालय की निर्धारित श्रेणी के आधार पर उपर्युक्त तालिका में इंगित वेतनमान अनुमन्य करा दिया जाय, परन्तु भविष्य में रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को उक्त तालिका में इंगित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित की गयी भर्ती की प्रकिया के अनुसार भरा जाय। उपर्युक्त पुनर्गठन में यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान डाउनग्रेड होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष को मिल रहा वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा, परन्तु भविष्य में पद रिक्त होने पर पद का वेतनमान उपर्युक्त तालिका में इंगित विवरण के अनुसार निर्धारित माना जायेगा।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पदों की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत यह बाध्यकारी नही होगा कि पुस्तकालय की श्रेणी के आधार पर उपरोक्त तालिका में इंगित पद रखे ही जायें। पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पदों की संख्या का निर्धारण उनकी कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से अलग से कराया जायेगा।

(6) उक्त श्रेणी के वर्तमान में उपलब्ध पदधारकों को उपरोक्त तालिका के उपलब्ध समकक्ष स्तर/वेतनमान के पदों के सापेक्ष निर्धारित अर्हता रखने वाले पदधारी को समायोजित/तैनात मान लिया जाय, परन्तु भविष्य में रिक्त होने वाले पदो को उपर्युक्त तालिका में इंगित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित की गयी भर्ती की प्रकिया के अनुसार भरा जाय। समकक्ष स्तर/वेतनमान के पदों की अनुपलब्धता की स्थिति मे पदधारकों को अनुमन्य वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा।

(7) ऐसे पुस्तकालय जहाँ वर्तमान में पुस्तकालयाध्यक्ष से इतर पद उपर्युक्त तालिका में इंगित पदों से अधिक उपलब्ध है वहाँ ऐसे पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। इन पदों पर इनके वर्तमान पदधारकों की सेवा निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर नई नियुक्तियाँ न की जायें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 64/XXVII(7)/ 2011-12, दिनांक 09 नवम्बर,2012, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या 13 (1)/xxiv-5/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
4- समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7- वित्त अनुभाग-7./नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8- कम्प्यूटर सेल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

सं0 587 /XXIV(1)/2013-42/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
ननूरखेडा, देहरादून।

2– निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून: दिनॉक 17 जून, 2013

विषयः राज्य के सभी सरकारी/सहायता–प्राप्त/निजी स्कूलों में Lunch/Tiffin करने से पूर्व एवं बाद में बच्चों के हाथों को साबुन से धोने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पादित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रा0प0का0 के पत्र संख्या–89/एन0डी0एम0–33 (चिरायु)/2013–14 दिनांक 17.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि अन्य आयु–वर्ग की तुलना में छोटे बच्चे अस्वच्छ जल, गन्दगी, अपर्याप्त स्वच्छता व आरोग्य सम्बन्धी जानकारी के अभाव के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। साबुन से हाथ धोने की एक सामान्य सी आदत की वजह से डायरिया व अन्य अस्वच्छता जनित बीमारियों के संक्रमण से छोटे बच्चों को काफी हंद तक बचाया जा सकता है। मा0सं0वि0 मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–D.O.No.-13-2/2012-EE.5(MDM 1-2) दिनांक 19.06.2012 एवं पत्र दिनांक 17.04.2013 द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन से पूर्व सभी बच्चों में साबुन से हाथ धोने की कार्यवाही को मुख्यधारा में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 के पत्र दिनांक 27.05.2013(प्रति संलग्न) द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एन0आर0एच0एम0 द्वारा ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूली बच्चों के हाथ धोने के लिए सांबुन क्रय करने हेतु धनराशि की व्यवस्था वी0एच0एस0एन0सी0 मद से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ–साथ निजी / सहायता प्राप्त

विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को मध्यान्ह् भोजन/टिफिन, लन्च करने से पूर्व अनिवार्य रूप से हाथ धुलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सारे निजी स्कूल भी इसको अपने संसाधनों से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायेंगे। इससे विभिन्न बीमारियों से बचाव के साथ–साथ बच्चों में स्वच्छता सम्बन्धी एक अच्छी आदत भी विकसित होगी। परिणामस्वरूप बच्चों द्वारा स्कूल के साथ–साथ घर पर भी स्वच्छता अपनायी जायेगी जो उनके बेहतर स्वास्थ्य में सहायक सिद्ध होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्रतिलिपिः संख्या एवं दिनांक तदैव।

1) निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन।
3) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4) मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तराखण्ड।
5) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त विद्यालयों में उक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6) समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ की उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
7) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

क्रम संख्या–165 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 जून, 2013 ई0
आषाढ़ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 2132/XXXI(13)G-65(सू0अ0)/2012
देहरादून, 28 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–107

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।
   (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं:

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
(ख) ''धारा'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
(ग) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
(घ) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
(ङ) ''बी०पी०एल०'' से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रु0 12,000/–(रु0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
(च) ''प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी'' से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,
(छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज–पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े सम्बन्धी सामग्री और किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी, लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

(ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है:–
(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाईल,
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,
(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म मे सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरुत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो); और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है:–
(एक) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिये सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रोनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्पयूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रकिया:

5.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी०पी०एल० श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को

उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध प्रत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(ङ) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।

(च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रकिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को

उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप से परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना हेतु शुल्क:

6.(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रु0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ(छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रु0 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रु0 5.00 मात्र(पांच रुपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात्

(एक) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रु0 20.00 मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी0डी0/डी0वी0डी0; और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रु0 2.00 मात्र (दो रुपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए4 साईज के) या तैयार करने में रुपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वंय के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वंय सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व:

7.(क) नियम 5 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोध कर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।

परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा–8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) निजी सूचनाएँ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी

अथवा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र, की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित से सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना'

प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह 'सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नही है और अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुओं की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिये लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

<u>सूचना आयोग में द्वितीय अपील</u> :

9.(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोगः—

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जाँच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियो कान्फ्रेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारंम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड(एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगी:—

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से;
(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती;
(तीन) साधारण डाक द्वारा; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पाँच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा।

(छ:) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छ:) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पाँच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ढ.) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रकिया अपनायेगा:--

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रियाः

10.(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो ।

(ड.) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध

अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तो में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ङ.) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से

अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील की पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः

12. यदि इन नियमों के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृत्तियांः–

13.(क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

संख्याः /xxxi(13)G-69(सू0अ0)/2013

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2013

विषयः सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्वतः प्रकटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-2132/xxxi(13)G-65(सू0अ0)/2012 दिनांक 28 जून, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम 3 में राज्य सरकार द्वारा सूचना का स्वतः प्रकटन का प्रावधान किया गया है। जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अंन्दर इलैक्ट्रानिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रानिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा। विभागीय कार्यकलापों के विषय में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उल्लिखित सूचना के प्रकट किये जाने से छूट के सम्बन्ध में किये गये प्राविधानों को छोड़कर, अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ वरियता कम में प्रकाशित की जाने वाली सूचनाएं निम्नवत होंगी-

1. विभागों के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख अथवा अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं के ठेके देने सम्बन्धी सूचनाएं। उक्त सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दु होंगे-

(i) परियोजनाएं जिसका निर्माण किया जाना है, उसका नाम, स्थान तथा अनुमानित मूल्य।
(ii) परियोजना के सम्बन्ध में ठेका देने के लिए विज्ञापन जिन-जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, उसका नाम तथा संस्करण का दिनांक। यदि किसी अन्य माध्यम से भी निविदा आमंत्रण के लिए सूचना प्रचारित हुयी है तो उसका भी विवरण।

(iii) ठेके के लिए निविदा आमंत्रण के विरूद्ध प्राप्त निविदाओं की संख्या तथा निविदादाताओं के नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर आदि का विवरण।

(iv) प्रत्येक निविदादाता द्वारा दी गयी दर/मूल्य का विवरण तथा इनमें सबसे कम मूल्य के निविदादाता का नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर इत्यादि का विवरण।

(v) निविदा जिस निविदादाता को स्वीकृत हुयी है, उसका नाम व पते का विवरण और यदि यह निविदादाता सबसे कम मूल्य के निविदादाता नहीं है तब उसको निविदा देने के औचित्य का विवरण।

(vi) निविदादाता/ठेकेदार की श्रेणी, संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का ब्योरा, जिस सीमा तक परियोजना/निर्माण कार्य की संस्तुति प्राप्त जानी है या की गयी है।

(vii) निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निर्माण के लिए आदेश तथा अनुबन्ध की शर्तों तथा निविदा पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय सीमा।

(viii) अन्य प्रासंगिक विवरण।

2. राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत रू0 10.00 लाख अथवा अधिक मूल्य की सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जायेगी जिसमें निम्नांकित बिन्दु होंगे:–

(i) सामग्री जिसकी आपूर्ति होनी है उसका नाम, मात्रा, संख्या, अनुमानित मूल्य तथा विशिष्टियाँ, यदि कोई हों, का विवरण।

(ii) सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा प्रकाशित करने का दिनांक तथा जिन समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुयी है, उनका नाम व संस्करण का दिनांक तथा अन्य माध्यम से भी यदि निविदा प्रचारित हुई है तो उन माध्यमों का विवरण।

(iii) निविदा आमंत्रण के विरूद्ध प्राप्त निविदाओं की संख्या तथा निविदादाताओं के नाम, पते, सम्पर्क दूरभाष नम्बर आदि का विवरण प्रत्येक निविदादाता द्वारा जो दरें अथवा सामग्री का मूल्य दिया गया है, उसका विवरण।

(iv) निविदादाताओं में सबसे कम दर व मूल्य के निविदादाता का नाम, पता, दूरभाष सम्पर्क नम्बर आदि का विवरण।

(v) सामग्री आपूर्ति के लिए निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिये गये हैं उनका नाम, पता आदि का विवरण और यदि वह सबसे कम दर अथवा मूल्य का निविदादाता नहीं है तब ऐसे निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिये जाने के औचित्य के सम्बन्ध में विवरण।

(vi) पूर्व में अनुबन्धित ठेकेदार/फर्मों/एजेन्सियों को कभी ब्लैक लिस्टेट में डाला गया है, तो इनके नाम, पते सहित विवरण।

(vii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 हस्तपुस्तिका संग्रहालय भाग–5 एवं संगत वित्त विभाग के दिशा निर्देशों/शासनादेश सं0–177/XXXvii(7)/2008 दिनांक 01 मई, 2008 के परिपेक्ष्य में फर्मों/एजेन्सी आदि को पंजीकरण, पंजीकरण की वैधता अवधि।

(viii) सामग्री आपूर्ति आदेश पूरा करने के लिए समय–सीमा। आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ जो अनुबन्ध है, उसकी शर्तें तथा आपूर्ति आदेश तथा तिथियों का विवरण।

(ix) अन्य प्रासंगिक विवरण।

3. राज्य के अन्तर्गत किसी संस्था को भूमि आवंटन के लिए यदि कोई नीति है तो उस नीति का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विधि के सुसंगत उद्धरण। इसी प्रकार भूमि आवंटन के सुसंगत नियमों के उद्धरण तथा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शासनादेश का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में आवेदनकर्ताओं तथा जिनको भूमि का पट्टा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुआ है, उनके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचना का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा।

(i) भूमि आवंटन के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता, आवंटन के लिए याचित भूमि का क्षेत्रफल, स्थान, तहसील व जनपद तथा भूमि किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जायेगी, उसका विवरण।

(ii) यदि एक ही स्थान पर आवंटन के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता हैं तो सभी का उक्तानुसार विवरण।

(iii) भूमि का आवंटन जो स्वीकृत हुआ हैं उनमें आवंटी का नाम, पता, आवंटित क्षेत्रफल तथा आवंटन की शर्तो व आवंटन की अवधिक का विवरण।

(iv) आवेदन पत्र जिसे अस्वीकार किया गया है उस आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा आवेदन अस्वीकार करने का कारण।

(v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

4. राज्य की खनन नीति वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी तथा खनन नीति के अन्तर्गत खनन हेतु पट्टों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:–

(i) खनन पट्टे के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर, जिस क्षेत्र के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया है। उसका क्षेत्रफल, स्थान, तहसील, जनपद तथा आवेदन करने का दिनांक। यदि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता हैं तो उन सभी का उक्तानुसार विवरण एक स्थान पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ii) आवेदनकर्ता जिनके आवेदन स्वीकार हुए उनके नाम, पते का विवरण तथा भूमि का स्थान, तहसील, जनपद व क्षेत्रफल, खनन की अवधि, खनन पट्टे की शर्तें तथा पट्टा निर्गत करने की तिथि।

(iii) खनन हेतु पर्यावरण मंत्रालय/न्याय विभाग की अनुमति के आदेश की संख्या एवं तिथि तथा खनन वैद्यता की अवधि का विवरण।

(iv) आवेदनकर्ता जिनके आवेदन अस्वीकार हुए हैं उनका नाम, पता, दूरभाष सम्पर्क संख्या आदि का विवरण व आवेदन अस्वीकार किये जाने का कारण सहित विवरण।

(v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

5. राज्य की भू–विधियों के अनुसार राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत भूमि क्रय हेतु अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं, उन मामलों में आवेदनकर्ताओं के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:–

(i) भूमि क्रय की अनुमति के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा उनके द्वारा आवेदित भूमि का स्थान, तहसील, जनपद व क्षेत्रफल, भूमि किस उपयोग के लिए क्रय करना चाहते हैं, उसका विवरण तथा आवेदन करने का दिनांक।

(ii) आवेदनकर्ता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अथवा अन्य से राज्य सरकार को प्रेषित की गयी आख्या की दिनांक तथा संस्तुति का संक्षिप्त विवरण।

(iii) राज्य सरकार द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की दिनांक तथा अस्वीकार करने की दशा में अस्वीकार किये जाने का संक्षिप्त में कारण।

(iv) भूमि कय करने की अनुमति की शर्तों का विवरण।

(v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

6. राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 01 जुलाई को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा राज्य सरकार के विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भी प्रकाशित की जायेगी। उक्त सूचना के साथ निम्नांकित सूचनाएं भी प्रकाशित होंगी:–

(i) राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि, किन–किन समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी तथा किस संस्करण में प्रकाशित हुई तथा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि क्या है, सीधी भर्ती के लिए चयन की प्रकिया सम्पन्न की जाने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष सम्पर्क संख्या, चयन प्रकिया में किन–किन विषयों की परीक्षा वस्तुपरक अथवा लिखित होगी, कितने अंक की होगी तथा चयन का परिणाम तथा प्रवीणता निर्धारित करने के लिए किन–किन अंकों को जोड़ा जायेगा, का विवरण प्रकाशित होगा।

(ii) चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी चाहे वे चयन में सफल रहे हों या असफल सभी का परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। सफल एवं असफल सभी की प्रवीणता सूची का भी प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा।

7. विभागों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी टिप्पणी (जिसमें रिक्त पदों और पदों से सम्बन्धित सेवा नियम, अर्हता, पात्रता क्षेत्र एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आदि से सम्बन्धित विवरण समाविष्ट होते हैं), विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त/संस्तुति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं निर्गत पदोन्नति आदेश का विवरण आदि।

8. तहसीलों से निर्गत किये गये स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:–

(i) स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदनकर्ताओं के नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता तथा आवेदन करने का दिनांक।

(ii) स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिनको निर्गत हुआ है उनका नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता, ग्राम का नाम/तहसील/जनपद जहां का स्थायी निवासी के रूप में उनका स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र का पत्रांक व दिनांक तथा किस अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है, यदि तहसीलदार ने हस्ताक्षर किये अथवा नायब तहसीलदार

ने अथवा उप जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर किये हैं तो उस अधिकारी का पदनाम अंकित किया जाय, जिसने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

(iii) जिन आवेदनकर्ताओं के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आवेदन निरस्त हुए है, उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा निरस्तीकरण का दिनांक व निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख किया जायेगा।

9. तहसीलों से निर्गत किये गये जाति प्रमाण पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:–

(i) जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ावर्ग जिससे वह सम्बन्ध रखता है तथा आवेदन करने का दिनांक।

(ii) जिन व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उनके पिता/पति का नाम/निवास का पता, जिस ग्राम/तहसील/जनपद के निवासी के रूप में उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है उनका नाम, जिस आरक्षित वर्ग के लिए उनके जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं उनका विवरण, उपजाति का विवरण, जाति प्रमाण का पंत्राक व दिनांक तथा निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम तथा अन्य प्रासंगिक विवरण।

(iii) निविदादाताओं/फर्मों/ठेकेदारों/एजेन्सियों के वार्षिक टर्नओवर, विगत तीन वर्षों में निष्पादित कार्यों के सम्बन्ध में संबन्धित विभागों की संस्तुतियाँ आदि का विवरण। क्या कभी स्वीकृत फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विभागों/निकायों/निगमों/प्राधिकरणों/अधिकरणों द्वारा कार्य ब्लैक लिस्टेट किया गया है, का विवरण।

(iv) जिन आवेदनकर्ताओं के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन निरस्त हुए हैं, उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा निरस्तीकरण का दिनांक व निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख किया जाएगा।

10. पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का निजी संस्थाओं के माध्यम से कियान्वयन के सम्बन्ध में अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी–

(i) परियोजना का नाम तथा लागत का विवरण, परियोजना को निजी सहभागिता के माध्यम से कियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा, उसका विवरण।

(ii) निजी सहभागिता के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करने का दिनांक, दैनिक समाचार पत्र जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है, उनके संस्करण का दिनांक। यदि किसी अन्य माध्यम से भी विज्ञप्ति प्रचारित की गयी है तो उसका विवरण।

(iii) प्राप्त आवेदन/निविदाओं की संख्या, निविदादाताओं के नाम, पते, सम्पर्क दूरभाष नम्बर तथा उनके द्वारा दी गयी दरों आदि का विवरण।

(iv) यदि द्विनिविदा से निजी सहभागी उद्यमी का चयन किया जाना है तब तकनीकी निविदा के आवेदकों /निविदादाताओं के नाम पते, दूरभाष संपर्क तथा दी गयी निविदा का विवरण।

(v) तकनीकी निविदा में असफल आवेदकों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर तथा असफल होने के कारण।

(vi) तकनीकी बिड में सफल निविदाओं जिनकी वित्तीय निविदा खोली गयी है, उनकी वित्तीय निविदा की दरें आदि का विवरण तथा सबसे कम दर/लागत वाली निविदादाता के नाम, पते, दूरमाष सम्पर्क आदि।

(vii) लोक निजी सहभागिता हेतु जिस उद्यमी का चयन किया गया है उसका नाम, पते, सम्पर्क का दूरमाष नम्बर तथा चन किये जाने का संक्षिप्त में कारण। यदि वह सबसे कम दर/लागत की निविदा नहीं है तो उसके स्वीकृत किये जाने का औचित्य।

(viii) निजी सहभागी उद्यमी के साथ जो अनूबन्ध किया जाएगा, उस अनुबन्ध की शर्तों का विवरण। परियोजना का निर्माण तथा परियोजना संचालन का कार्यकाल आदि का विवरण।

11. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांग, वृद्धजन एवं विधवा पेंशन तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रवृति से सम्बन्धित योजनाओं आदि में लाभार्थियों के नाम, पते एवं अन्य प्रासांगिक विवरण को सम्बन्धित विभागों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

12. कृपया उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय सूचनाऐं प्रत्येक वर्ष में त्रैमासिक आधार पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह के प्रथम पक्ष तक विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जायेंगी एवं माह जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च तक विभागीय सूचनाऐं अद्यावधिक की जायेंगी ताकि सूचनाओं तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्त आदेश की विषयवस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में लाते हुये उक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 विष्ट)
सचिव।

प्रतिलिपि– 2895/xxxi(13)/G–69(सु0अधि0)/2013 तद्दिनांक।

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आइ0सी0) सचिवालय परिसर।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 745/xxvii(7)27(20)/2013
देहरादून, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषय–सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनु[illegible] किया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1332/xxvii(3)मा/2004 दिनांक 02 अगस्त, 20[illegible] द्वारा सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 [illegible] नियम–38(1) परिशिष्ट–12 में उल्लिखित सूची के अनुसार मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार अनु[illegible] किया गया है।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–700/xxvii(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर, 20[illegible] द्वारा वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। वाहन भत्ते की उक्त दरें वित्तीय नियम सं[illegible] खण्ड–3 नियम–82 परिशिष्ट–8 में उल्लिखित वाहन भत्तों की सूची के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कह[illegible] का निदेश हुआ है कि अपवादस्वरूप, जहां स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) अनुमन्य है, व[illegible] फील्ड कर्मचारियों को वर्तमान में अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता रू0 1200/- प्रतिमाह माह अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 745 (1)/XXVII(7)27(20)/2013 तददिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादन।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0 [illegible])
अपर सचिव।

प्रेषक,

नोडल अधिकारी,
कार्यालय निरीक्षणालय उत्तराखण्ड,
पौड़ी ।

सेवामें,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
देहरादून ।

/XV- 8 /2013–14 दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों के बिनिष्टीकरण हेतु बिनिष्टीकरण पंजिका (Weeding register) का रख रखाव किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2860/XXXI(13)G/2013–37 (सा0) 2013 दिनांक 23, सितम्बर 2013 का अवलोकन करने की कृपा करेंगे । संदर्भित शासनादेश के द्वारा सरकारी अभिलेखों के रख–रखाव, अभिरक्षा, अभिलेखन एवं बिनिष्टीकरण किये जाने से संबंधित विषयों पर राज्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का दायित्व कार्यालय निरीक्षणालय को सौंपा गया है । शासन के उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों की अभिरक्षा व उनके बिनिष्टीकरण की वर्तमान व्यवस्था का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभाग में सरकारी अभिलेखों की अभिरक्षा तथा बिनिष्टीकरण की प्रकिया नहीं अपनाई जा रही है, कार्यालयों में अभिलेखों के बिनिष्टीकरण हेतु निर्धारित निर्दान पंजिका (Weeding register) रखे जाने की किसी कर्मचारी को जानकारी नहीं है । कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव, अभिरक्षा एवं बिनिष्टीकरण के सम्बन्ध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में भी निर्दान रजिस्टर रखे जाने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी है ।

राज्य सरकार के सभी विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अभिलेखों के बिनिष्टीकरण हेतु शासनादेश संख्या 3657/XLVII -1-37 (1) 1984 दिनांक 07–1–1984 के अनुसार निर्धारित किये गये प्रारूप पर निर्दान रजिस्टर रखे जाने की व्यवस्था की गयी थी सुलभ संदर्भ हेतु निर्दान रजिस्टर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। राजस्व विभाग के लिये रैवेन्यू मैनुअल के पैरा 1176 के अनुसार अभिलेखों के निर्दान हेतु यह रजिस्टर अनुरक्षित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतएव शासन से अनुरोध है कि राज्य सरकार के सभी विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार अभिलेखों के बिनिष्टीकरण (Weeding) हेतु रजिस्टर /अनुरक्षित किये जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को शासन स्तर से समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करेंगे ।

संलनक – यथोपरि ।

भवदीय,

(एम0 एस0 बिष्ट)
नोडल अधिकारी,
कार्यालय निरीक्षणालय उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संख्या– / /XXIV(1)/2013-08/2005 T.C.

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांक ~~दिसम्बर, 2013~~ 02 जनवरी, 2014

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–27 में उल्लिखित कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो में शिक्षकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व पत्र संख्या–1140/XXIV(1)/2013-28/2011 दिनांक 14–10–2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–658/XXV-1(5)/2008 दिनांक 19.11.2013 द्वारा पुनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में बी0एल0ओ0 के रूप में नियुक्त अध्यापकों से निर्वाचन सम्बन्धी कार्य Non-teaching hours एवं Non-teaching days और अवकाश दिनों में ही कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है। प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के उक्त पत्र दिनांक 19.11.2013 के क्रम में शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1024/XXIV(1)/2013-08/2005 T.C.दिनांक 05.12.2013(छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शिक्षा विभाग के कार्मिकों की बी0एल0ओ0 ड्यूटी लगाये जाने में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–658/XXV-1(5)/2008 दिनांक 19.11.2013 एवं तत्क्रम में शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1024/XXIV(1)/2013-08/2005 T.C. दिनांक 05.12.2013 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

संख्या–1429 /XXIV(1)/2013-08/2005 T.C./तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड देहरादून को उनके पत्र दिनांक संख्या–502/SCPCR.UK/2013-14 दिनांक 09–12–2013 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संख्या– 02 /चौबीस–2/2013–09(05)/2009

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी, 2014 ~~दिसम्बर, 2013~~

विषयः–वेतन समिति की संस्तुतियों में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–अर्थ–1/42762/वेतन विसंगति/2012–13 दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बिन्दु संख्या–3 में जिज्ञासा की गयी है कि जो शिक्षक चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतन में कार्यरत है उनकी पदोन्नति समान ग्रेड वेतन में होती है तो पदोन्नति पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा या नहीं ?

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि शासनादेश संख्या–729/xxvii(7)/2010, दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

महत्वपूर्ण/तत्काल /समयबद्ध

संख्या /XXXI(13) G/2013-37(सा0)/2013

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून ०७ जनवरी, 2014

विषय – राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रान्तीय प्रपत्र संख्या 161 पर समान रूप से उपस्थिति पंजिका का रख रखाव सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 478/XXXI(13)G/2009 दिनांक 30 जून, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शासन को जानकारी दी गयी है कि कतिपय कार्यालयों में एक से अधिक उपस्थिति पंजिकायें रखी जा रही हैं और कार्मिकों के कुछ संवर्गों द्वारा उपस्थिति पंजिका में अपना नाम अंकित नहीं किया जा रहा है, इससे कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है। कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के लिये प्रान्तीय प्रपत्र संख्या 161 पर प्रत्येक कार्यालय के लिए एक उपस्थिति पंजिका रखे जाने का प्राविधान पूर्व से ही विद्यमान है। इस प्रकार एक कार्यालय में अनेक उपस्थिति पंजिकायें रखना औचित्यहीन तथा कार्मिकों के कुछ संवर्गों द्वारा उपस्थिति पंजिका में अपना नाम अंकित न करना नियम विरूद्ध है।

2– शासन की जानकारी में यह तथ्य भी लाया गया है कि फील्ड स्तर के कार्मिकों द्वारा किये गये कार्यों की मासिक दैनन्दिनी भी कार्यालयाध्यक्षों व उनके नियंत्रक अधिकारियों को नियमित रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जा रही है, यह स्थिति चिन्ताजनक है और इससे लक्ष्यों की पूर्ति तथा आयोजनाओं के कियान्वयन में शिथिलता परिलक्षित हो रही है।

3– अतएव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु

प्रान्तीय प्रपत्र संख्या 161 पर प्रत्येक कैलैंडर वर्ष के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में केवल एक उपस्थिति पंजिका अनुरक्षित करने तथा उस उपस्थिति पंजिका में कार्यालय में कार्यरत समस्त संवर्गों के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाय। कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे उपस्थिति पंजिका के प्रारंभ में इस तथ्य का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि समय से उपस्थिति पंजिका में कार्यालय में कार्यरत सभी संवर्गों के कार्मिकों के नाम अंकित कर लिए गये हैं। उपस्थिति की जांच शासनादेश संख्या 478/XXXI(13)G/2009 दिनांक 30 जून, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को सुनिश्चित की जायेगी। फील्ड स्तरीय कार्मिकों के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित मासिक दैनन्दिनी माह की समाप्ति पर अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उनके नियंत्रक अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 21 /XXXI(13) G/2013–37(सा0)/2013तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।

2–सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्त शासनादेश के प्रचार एवं प्रसारार्थ।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।

4–सचिव, सूचना आयोग, जांच आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून ।

5–नोडल अधिकारी, कार्यालय निरीक्षणालय, पौडी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में निरीक्षण एवं जांच के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

6–संबंधित अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

तत्काल / महत्वपूर्ण

प्रेषक, संख्या /XXXI(13) G/2013–37(सा0)/2013

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून 03 जनवरी, 2014

विषय – सरकारी अभिलेखों के समुचित रख–रखाव, अभिरक्षा, अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त दिशा निर्देशों के कियान्वयन हेतु राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में विनिष्टीकरण/निर्दान पंजिका के रख रखाव की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों को निर्धारित अवधि तक रखे जाने व उसके बाद विनिष्टीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था समुचित रूप से लागू नहीं हो पा रही है। कार्यालयों में अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण की व्यवस्था न किये जाने से पुराने व अनुपयोगी अभिलेखों के अव्यवस्थित पड़े रहने से कार्यालयों में अनावश्यक स्थान घिरा रहता है जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। कई बार फाइलों में पुराने एवं महत्वहीन पत्रजातों के रक्षित होने के कारण नए पत्रों को तलाशने एवं तत्पश्चात कार्यालयी प्रकिया प्रारम्भ किये जाने में महत्वपूर्ण समय नष्ट होने के साथ साथ कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2– शासनादेश संख्या–244/XXXI(13)G/2005 दिनांक 23 4 2005 के द्वारा उन सभी अभिलेखों के रखे जाने की अवधि का निर्धारण किया गया है जो सामान्यतः सभी कार्यालयों में रखे जाते है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–2223/XXXI(13)G/2013–37(सा0)/2013 दिनांक 15 जुलाई, 2013 में प्रत्येक विभाग को अपने अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण की नियमावलियां बनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश में कार्यालयों में अभिलेखों के विनिष्टीकरण हेतु शासनादेश संख्या–3657/XLVII-1-37(1)1984 दिनांक 07 1 1984 में Weeding register रखे जाने की व्यवस्था पूर्व से ही निर्धारित है परन्तु शासन के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद भी कार्यालयों में अभिलेखों

का रख रखाव व विनिष्टीकरण का कार्य नियमों के अनुसार न किया जाना चिन्ता का विषय है ।

3— अतएव प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में शासनादेश संख्या-3657 / XLVII-1-37(1)1984 दिनांक 07-1-1984 के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अभिलेखों के विनिष्टीकरण का रजिस्टर रखे जाने तथा अभिलेखों के विनिष्टीकरण की प्रकिया समान रूप से लागू की जाय। कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान अभिलेखों के समुचित रख-रखाव व विनिष्टीकरण की प्रकिया का अनुसरण व पर्यवेक्षण कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा किया जायेगा।

कृपया प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 20 / XXXI (13)G / 2013-37(सा0) / 2013तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2-सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड, देहरादून।

3-मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, 104 इन्द्रप्रकाश बिल्डिंग, 21 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

4-सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड,हरिद्वार।

5-सचिव, सूचना आयोग/जांच आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

6-पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड लखनऊ।

7-नोडल अधिकारी, कार्यालय निरीक्षणालय उत्तराखण्ड पौढी

8-निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश तथा संलग्न प्रारूप को उत्तराखण्ड सरकार की अधिकारिक वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

9-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव ।

अभिलेखों के बिनिष्टीकरण के रजिस्टर का प्रारूप ।

शासनादेश संख्या 3657/XLVII -1-37 (1) 1984 दिनांक 07--1--1984 के अनुसार निर्धारित।

क0सं0	विभाग, पत्रावली संख्या व वर्ष	विषय	कुल पृष्ठ संख्या	वीडिंग का वर्ष	वीडिंग का दिनांक	अभिलेखपाल के हस्ताक्षर	प्रधान सहायक /प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर	प्रभारी अधिकारी/कार्यालय के हस्ताक्षर ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संख्या– /चौबीस–2–2014–15(01)/2009

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 जनवरी, 2014

विषयः– **दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1298/XXX(2)/2013–3(1)/2006 दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्मिकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या– 203 (1)/चौबीस–2–2014–15(01)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
4. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
उप सचिव

प्रेषक वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
तपोवन रोड ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अर्थ–5क/76464-94/वेतन निर्धारण/2013–14 दिनांक21 जनवरी 2014

विषय वेतन समिति की संस्तुतियों में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षक की समान ग्रेड वेतन में पदोन्नति होने पर वेतन वृद्धि का लाभ देय होगी या नहीं?

उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 02/चौबीस–2/2013–09(05)/2009 दिनांक 03 जनवरी 2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षक की पदोन्नति समान ग्रेड वेतन में होती है तो उनका वेतन निर्धारण शासनादेश सं0 729/XXVII(7)/2010 दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के अनुसार किया जायेगा।

शासन के पत्र संख्या 02/चौबीस–2/2013–09(05)/2009 दिनांक 03 जनवरी 2014 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्न यथौपरि।

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–17/6464-94/वेतन निर्धारण/2013–14 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
2– अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
3– समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।
2– समस्त वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

20/1/14
(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या– /14–XXIV-4–10(12)2013

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय:–प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अर्ह मानदेय प्राप्त पी0टी0ए0 शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1116/XXIV–4/2011–10(4)/2010, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–356/XXIV–4/2013–10(4)/2010, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे पी0टी0ए0 शिक्षक हैं जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हो, को ₹ 7000/–प्रतिमाह मानदेय की स्वीकृति दी गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षक जिन्हें उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन ₹ 7000/–(रूपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, को ₹ 7000/–के स्थान पर ₹ 15,000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का मानदेय प्रतिमाह अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. इस सम्बन्ध शासनादेश संख्या– 597/13–XXIV–4–10 (4) /2010, दिनांक 23.12.2013 का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0स0–140(P)/XXVII(3)/2013–14, दिनांक 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

..2

संख्या- 66 (1)/14-XXIV-4/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून।
5. समस्त, जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, देहरादून।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।

सं0 149 /XXIV(1)/2014-28/2010

प्रेषक,

एस0 राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून : दिनाँक 31 जनवरी, 2014

विषयः अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) उत्तीर्ण बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 प्रा0शि0–सेवा(2)/30200/बी0एड0नियु0/2013–14 दिनांक 21.1.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 एवं संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई, 2011 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) हेतु धारा–3 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीण अभ्यर्थियों को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–2512(ई) दिनांक 17–10–2012 में वर्णित प्राविधानो के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है कि नियुक्ति के पश्चात ऐसे अभ्यर्थियों को एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण उत्तीण करना अनिवार्य होगा।

3– बी0एड0 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1283/XXIV(1)/2011–28/2010 दिनांक 14–12–2011 में निर्धारित जनपदवार चयन प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या 360/2012 में दिये गये निर्णय दिनांक 26.11.2013 में जनपद आधारित चयन प्रक्रिया को विधि सम्मत नहीं माना गया है। अतएव उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति किये जाने से पूर्व राज्य स्तर पर संयुक्त वरिष्ठता सूची से इनका चयन किया जाना होगा। चयन के पश्चात उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उनकी वरिष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित किये जाने होंगे, ताकि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियुक्त प्राधिकारी संवर्गानुसार नियुक्ति प्रदान कर सकें।

4. अतः विभागीय प्रस्तावानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I)/बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अधीन सम्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता :-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें निम्नवत् है :-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड./बी०एड० (विशेष शिक्षा)/डी०एड० (विशेष शिक्षा) अर्हता प्राप्त की हो।

(ii) उत्तराखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा-1 से 5 के शिक्षकों हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

(2) अभ्यर्थी की आयु :-

अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति हेतु 01 जुलाई, 2013 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी तथा भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में शासनादेशानुसार छूट देय होगी। विकलांगो हेतु अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, परन्तु किसी भी दशा में निर्धारित तिथि को 50 वर्ष से अधिक आयु का अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीयता एवं निवास :-

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो,

(ख) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

(4) आरक्षण :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(5) वैवाहिक प्रास्थिति :-

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(6) चरित्र :-

चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(7) आवेदन की प्रकिया :-

(क) जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र चयन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित करनी होगी।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा के वैबसाइट **www.schooleducation.uk.in** पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा, जिसे A-4 साइज के पेपर पर डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र

पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर, ननूरखेड़ा देहरादून के पते पर इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि प्रत्येक दशा में अन्तिम तिथि को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाय। निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समयावधि (सांय 5.00 बजे तक) के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक विलम्ब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उससे भिन्न सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषण की अन्तिम तिथि के पश्चात निर्गत कोई भी आवश्यक एवं अधिमानी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में जनपद का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। चयन करने वाली संस्था वरिष्ठता तथा प्राप्त विकल्प के अनुसार जनपद आवंटित करेंगी।

(ग) सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 500/–तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 250/– निर्धारित है। शुल्क अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिसर, ननूरखेड़ा देहरादून के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंकड्राफट के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफट मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

(8) चयन प्रकिया :–

समस्त चयन प्रक्रिया अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पर्यवेक्षण/निर्देशन में सम्पादित की जायेगी। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। गुणाकों की गणना निम्नवत् की जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों के नाम उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे, परन्तु यदि दो अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण वर्ष एवं गुणांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणांको की गणना निम्नवत् की जायेगी :–

क्र0सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणांक
01	हाईस्कूल	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 0.75}{10}$
02	इण्टरमीडिएट	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 1.5}{10}$
03	स्नातक	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 2.25}{10}$
04	प्रशिक्षण बी0एड0/डी0एड0(विशेष शिक्षा)/बी0एड0(विशेष शिक्षा)	
	क–सिद्धान्त	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 3}{10}$
	ख–प्रयोगात्मक	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 1.5}{10}$
05	अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V)	$\frac{\text{अंकों का प्रतिशत} \times 1}{10}$

संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी और विकल्पानुसार अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित किये जायेंगे।

(ख) जनपद में उपलब्ध कुल रिक्तियों के सापेक्ष 60 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के तथा 40 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्राख्यानों के अधीन किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाएं अंकित होंगी, उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा सी0टी0ई0टी0 (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंक पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा एवं बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0(विशेष शिक्षा) परीक्षा के अंक पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायेंगी। श्रेणीवार पृथक-पृथक 25 प्रतिशत से अनधिक की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(घ) विज्ञापन में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक संबंधित अभ्यर्थी द्वारा समस्त निर्धारित अर्हताएं पूरी होनी चाहिए।

(ड.) चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति अधिकारी द्वारा अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने की दशा में चयन/जाँच/नियुक्ति/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

<u>(9) छः माह का विशेष प्रशिक्षण :-</u>

नियुक्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को छः माह के प्रशिक्षण पर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा, जिसमें से तीन माह का कियात्मक प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती वाले विद्यालय में ही प्राप्त करना होगा।

<u>(11) राज्य स्तरीय चयन हेतु समिति :-</u>चयन हेतु समिति निम्नवत होगी :-

1. अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड- अध्यक्ष
2. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित)- सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड- सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी - सदस्य
5. उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड - सदस्य सचिव

<u>(11) मौलिक नियुक्ति :-</u>

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(12) जनपदवार उपलब्ध सम्भावित रिक्तियों की संख्या (जो घट/बढ़ भी सकती है) निम्नवत है :-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित सीटें
01	उत्तरकाशी	66
02	चमोली	60
03	रूद्रप्रयाग	50
04	हरिद्वार	46
05	पौड़ी गढ़वाल	56
06	देहरादून	76
07	टिहरी गढ़वाल	100
08	अल्मोड़ा	120
09	ऊधमसिंह नगर	130
10	बागेश्वर	96
11	पिथौरागढ़	110
12	चम्पावत	50
13	नैनीताल	0
योग		960

(13) सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेवा विकासखण्ड संवर्ग सेवा है तथा सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति के पदों हेतु विषय संयोजन होना अनिवार्य है।

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकियानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) तथा बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद हेतु चयन किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

सं0 143 (i)/XXIV(1)/2014-28/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5– राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
6– अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
9– समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, (निदेशालय के माध्यम से)।
10– गार्ड फाईल।
11– एन0 आई0 सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2

संख्या: 12/XXX-(2)/2014–55(41)/2004
देहरादून: 31 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 20 (समय–समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित करते हुये राज्याधीन सेवाओं के अन्त भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम तथा विवरण–

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अधिकतम आयु सीमा–

2. इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी।

भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना–

3. किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए विहित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

नियमावली का अध्यारोही प्रभाव–

4. यह नियमावली संगत सेवा नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी।

आयु की गणना–

5. किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,

(डा0 एस0 एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या -72 /XXX(2)/2014

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस संधु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषय:– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 4(1) का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित नियमावली के नियम 4(1) में यह प्राविधान है कि **"लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।"**

2– उपरोक्त प्राविधान के संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि अभ्यर्थी का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण समूह 'ग' के सीधी भर्ती के विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि को होना चाहिये या विज्ञापन में अंकित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये या किसी अन्य निर्धारित तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये।

3– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि **समूह–ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।**

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या-72(1)/XXX(2)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की हरिद्वार
3– निदेशक, सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड।
4– समस्त सेवायोजन कार्यालय, उत्तराखण्ड।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्या— /14—XXIV-4—10(57)

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4 देहरादूनः दिनांक 11 फरवरी/2014

विषयः—ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—5ख (3)/6747/बालिका सुवि0/2013—14, दिनांक 09—12—2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु अमर शहीद हिम्मत सिंह नेगी, इण्टर कालेज बांसवाड़ा जनपद, चमोली को ₹ 0.60 लाख (रूपये साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

1— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2— कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

3— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

5— विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6— स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकि स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों मे परिर्वतन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

7– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलब्ध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निमाण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या –11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02 –माध्यमिक शिक्षा–110– गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या–131 (1)/14–XXIV–4/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 542/XXIV-2/2014-32(02)/2011
देहरादून: दिनांक 19 फरवरी, 2014

राज्यपाल, भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 है । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की प्रास्थिति	2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।
परिभाषाएं	3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभिप्रेत है। (ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है; (ग) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है; (घ) 'सामान्य शाखा' से राजकीय सह शिक्षा वाले विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला और पुरूष, दोनों अभ्यर्थियों से भरी जाय; (ङ) सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है; (च) राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है; (छ) सेवा का सदस्य से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; (ज) सेवा से उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा अभिप्रेत है; (झ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; (ञ) महिला शाखा से राजकीय बालिका विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला अभ्यर्थियों से भरी जाय; तथा (ट) भर्ती का वर्ष से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

	भाग 2 – संवर्ग
सेवा संवर्ग	4. (1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा। (2) प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, परन्तु यह कि– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।
	भाग 3 – भर्ती
भर्ती का स्रोत	5. सेवा मे भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

	सहायक अध्यापक (सामान्य शाखा) सहायक अध्यापिका (सामान्य शाखा/ महिला शाखा)	(1) 60 प्रतिशत पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (2) 30 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से पदोन्नति द्वारा; परन्तु यह कि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ऐसे पदों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा जो नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) के अन्तर्गत निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी अर्हताऐं पूर्ण करते हों। (3) 10 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, में से विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा चयन करके; परन्तु यह कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में क्रमांक 2 और/अथवा क्रमांक 3 पर सन्दर्भित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उस वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष पदों पर अगले चयन वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।
आरक्षण	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	

			(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(तीन)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **(विज्ञान)**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(चार)	(क) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (भाषा) हिन्दी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। **यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।** (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिन्दी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।**

			(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(तीन)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** **(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(चार)	(क) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (भाषा) हिन्दी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। **यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।** (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिन्दी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और** उत्तराखण्ड **विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।**

			(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** **(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(तीन)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **(विज्ञान)**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** **(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।**
	(चार)	(क) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **(भाषा)** **हिन्दी**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। **यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।** (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिन्दी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।**

		(ख) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **संस्कृत**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि। **या** (1) विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि। **अथवा** (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण।**
		(ग) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **उर्दू**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
		(घ) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका **अंग्रेजी**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।

			अथवा (1) एन0सी0ई0आर0टी0 **के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण।**
		(ङ) सहायक अध्यापक बंगाली	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
		(च) सहायक अध्यापक पंजाबी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पंजाबी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि। **अथवा** पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
	(पाँच)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (कला)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेन्टिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि के साथ न्यूनतम द्विवर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा। पूर्णकालिक डिप्लोमा प्रदान करने वाली निम्न संस्थायें मान्यता प्राप्त हैं– 1. **दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–** (क) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट,लखनऊ। (ख) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब, चण्डीगढ़। (ग) जामिया मिलियां इस्लामियां, नई दिल्ली। (घ) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग हरियाणा, चण्डीगढ़। (ङ.)बी0एड0,डिग्री डिप्लोमा इन फाईन आर्टस फ्रॉम रीजनल कालेज ऑफ एजुकेशन। 2. **तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–** (क) वीमेन्स पॉलिटेकनिक, महारानीबाग नई दिल्ली।

				(ख) शारदा उकिल स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली। (ग) दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली। (घ) गोवर्मेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, जे० एण्ड के० जम्मू। (ङ.) ड्राईग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन फाईन आर्ट एण्ड क्राफ्ट एवॉर्डेड बाई रजिस्ट्रार,डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन गोवर्मेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर। (च) बी०ए०/बी०ए० आनर्स इन आर्ट एण्ड आर्ट एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली। 3. चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु– (क) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, लखनऊ। (ख) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, चण्डीगढ़। (ग) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे। (घ) विश्व भारती (वेस्ट बंगाल) शान्ति निकेतन। 4. पॉच वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु– (क) नेशनल डिप्लोमा ऑफ ए०ए० आई०सी० टी०ई०। (ख) बेचलर इन फाईन आर्टस डिग्री फॉम अरिगनाइज्ड, यूनिवर्सिटी। (ग) गोवर्मेंट कालेज ऑफ फाईन आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, हैदराबाद (स्टेट बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, आन्ध्र प्रदेश)। (घ) गोवर्मेंट स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट लखनऊ (डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश/कल्चरल अफेयर्स एण्ड सांईटिफिक रिसर्च यू०पी०)। (ङ.) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे। (च) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, कैलकट्टा, (डाईरेक्टोरेट आफ पब्लिक इंस्टीटयूशन वेस्ट बैगॉल)। (छ) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, चेन्नई (डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज चेन्नई) (ज) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट पटना। (झ) विश्व भारती (वेस्ट बेगॉल) शान्ति निकेतन। (ञ) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट (पंजाब चण्डीगढ़)।

			(ट) रजिस्ट्रार,डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन बीकानैर, गोवर्मेंट ऑफ राजस्थान। **अथवा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिग में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। (3) इण्टरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पेंटिग के साथ उत्तीर्ण की हो। **अथवा** मान्यता प्राप्त संस्था से इण्टरमीडिएट /हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाइन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से।
	(छः)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (शारीरिक शिक्षा)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से डी0पी0एड0 डिप्लोमा/व्यायाम रत्न या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0पी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (बी0पी0ई0)में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
	(सात)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (संगीत)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।

			अथवा उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि। अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से पाँच वर्षीय संगीत प्रभाकर।
	(आठ)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। अथवा (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में बी0एससी0 (ऑनर्स) विषय के साथ स्नातक की उपाधि/गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
	(नौ)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (वाणिज्य)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। अथवा (1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से चार वर्षीय **(B.A.Ed)** वाणिज्य विषय के साथ स्नातक की उपाधि।
	(दस)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (कम्प्यूटर विज्ञान)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा बी0सी0ए0 की उपाधि। (2) किसी राजकीय संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी0टैक0/बी0ई0 उपाधि।

(2) अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एल०टी० पद पर नियुक्ति/चयन हेतु यू०टी०ई०टी०-2/सी०टी०ई०टी०-2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किन्तु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताऐं निर्धारित नहीं कर देती।

(3) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

अधिमानी अर्हता	9. अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
आयु	10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए: परन्तु यह कि सरकार अधिकतम् आयु सीमा में शिथिलता प्रदान कर सकती है: परन्तु यह और कि राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा धारक हों उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की हो परन्तु यह छूट पाँच वर्ष से अनधिक होगी : परन्तु यह भी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।
चरित्र	11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा। टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12 पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी: परन्तु, यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
शारीरिक योग्यता	13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

	परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए **स्वस्थता** प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा।
	भाग 5–भर्ती प्रक्रिया
रिक्तियों की **अवधारणा**	14.सम्बन्धित **मण्डल का अपर** निदेशक, (माध्यमिक) भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।
सीधी भर्ती द्वारा **नियुक्ति की प्रक्रिया**	15.(1) सम्बन्धित **मण्डल का अपर** निदेशक, (माध्यमिक) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली बालिका विद्यालयों (महिला शाखा) तथा सह **शिक्षा** वाले विद्यालयो (सामान्य शाखा) की विषयवार रिक्तियों, जिन्हे नियम 14 के अनुसार अवधारित किया गया है, का विवरण तैयार करेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था अथवा सम्बन्धित **मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक** द्वारा विषयवार रिक्तियों को न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों मे, जिनका राज्य मे व्यापक परिचालन हो, विज्ञापित किया जायेगा एवं सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्ररूप में, जैसे विज्ञापन मे विनिर्दिष्ट किया जाय, आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसे विज्ञापन में अन्य बातो के साथ पदों से सम्बन्धित वेतन, नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हताएं, अधिकतम आयु एवं अन्य ऐसी सूचनाएं, जो आवश्यक समझी जाएं, का उल्लेख करेगा। __टिप्पणी__– **लिखित परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।** (2) उप नियम (1) में उल्लिखित विज्ञापन में दिये गये प्ररूप के आधार पर आवेदन–पत्र विज्ञापन में उल्लिखित दिनाक को या उसके पूर्व विज्ञापन में उल्लिखित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा अवश्य पहुँच जाय। (3) उप नियम (2) मे निर्दिष्ट आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जायेंगे– (एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क, जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाय। (दो) अन्य अभिलेख, जो विज्ञापन मे विनिर्दिष्ट किए जाएं। (4) निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख के बिना भेजे गये आवेदन–पत्र, निर्धारित तिथि तक नहीं पहुँचने पर ऐसे आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। (5) महिला अभ्यर्थी सेवा के अन्तर्गत सहायक अध्यापिका के पद के लिए महिला शाखा या सामान्य शाखा में से किसी एक शाखा के लिए, अथवा दोनों ही शाखाओं के लिए आवेदन कर सकती है, परन्तु दोनों शाखाओं के लिए आवेदन करने की स्थिति मे उसके द्वारा प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता अंकित की जायेगी । (6)(एक) **अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित मण्डल** या राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था के द्वारा आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं **परिशिष्ट** में विहित परीक्षा आयोजित कर, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता के कम में अभ्यर्थियों की विषयवार नियमावली के नियम 6 के प्राविधानों के अनुसार चयन सूची बनायी जायेगी। परीक्षा संस्था ऐसी चयन सूची **सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा** को उपलब्ध करायेगी। सूची में नाम रिक्तियो की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। सम्बन्धित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र मे उल्लिखित मण्डलीय संवर्ग के महिला संवर्ग (महिला अभ्यर्थियों के मामले में) अथवा मण्डलीय सामान्य संवर्ग (महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के मामले मे) के लिए आवंटित करेगा। किन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा

	वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल/शाखा (सामान्य अथवा महिला) के सम्बन्धित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल/शाखा में सम्बन्धित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया जायेगा। (दो) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक (लिखित परीक्षा के अंक) प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। (तीन) **सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा** द्वारा वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन करने के उपरान्त सभी प्रकार से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ।
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया	16.(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से, जो समान वेतनक्रम में कार्यरत हों, इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा** द्वारा आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया जायेगा। उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर शिक्षकों के पोषक संवर्ग (सहायक अध्यापक रा0प्रा0वि0, स0अ0 रा0आ0वि0, स0अ0सम्बद्ध रा0प्रा0वि0) से ज्येष्ठता/वरिष्ठता निर्धारित करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु इच्छुक अर्ह शिक्षकों से पदस्थापना हेतु पाँच–पाँच विद्यालयों के विकल्प प्राप्त किये जायेगें तथा काउंसिलिंग के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना की जायेगी। विकल्प न देने तथा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। किसी भर्ती वर्ष में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पदोन्नति हेतु विषयवार पदों की संख्या अवधारित की जायेगी। अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रसारित करने के उपरान्त ही विज्ञापन में दिए गये निर्देशानुसार मण्डलों को प्रेषित किए जायेंगे। सीधी भर्ती तथा विभागीय सीधी भर्ती के विज्ञापन सत्र में ही पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा नियुक्तियां भी यथा सम्भव एक ही साथ की जायेंगी। पदोन्नति हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होने– (एक) स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, (दो) नियम 8 में निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण किये हों, (तीन) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक प्रत्येक विषय के प्रति रिक्त पदों की कुल संख्या का विवरण पदोन्नति हेतु गठित समिति के समक्ष रखेगा। **(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु समिति– इस समिति में निम्नलिखित होंगे:–** (एक) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा– अध्यक्ष/ सचिव (दो) मण्डलीय अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा– सदस्य (तीन) सम्बन्धित मण्डल का वरिष्ठतम मुख्य शिक्षा अधिकारी– सदस्य (चार) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकारी– सदस्य (3) पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण–पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त

करना होगा। यदि उक्त प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षो में प्राप्त नही किया जाता तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे :

(4) व्यायाम शिक्षकों के लिए नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (छ:) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे;

परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 56 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नही होगा।

नियम 5 (3) की श्रेणी में विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रकिया

17.(1) विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे; जिन्होंने-

(क) स्नातक उपाधि प्राप्त की हो,

(ख) नियम 8 में निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण किये हों।

(ग) नियम 8 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो।

टिप्पणी- विभागीय लिखित परीक्षा की प्रकिया में न्यूनतम सेवा अवधि सम्बन्धी प्राविधान लागू नही होंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष में इस हेतु निर्धारित विषयवार पदों की संख्या अवधारित करेगा तथा इसका विवरण तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अथवा निर्धारित परीक्षा संस्था के माध्यम से विभागीय सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करेगा। सम्बन्धित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थियो के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के योग से प्रकटित प्रवीणता के कम में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित मण्डलीय संवर्ग के महिला संवर्ग (महिला अभ्यर्थियों के मामले में) अथवा मण्डलीय सामान्य संवर्ग (महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में) के लिए आवंटित करेगा। किन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल/शाखा (सामान्य अथवा महिला) के सम्बन्धित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल/शाखा में सम्बन्धित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया जायेगा।

टिप्पणी- सीधी भर्ती (60 प्रतिशत) एवं विभागीय लिखित (10 प्रतिशत) सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उदाहरणार्थ यदि किसी वर्ष विशेष में सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी) पदोन्नति (प) और विभागीय लिखित परीक्षा (लि) तीनों प्रकार से 60, 30 और 10 के अनुपात में की जाती है और रिक्तियां 10 है तो ऐसी स्थिति मे 6 रिक्तियां सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा, 3 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा और 1 रिक्ति विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भरी जायेगी । चयन के पश्चात् संयुक्त सूची निम्न चक्रीय कम में तैयार की जायेगी

1. प0	4. सी0	7. सी0	10. प0
2. सी0	5. लि0	8. सी0	–
3. सी0	6. प0	9. सी0	–

	भाग 6 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता
नियुक्ति,	19.(1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15,16,17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा। (2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ यथा सम्भव तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों। (3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नत दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।
परिवीक्षा	20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी । (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।
स्थायीकरण	21. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि उसने – (क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो ; (ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो; (घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है ।

ज्येष्ठता

22. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जायेगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है,

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश मे कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हैं।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय ;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता हैं तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे

परन्तु यह कि–

(1) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नही मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।

	भाग 7 – वेतन आदि
वेतनमान	23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में अंकित हैं।
परिवीक्षा के दौरान वेतन	24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी: परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्वि के लिए नहीं गिनी जायेगी। (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा: परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्वि के लिए नहीं गिनी जायेगी। (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।
	भाग 8 – अन्य प्राविधान
पक्ष समर्थन	25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
सेवा शर्तो का शिथिलीकरण	27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।
व्यावृत्ति	28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

पद का नाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक :–

(क) परीक्षा :– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–

1. भाग – एक– शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। 100 अंक
2. भाग – दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। 100 अंक

आज्ञा से,

(आर०के० तोमर)
उप सचिव

संख्या: 181 /XXIV-3/14/02(77)2012

प्रेषक,

एस०राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 23 फरवरी, 2014

विषय:– बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: विविध/अका0/73877/साईकिल/2013–14 दिनांक: 09 जनवरी, 2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांक: 19.03.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या: 1924 /XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांक: 24.12.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय (Aided) विद्यालयों में भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है।

2– राज्य के मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समान है अतः ऐसे मैदानी जनपदों जहां की भौगोलिक परिस्थिति प्रतिकूल है, में अवस्थित शासकीय/अशासकीय (Aided) सहायता प्राप्त विद्यालयों की बालिकाओं को एफ०डी० का विकल्प दिये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 19.03.2013 एवं दिनांक: 24.12.2013 के क्रमशः प्रस्तर– 2(i) व प्रस्तर–3(i) में आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त के स्थान पर निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

इस संबंध में संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिन मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समतुल्य विषम है तथा जहां कहीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत बालिकाओं को साईकिल चला पाना संभव न हो, की पुष्टि के आधार पर संबंधित विद्यालयों की बालिकाओं को मुफ्त साईकिल के स्थान पर साईकिल के क्रय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन०एस०सी०/बैंक एफ०डी०/डाकघर एफ०डी० लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जिसके अन्तर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी। किन्तु उक्त से पूर्व ऐसे क्षेत्रों में साईकिल न चला पाने की पुष्टि के संबंध में सम्पूर्ण सुनिश्चितता संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा कर ली जायेगी। यदि किन्हीं क्षेत्रों/विद्यालयों में इस प्रकार से कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तब उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य की होगी।

उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश 19.03.2013 एवं दिनांक: 24.12.2013 की शेष समस्त शर्तें पूर्ववत यथावत लागू रहेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 212(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक: 19फरवरी,2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०राजू)
प्रमुख सचिव

क्रमशः–2

पृष्ठांकन संख्या: 181 /XXIV-3/14/02(77)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डल आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/ कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
10– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
12– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30–30 प्रतियां इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।

संख्याः ८४ /xxvii(7)10(08)/2005

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः२५ फरवरी, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु धुलाई भत्ता की दर का पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या–158/xxxi(4)/(एम)/04/8(3)2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–628/xxvii(7) घु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कौर्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिको हेतु पूर्व में अनुमन्य धुलाई भत्ता कमशः रू0 20/– एवं रू0 30/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 90/– प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव से पूर्व शर्तो के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त भत्ते की दर के उक्तवत् पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–158/xxxi(4)/(एम)/04/8(3)2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 एवं शासनादेश संख्या–628/xxvii(7)घु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 68 (1)/XXVII(7)10(08)/2005 तददिनाँक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशसनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

संख्या: 26 /XXVII(7)40(ix)/2011 टीसी.

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2014

विषय- पुनरीक्षित वेतन-संरचना में रू0 4800 या उससे कम ग्रेड वेतन पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01.11.2013 से वैयक्तिक रूप में प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान (यथास्थिति) की संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 770/XXVII(7)40(ix)/2011, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त शासनादेश में प्रस्तर-3 के निम्नलिखित "अंश" को प्रारम्भ से ही विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"अर्थात् वर्तमान में ए0सी0पी0 के रूप पा रहे ग्रेड वेतन के स्थान पर केवल पदोन्नति ग्रेड वेतन एवं पा रहे ग्रेड वेतन का अन्तर बढ़ा दिया जायेगा"।

2. उक्त शासनादेश उपर्युक्त सीमा तक प्रारम्भ से ही संशोधित समझा जायेगा।

3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी/राज्य आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा यथा समय ऑडिट/परीक्षण कराकर विभागों में तद्नुसार सही वेतन-निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 26 (1)/XXVII(7)40(ix)/2011 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1– प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।

6– स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

7– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।

8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह– स्टेट इंटरनल आडिटर उत्तराखण्ड, देहरादून।

9– सलाहकार (आडिट प्रकोष्ठ), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

10– विशेष कार्याधिकारी (विधि/वेतन आयोग), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

11– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12– निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

13– गार्ड फाइल।

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या: 100 /XXIV-3/14/03(29)2013

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 28 फरवरी, 2014

विषय:– मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 462/2013 प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप एक प्रशस्ति पत्र एवं रू0 1000/– की धनराशि का वितरण प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/अका0/75351/7(50)A–1/उ0सं0प्र0/2013–14 दिनांक: 13 जनवरी, 2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रशस्ति पत्र एवं रुपये 1000/– की धनराशि स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में शैक्षिक सत्र 2014–15 से प्रारंभ करते हुए इसका वितरण प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने एवं उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पुरस्कार वितरण हेतु निम्नवत् समिति गठित करते हुए प्रदेश में उक्त योजना को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	अध्यक्ष
2. वरिष्ठतम प्रधानाचार्य (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य सचिव
3. वरिष्ठतम प्रधानाचार्या(सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य
4. वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य
5. वरिष्ठतम प्रधानाध्यापिका (सम्बन्धित विकासखण्ड)	–	सदस्य

2– पुरस्कार वितरण हेतु निम्नांकित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) पुरस्कार वर्ष 2014 की परिषदीय परीक्षा से प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) विकासखण्ड स्तर पर स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार का वितरण नवम्बर माह में राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के अवसर पर किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त गठित समिति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से प्राप्त 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को पुरस्कृत किये जाने हेतु समारोह का आयोजन करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(iv) किसी विद्यार्थी की माता के न होने पर निकटस्थ महिला अभिभावक को पुरस्कार दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र माता के नाम का ही बनेगा।

(iv) दो या दो से अधिक पुत्र–पुत्रियों को पुरस्कार हेतु अर्ह होने पर प्रति विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(vi) सम्पूर्ण राज्य में प्रशस्ति पत्र को एकरूपता दिये जाने के उदेश्य से प्रशस्ति पत्रों का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 232(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 20 फरवरी 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०राजू)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 100 /XXIV-3/14/03(29)2013 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डल आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी/ कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
10– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
12– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
15– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
16– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30–30 प्रतियां इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
17– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर०के०तोमर)
संयुक्त सचिव।

संख्या– / /14–XXIV-4–10(06)2014

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 5 फ़रवरी, 2014

विषय–ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियो0/73783/5ख(3)बालिका सुवि0/2013–14, दिनांक 08– जनवरी,–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु वासुदेव ज0इ0का0 गगांनगर बांगर, जनपद रूद्रप्रयाग को ₹ 0.68 लाख (रूपये अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

5– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकि स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिर्वतन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

....2

7– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण इकाई को उपलबध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या –11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02 –माध्यमिक शिक्षा–110– गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 54 (1)/14–XXIV–4/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।

प्रेषक
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
तपोवन रोड ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में
समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–अर्थ–5क/83593-603/वेतन निर्धारण/2013–14 दिनांक07 मार्च 2014

विषय वेतन समिति की संस्तुतियों में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा वेतन समिति की संस्तुतियों में लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में जिज्ञासा की जा रही है। जनपदों एवं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जा रही है।

क0सं0	जिज्ञासा	उत्तर
1	दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद किसी समय उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण शासनादेश सं0 41/XXVII(7) दिनांक 13 फरवरी 2009 के अनुसार किया जायेगा अथवा नहीं।	नहीं। शासनादेश सं0 41/XXVII(7) दिनांक 13 फरवरी 2009 सीधी भर्ती के मामले में लागू है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण शासनादेश सं0 395/XXVII/7/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 12 के अनुसार किया जायेगा।
2	शिक्षकों का चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा या नहीं।	नहीं। शासनादेश सं0 45/चौबीस–2/13–09(05)/2009 दिनांक 26 अगस्त 2013 के अनुसार चयन/प्रोन्नत वेतन मान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22(ए)1 के अनुसार किया जायेगा। अर्थात चयन/प्रोन्नत वेतन मान स्वीकृत होने परकेवल ग्रेड वेतन का लाभ देय होगा और वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा।
3	चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा या नहीं	शासनादेश सं0 02/चौबीस–2/2013–09(05)/2009 दिनांक 03 जनवरी 2014 के अनुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति समान या उच्च ग्रेड वेतन में होती है तो उन्हे एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। निम्न ग्रेड वेतन में पदोन्नति होने पर वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

4	वेतनमान उच्चीकरण/संशोधन/वेतन पुनर्निर्धारण के बाद प्रथम वेतन वृद्धि कब देय होगी।	वेतनमान उच्चीकरण पर वेतन निर्धारण के बाद न्यूनतम छ: माह की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त आगामी वेतन वृद्धि की तिथि जनवरी/जुलाई होगी। उदाहरणार्थ शासनादेश सं0 74/XXVII/7/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 द्वारा उच्चीकृत वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण के उपरान्त प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2007 को देय होगी। यदि किसी कार्मिक/शिक्षक को पूर्व में प्राप्त वेतनमान के आधार पर वेतन वृद्धि की तिथि को वर्तमान में प्राप्त वेतन से अधिक वेतन प्राप्त होता तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित का वेतन पुनर्निर्धारित किया जा सकता है, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 01 वर्ष या 01 वर्ष के निकटस्थ जनवरी/जुलाई को उसे आगामी वेतनवृद्धि देय होगी।
5	शासनादेश 589XXVII(7)40(ix) /2011 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर लागू होगा या नहीं।	शासनादेश 589XXVII(7)40(ix) /2011 दिनांक 01 जुलाई 2013 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर लागू नहीं है।
6	शासनादेश 770XXVII(7)40(ix) /2011 दिनांक 06 नवम्बर 2013 की व्यवस्था के अनुसार कार्मिकों को ए0सी0पी0 अनुमन्य होने पर कौन सा ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा	शासनादेश 770XXVII(7)40(ix) /2011 दिनांक 06 नवम्बर 2013 की व्यवस्था के अनुसार ग्रेड वेतन 4800 से निम्न ग्रेड वेतन में कार्यरत कार्मिकों को उनके संवर्ग की प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में देय होगा। यदि किसी संवर्ग में पदोन्नति का पद नहीं है तो शासनादेश सं0 395/XXVII/7/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 की तालिका में उल्लिखित ग्रेड वेतन देय होगी।
7	शिक्षकों की पदोन्नति होने पर शासनादेश सं0 693/XXVII/7/2010 दिनांक दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा या नहीं।	नहीं। शासनादेश सं0 693/XXVII/7/2010 दिनांक दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के साथ संलग्न फिटमेन्ट तालिका 01 जनवरी 2006 को संशोधित वेतनमानों पर लागू है। प्रश्नगत फिटमेन्ट तालिका के अनुसार 01 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण के उपरान्त इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण शासनादेश सं0 395/XXVII/7/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 12 के अनुसार किया जायेगा, पदोन्नति पर शासनादेश सं0 693/XXVII/7/2010 दिनांक दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के साथ संलग्न फिटमेन्ट का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

8	दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद संशोधित /उच्चीकृत ग्रेड वेतन के प्रसंग में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा।	शासनादेश सं0 697/XXVII(7)30(1)08 दिनांक 11 सितम्बर 2013 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 अथवा बाद में ऐसे उच्चीकृत/संशोधन के लागू होने पर वेतननिर्धारण संशोधित ग्रेड वेतन और तदनुसार सुसंगत वेतन बैण्ड अनुमन्य होगा किन्तु वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा। परन्तु, यदि इस प्रकार आगणित वेतन बैण्ड में वेतन ऐसे उच्चीकरण/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01 जनवरी 2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए शासनादेश 41/XXVII(7)सी0वी0ए0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में ग्रेड वेतनानुसार उल्लिखित वेतन तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम वेतनबैण्ड से कम होता है तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने जनपद में वेतन निर्धारण करवाना सुनिश्चित करायें। वेतन निर्धारण के प्रकरणों पर अपने कार्यालय के वित्त अधिकारी का परामर्श अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। यदि वेतन निर्धारण में कोई कठिनाई हो तो वित्त अधिकारी निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में केस टू केस निदेशालय को कदापि प्रेषित न किये जांय।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–1/83593-603/वेतन निर्धारण/2013–14 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक मध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2– निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
4– अपर निदेशक सीमेट उत्तराखण्ड।
5– सचिव विद्यालयी परीक्षा परिषद उत्तराखण्ड।
6– अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
7– समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।
8– समस्त वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
9– लोक सूचना अधिकारी निदेशालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

7/3/17

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्याः– 437/xxxi(13)G–17(सू0अ0)/2014

प्रेषक,

सी0एम0 एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2014

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों से उनका विस्तृत व्यक्तिगत ब्यौरा न मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1/31/2013–IR दिनांक 08 जनवरी, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, कौलकता में रिट पिटीशन सं0–33290/2013 श्री अविशेक गोयन्का बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 20–11–2013 के सम्बन्ध में है।

2. मामले में मा0 उच्च न्यायालय, कौलकता में योजित रिट पिटीशन संख्या–33290/2013 श्री अविशेक गोयेन्का बनाम भारत सरकार में पारित आदेश दिनांक 20–11–2013 का कार्यकारी आदेश निम्नवत उद्धरित है–

> We have considered the relevant provisions of the statute. Section 6(2) of the Right to Information Act, 2005 would clearly provide, an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.
>
> Looking to the said provision, we find logic in the submission of the petitioner. When the legislature thought it fit, the applicant need not disclose any personal detail, the authority should not insist upon his detailed whereabouts particularly when post box number is provided for that would establish contact with him and the authority.

In case, the Authority would find any difficulty with the post box number, they may insist upon personal details. However, in such case, it would be the solemn duty of the authority to hide such information and particularly from their website so that people at large would not know of the details.

We thus dispose of this writ petition by making the observations as above. The Secretary, Ministry of Personnel should circulate the copy of this order to all concerned so that the authority can take appropriate measure to hide information with regard to personal details of the activist to avoid any harassment by the persons having vested interest.

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, **कोलकता** के उपर्युक्त आदेशों का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत **अनुपालन** सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव

संख्या:— /xxxi(13)G—2013—17(सू0आ0)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2— समस्त लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
संयुक्त सचिव

संख्या -385/XXVII(1)/2014

प्रेषक–

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक:19 मार्च, 2014

विषय– प्रदेश के कोषागारों में ई–पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से कोषागारों द्वारा शासकीय भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–191/XXVII(1)/2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि उन्हें आवंटित बजट के सापेक्ष समस्त देयकों को प्रत्येक दशा में दिनांक 20.03.2014 तक कोषागारों/उपकोषागारों से पारित कराना सुनिश्चित कर ले। ई–पेमेन्ट की इस व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर, कोषागार स्तर पर एवं राजकीय व्यवसाय किए जाने वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ई–पेमेन्ट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

1. सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को 22 मार्च, 2014 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाए तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय स्वीकृतियां एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्यस्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् 25 मार्च, 2014 तक अवश्य पहुंच जाए।

2. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल कम्प्यूटर से जनरेट कर विलम्बतम् 27 मार्च, 2014 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाए जिससे की प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चैकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई–पेमेन्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2014 तक भुगतान हेतु अथराइजेशन किया जा सके क्योंकि दिनांक 31मार्च, 2014 तक पारित बिलों का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च, 2014 की रात्रि 8.00 बजे तक ही हो पाएगा।

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के आभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-385/XXVII(1)/2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, देहरादून।

आज्ञा से

(एल०एम०पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–135 /XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.I

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2014

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(2) के अनुसार प्रति बच्चा वार्षिक व्यय निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–142/XXIV(1)2012-45/2008 T.C.I दिनांक 02 अप्रैल, 2012 में निःशुल्क मध्याह्न भोजन हेतु प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/1516/08-RTE(1)/2013-14 दिनांक 15-10-2013 एवं पत्र संख्या–अ0रा0प0का0/2361/08-RTE(1)/2013-14 दिनांक 23-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार द्वारा किये गये पुनरीक्षण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–142/XXIV(1)2012-45/2008 T.C.I दिनांक 02 अप्रैल, 2012 के प्रस्तर–(2) में निःशुल्क मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रति बच्चा व्यय निर्धारण विषयक तालिका में (मात्र प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित व्यय) को निम्न तालिकानुसार पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	पूर्व निर्धारित प्रति बच्चा वार्षिक व्यय	वर्तमान में निर्धारित प्रति बच्चा वार्षिक व्यय	पूर्व निर्धारित प्रति उपस्थित बच्चा प्रति दिन व्यय	वर्तमान स्वीकृत प्रति उपस्थित बच्चा प्रतिदिन व्यय
प्राथमिक स्तर	1165.00	1550.02	5.06	6.74

3– शासनादेश सं0–142/XXIV(1)2012-45/2008 T.C.I दिनांक 02 अप्रैल, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें/दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–356 (P)XXVII(3)/2013-14 दिनांक 11.03.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या–135/XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.I/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्त राखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
6– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/बेसिक/माध्यमिक उत्तराखण्ड।
9– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0 के माध्यम से)।
10– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–   /XXIV(1)/2014-25/2007

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)   देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2014

विषयः– मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भोजनमाता के चयन, कार्य से पृथक्करण एवं उनके कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2012 में आंशिक संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–शा0नि0/05/650/2013–14 दिनांक 31–01–2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भोजनमाता के चयन करने, उनको कार्य से पृथक करने व उनके कार्य एवं दायित्वों विषयक शासनादेश संख्या–542/XXIV(1)/2012-25/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुच्छेद–2 के बिन्दु–6 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

पूर्व में अनुच्छेद–2 के बिन्दु–6 में उल्लिखित	संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद–2 का बिन्दु–6
"यदि पूर्व से कार्यरत किसी भी भोजन माता का पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत न हो तो ऐसी दशा में जो भोजनमाता बाद में चयनित की गयी थी, उसे कार्य से पृथक किया जाए"।	"यदि पूर्व में कार्यरत किसी भोजनमाता का पाल्य अब विद्यालय में अध्ययनरत न हो तो ऐसी दशा में कार्यरत भोजनमाता को उनके पाल्य के विद्यालय छोड़ देने अथवा विद्यालय पास आउट के एक वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से कार्य से पृथक किया जाए"

उक्त शासनादेश संख्या–542/XXIV(1)/2012-25/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें /दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 169 /XXIV(1)/2014-25/2007/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक (बेसिक/माध्यमिक/अकादमिक, शोध एवं मूल्यांकन)।
7– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदे0 के माध्यम से)।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या: [illegible] /XXVII (7)02/20[illegible]

प्रेषक,

राकेश शर्मा
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/ कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून: दिनांक २ 5 मार्च, 2014

विषय: राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों को जिनका वेतन 01–01–2006 से पुनरीक्षित है, को 01–01–2014 से महगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या–557/XXVII(7)02/2013 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से महगाई भत्ता पुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों का 90 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–557/XXVii(7)02/2013, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों को महगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 01–01–2014 से महगाई भत्ता 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1595/ दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महगाई भत्ते को 01 जनवरी, 2014 से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले [illegible] सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अप्रैल 2014 से [illegible] अक्टूबर 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष [illegible] उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना सबंधित खाते में जमा तथा शेष [illegible] एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 104 /XXVII(7)02/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, औबराय भवन, माजरा, देहरादून।

2– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान इकाई) भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001।

5– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/ उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

6– प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

7– प्रमुख सचिव/ सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

9– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।

10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।

11– निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

12– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।

13– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

14– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

	विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान (रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो। इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।	
05(03)	<u>ब्लाक सन्दर्भ व्यक्ति (विज्ञान)</u> विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान (रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का विषय संयोजन रहा हो। इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।	ब्लाक सन्दर्भ व्यक्ति (विज्ञान) विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक /उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 में कार्यरत ऐसे अध्यापक **जिनका स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय रहा हो।** इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।
05(04)	<u>ब्लाक सन्दर्भ व्यक्ति (गणित)</u> विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरक0ार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान (रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान एवं गणित का विषय संयोजन रहा हो। इसके साथ ही समान वेतनमान में	विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयो मे समान वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका **स्नातक स्तर पर गणित विषय रहा हो।** इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।

<table>
<tr><td></td><td>सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।</td><td></td></tr>
<tr><td>05(05)</td><td><u>ब्लाक सन्दर्भ व्यक्ति (विज्ञान)</u>

विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान (रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र एवं भूगोल विषयों में से किन्ही दो विषयों का संयोजन रहा हो। इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।</td><td>विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में समान वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनका स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र एवं भूगोल विषयों में से कोई एक विषय रहा हो। इसके साथ ही समान वेतनमान में सम्बन्धित वर्ष की 01 अप्रैल को सेवा के 05 वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा परियोजना में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।</td></tr>
<tr><td>07 (02) ख
प्रशिक्षण योग्यता</td><td><u>प्रशिक्षण योग्यता</u>
प्रशिक्षण योग्ता हेतु अंकों का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा–
<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>निर्धारित गुणांक</th></tr>
<tr><td>01</td><td>एम0एड0</td><td>05 अंक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पी0एच0डी0</td><td>05 अंक</td></tr>
</table></td><td>प्रशिक्षण योग्यता हेतु अंकों का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–
<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>परीक्षा का नाम</th><th colspan="3">निर्धारित गुणांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एम. एड.</td><td colspan="3">05 अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">पी. एच. डी.</td><td>बी. आर. पी. पद हेतु</td><td>05 अंक</td><td>उसी विषय में पी.एच. डी. होने पर जिस विषय के बी.आर. पी. पद हेतु आवेदन किया हो</td></tr>
<tr><td>बी. आर. पी.</td><td>03 अंक</td><td>अन्य विषय में आवेदन किये जाने</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

						पद हेतु		पर
						पी. आर. पी. पद हेतु	05 अंक	–
07(02) (ग)	प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना में कार्य करने का अनुभव–01 वर्ष के लिए 01 अंक अधिकतम 05 अंक			प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना में कार्य करने का अनुभव 01 वर्ष के लिए 02 अंक अधिकतम 10 अंक				

3– शासनादेश सं0–744/XXIV(1)/2013-25/2006 दिनांक 01–08–2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें/दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 351 /XXIV(1)/2014–25/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0)।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड(द्वारा रा0परि0निदेशक)
8– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनु०–7
संख्या: 107/xxvii(7)7(1)/2003
देहरादून, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

कार्यालय ज्ञाप

सामान्य भविष्य निधि (उत्तराखण्ड), नियमावली 2006 के नियम 11(1) अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश), नियमावली के नियम 11(1) तथा अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 के नियम–9 जो उत्तराखण्ड में लागू है, एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 01–10–2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड, अंशदायी भविष्य पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदान पेंशन योजना में अभिदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01–04–2013 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01–04–2014 से 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

भवदीय,
(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 107 (1)/xxvii(7)7(1)/2003 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट, इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, देहरादून, रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति की 500 (पांच सौ) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या–367 /XXIV(1)/2014-07/2009 T.C.

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक 2। अप्रैल, 2014

विषय:– सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/677/05/(2013)/2013–14 दिनांक 13–12–2013 एवं पत्र संख्या–रा0प0का0/697/एम0डी0एम0/05/(2013)/2013–14 दिनांक 26–02–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मध्याह्न भोजन योजना के सफल कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ में विभिन्न कार्मिकों को वाह्य सेवा (Out Sourcing) रखे जाने विषयक शासनादेश संख्या–1784/XXIV(1)/2010-07/2009 T.C. दिनांक 07–02–2011 के प्रस्तर–(4) में निम्न पदों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता में निम्नानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

पदनाम	पूर्व में जारी शासनादेश में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	संशोधित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक	बी0कॉम/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट	बी0कॉम/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट/ राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन

3– शासनादेश संख्या–1784/XXIV(1)/2010-07/2009 T.C दिनांक 07–02–2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते/दिशा–निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /XXIV(1)/2014-07/2009 T.C./तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदे0 के माध्यम से)
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–373 /XXIV(1)/R-373/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 25 अप्रैल, 2014

विषय:–कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के विद्यार्थियों के अपेक्षित अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं/विषयों के संकेतकों (Indicators) पर अनुमोदन प्रदान करने विषक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0नि0/2685/पेडागॉजी (संकेतक) 2013–14 दिनांक 05–03–2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने एवं शिक्षण, मूल्यांकन तथा पूरक शिक्षण की व्यवस्था हेतु कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के लिए विभिन्न विषयवार शैक्षिक संकेतकों (Educational Indicators) पर शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3– कक्षा एवं विषयवार संकेतकों (Indicators) का विवरण निम्नवत् है:–

कक्षा एवं विषयवार संकेतक (Indicators)

विषय – हिन्दी

कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
अपने अनुभव एवं कहानियों को सुनाना और लिखना।	परिवेशीय वस्तुओं/घटनाओं/निकटस्थ व्यक्तियों पर विस्तार से लिखना।	किसी वस्तु, चित्र या दृश्य का अवलोकन कर उसका मौखिक व लिखित वर्णन करना।
कहानी को कविता व कविता को कहानी में बदलना।	किसी मजदूर/कर्मचारी का साक्षात्कार लेना व लिखना।	किसी महिला/समाजसेवी का साक्षात्कार लेना और लिखना।
किसी पैराग्राफ, प्रसंग, घटना, कविता को शीर्षक देना, उसकी विषय वस्तु के औचित्य पर चर्चा करना।	एक भाषा के पैरा या प्रसंग या पाठ को दूसरी भाषा में लिखना।	सरल नज्मों/गीतों को पढ़ना एवं उनका संकलन करना।
किसी पाठ या प्रसंग की विषय सामग्री को पढ़कर उसका सार बताना और अपने शब्दों में लिखना।	किसी दृश्य/चित्र का अवलोकन करके उसपर अपने विचार मौखिक/लिखित रूप मे व्यक्त करना।	किसी सुनी हुई कहानी, देखी गई फिल्म या टी0वी0 सीरियल पर चर्चा और उस पर राय व्यक्त करना।
प्रार्थना पत्र एवं दोस्तों और सम्बन्धियों को पत्र लिखना।	समाचार को कहानी और कहानी को समाचार में बदलना।	अखबार व पत्रिकाओं से प्रकाशित किए गए निबन्ध, कहानी, कविता, समाचार आदि

		विचारों का संकलन तथ्य–इन पर चर्चा करना।
लोक कथाओं और अन्य कहानियों में मौजूद कहावतों–मुहावरों की पहचान एवं उनका वाक्य प्रयोग करना।	दो वाक्यों को एक वाक्य व एक वाक्य को एक शब्द में लिखना।	किसी प्रसंग को समाचार वाचन, कहानी व कथा शिक्षण की शैली में बोलना।
पाठ में आये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों की पहचान व उनका वाक्यों में प्रयोग करना।	परिचित विषयों (घर, गाँव, मेला आदि) पर निबन्ध लिखना।	एक ही विषय के पक्ष और विपक्ष में दस–दस वाक्य या अधिक वाक्य बनाना।
देखी गई घटना, स्थानीय मेले–त्यौहार व अन्य विषयों का वर्णन करना अथवा निबंध लिखना।	मुहावरों–कहावतों का अर्थ समझना और उनका वाक्यों या प्रसंगों में प्रयोग करना।	लोक कथाओं और कहानियों में मुहावरों व कहावतों की खोज करना तथा उनके अर्थ लिखना।
अपने व दूसरों के अनुभवों को सुनाना और उन्हें लिखना।	किसी कहानी के पात्रों और स्थितियों को बदलकर उसका पुनर्लेखन करना।	किसी कहानी, नाटक, घटना व प्रसंग का सार लिखना।
किसी प्रसंग में वाक्यों का क्रम सही करना।	आनन्द के साथ किसी रचना का मौन पठन करना तथा सार लिखना।	किसी पाठ, कहानी के पात्रों और स्थितियों को बदलकर उसका पुनर्लेखन करना।
वाद–विवाद, भाषण, चर्चा, संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी करना।	वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण का प्रयोग करना।	दो या दो से अधिक कविताओं के लय की आपस में तुलना करना।
व्याकरणिक आधार पर शुद्ध–अशुद्ध, तत्सम–तद्भव, सार्थक–निरर्थक शब्दों को पहचानना एवं प्रयोग करना।	मित्रों व सगे–सम्बन्धियों को पत्र लिखना।	स्वर सन्धि (दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण), उपसर्ग, तथा प्रत्यय का नियमानुसार प्रयोग करना।

SUBJECT: ENGLISH

Class-6	Class-7	Class-8
Read the story written in English.	To read the story and poems and be able to make conversations on them.	Oral and written description of story, drama and songs.
To find out the meaning of the words from dictionary.	Use appropriate English words in conversation.	Use of same word in different contexts/reference.
After reading story and poem, to make others understand it.	Reading English Newspaper and analysing in own language.	Reading of English Newspaper /Magazine and be able to express the context in own language.
Write an essay/paragraph in five to ten sentences on given topics.	Active participation in school activities such as story telling drama, singing and debate.	Express own views about heard story/ film or serial.

To be able to speak about one self and surroundings in own words.	Development of story or poem from the given words.	To write story and poem with the help of given sentences in different context.
Write letters on different subjects.	Write essay on given topics.	To speak on given topics/context.
Active participation in different types of speech and debate.	Translation of short Hindi stories into English.	Oral and written description of any still picture or scenery.
After reading English Newspaper, try to explain to others.	Write ten to fifteen words on any incident or anecdotes.	To find out the Phrases and Idioms from folk tales and discussion on their meanings.
Recognition of different verbs and tenses in a given passage.	Use of Noun, Pronoun, Verb and Adjectives in sentences.	Explanation of given passage.
Translation of short Hindi Stories into English.	Use of correct punctuation in reading and writing.	Rewriting of any lesson, its characters and converting it in as per different situations.
Explanation of pictures.	Identify Genders, numbers, Synonyms and antonyms in sentences.	Identify and make words with the help of suffix and prefix.
Correct use of punctuation in writing.	Identify and make words with the help of suffix and prefix.	Interview of classmates in English.

विषय —गणित

कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
8 अंकों वाली संख्याओं में मूलभुत संक्रियाएं कर पाना तथा उन पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर पाना।	पूर्णांक तथा परिमेय संख्या वाली समस्याओं को हल कर पाना।	परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाना।
प्राकृतिक, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं वाली समस्याओं को हल कर पाना।	परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाना।	परिमेय संख्या वाले इबारती प्रश्नों को हल कर पाना।
अपवर्तक, अपवर्त्य, भाज्य, अभाज्य और विभाज्यता की समझ।	घात एवं घातांक के नियम की मदद से दिए गए प्रश्नों को हल कर पाना।	घात एवं घातांक के नियम की मदद से दिए गए प्रश्नों को हल कर पाना।
लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के प्रश्नों को हल कर पाना।	बीजीय व्यंजक को जोड़ना व घटाना तथा सरल समीकरणों को हल कर पाना	वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से सम्बन्धित प्रश्नों को हल कर पाना।
चर, अचर एवं बीजीय व्यंजक की समझ और एक चर वाले समीकरणों का हल कर पाना।	भिन्न, दशमलव एवं प्रतिशत को परस्पर परिवर्तित कर पाना।	2, 3, 5, 9, 10, की विभाज्यता की जाँच कर पाना।
अनुपात तथा समानुपात के प्रश्नों को हल कर पाना।	अनुपात, समानुपात का उपयोग, हानि एवं लाभ तथा साधारण ब्याज में कर पाना।	सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल कर पाना।
भिन्न को दशमलव एवं दशमलव को भिन्न में बदलना	कोण एवं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर पाना	बीजीय सर्व समिकाओं के उपयोग से दिए प्रश्नों को

तथा इन पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाना।	तथा उनकी सर्वांगसमता ज्ञात कर पाना।	हल कर पाना
रेखा, रेखाखण्ड, किरण, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को समझ पाना।	दी गई आकृतियों में से सममिति वाली आकृतियों को पहचान पाना।	प्रतिशत, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों को हल कर पाना।
त्रिभुजों को भुजा एवं कोण के आधार पर वर्गीकृत कर पाना।	चाँदे एवं परकार की सहायता से अलग–अलग अंश/डिग्री के कोण तथा त्रिभुज बना पाना।	चतुर्भुजों की रचना कर पाना।
विभिन्न प्रकार के कोणों को चाँदे व परकार की मदद से बना पाना।	घन, घनाभ, बेलन तथा शंकु के नेट चित्रण की पहचान तथा इनके फलक, कोर, शीर्ष ज्ञात कर पाना।	चतुर्भुज के परिमाप के लिए सूत्र निकाल पाना तथा इसकी सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल कर पाना।
दी गई आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कर पाना।	विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल से सम्बन्धित प्रश्नों को हल कर पाना।	घन, घनाभ का नेट चित्रण तथा घन, घनाभ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कर पाना।
यथा प्राप्त आँकड़ों को संग्रहीत कर चित्रीय निरुपण (चित्रालेख, बार ग्राफ) प्रदर्शित कर पाना।	दिए गए आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत कर पाना तथा माध्य, माध्यक और बहुलक के साधारण प्रश्नों को हल कर पाना।	दिए गए आंकड़ों को आलेख (दण्ड, द्विदण्ड एवं वृत्त आलेख) के रूप में प्रस्तुत कर पाना।

विषय–सामाजिक विज्ञान

कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
मानचित्र व प्रतीक चिह्नों की जानकारी तथा अपने विद्यालय का नजरी नक्शा बना पाना।	भारत के मानचित्र में अपने उत्तराखण्ड की व उत्तराखण्ड के मानचित्र में अपने जिले की स्थिति की जानकारी एवं नक्शा बनाना।	एटलस एवं ग्लोब के माध्यम से अक्षांश एवं देशान्तर रेखाओं की जानकारी तथा नक्शे में दर्शाना।
सौर परिवार, ग्रह उपग्रह तथा पृथ्वी की गतियों की जानकारी से सम्बन्धित क्रियाकलापों को बता पाना।	पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियों ज्वालामुखी तथा भूकम्प के कारणों की जानकारी एवं चर्चा करना।	विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की विशेषताओं की जानकारी।
मौसम एवं जलवायु की जानकारी तथा परिवेश में पायी जाने वाली फ़सलों का मौसम के साथ अंतःसंबंधों को बता पाना।	पृथ्वी के भौतिक मण्डल (स्थल, वायु व जल) तथा पर्यावरण का मानव से संबंधों की जानकारी।	भारत के प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों को मानचित्र में दर्शाना।
अपने आस–पास के जीविकोपार्जन के साधनों को पहचानना तथा उनके महत्व को बता पाना।	विश्व में एशिया महाद्वीप की स्थिति मानचित्र पर दर्शाकर उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना।	भारत के मानवीय संसाधनों का उल्लेख कर पाना तथा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अंतर को समझ पाना।
उत्तराखण्ड एवं भारत की धरातलीय बनावट की जानकारी एवं सम्बन्धित मॉडल तैयार करना।	भारत की भौगोलिक बनावट का वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अन्तर–सम्बन्धों को बता पाना तथा पर्यावरण का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव जानकारी।	उत्तराखण्ड में रोजगार की संभावनाओं को सूचीबद्ध करना।

इतिहास की जानकारी के स्रोतों की पहचान करना।	उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न बोलियों, लोकगीत, लोकनृत्य आदि के बारे में जानकारी तथा प्रोजेक्ट तैयार करना।	पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर तर्क प्रस्तुत करना एवं स्थानीय पर्यावरण संरक्षण पर प्रोजेक्ट तैयार करना।
आदि मानव के विकासक्रम की जानकारी समझ पाना।	सल्तनत कालीन व्यवस्था की जानकारी एवं विश्लेषण करना।	1857 की क्रान्ति के कारणों तथा परिणामों पर तर्क सहित बातचीत करना।
वैदिक कालीन समाज की तुलना वर्तमान समाज से करना।	मुगलकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजीवन पर तर्क करना।	भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित मुख्य घटनाओं को बता पाना।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुख्य स्थलों को मानचित्र में दर्शाकर प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना।	उत्तराखण्ड के मध्यकालीन शासकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजीवन पर चर्चा करना।	उत्तराखण्ड के राज्य निर्माण के घटनाक्रमों को सूचीबद्ध कर चर्चा करना।
मौर्यकाल, गुप्तकाल एवं हर्षवर्द्धन काल के शिलालेख, स्मारक एवं रचनाओं की जानकारी।	उत्तराखण्ड राज्य के गठन एवं स्वरूप की जानकारी।	जनमत एवं लोकतंत्र की जानकारी एवं उस पर चर्चा परिचर्चा करना।
उत्तराखण्ड राज्य की प्राचीन संस्कृति, वास्तुकला, साहित्य और सामाजिक राजनीतिक जीवन तथा परम्पराओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना।	संविधान के संदर्भ में कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी तथा व्यवहारिक प्रयोग।	भारत के विभिन्न देशों के साथ सम्बन्धों तथा नीतियों की जानकारी।
स्थानीय स्वशासन को पहचानना एवं उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी।	हमारी प्रमुख समस्याओं (गरीबी, निरक्षरता, छुआछूत, महंगाई आदि) पर तर्क प्रस्तुत कर पाना।	विविध अधिकारों (मानवाधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि) की जानकारी।

विषय –विज्ञान

कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
स्थानीय परिवेश की जैविक एवं भौतिक वस्तुओं का अवलोकन कर पहचान एवं वर्गीकरण करना।	वनों की उपयोगिता तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की जानकारी।	सूक्ष्म जीव के लाभ हानि एवं उपयोग पर जानकारी इकट्ठा कर कक्षा–कक्ष में साझा करना
विभिन्न प्रकार के स्थानीय पदार्थों / भोज्य पदार्थों का अवलोकन तथा क्यों व कैसे पर मौखिक / लिखित जानकारी रखना।	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर की वर्तमान समय में उपयोगिता की जानकारी।	जंतु एवं वनस्पतियों में प्रजनन एवं आनुवांशिकता की जानकारी।
अपने आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में अवस्था परिवर्तन एवं गुणधर्म की सैद्धान्तिक / प्रायोगिक जानकारी रखना।	विभिन्न प्रकार के जीवों के वास स्थान एवं भोज्य पदार्थों का अवलोकन कर बातचीत करना तथा लेखा–जोखा साझा करना।	मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी एवं आसपास के मशीनों की जानकारी इकट्ठा कर कक्षा–कक्ष में साझा करना।
समाचार पत्रों, आसपास के लोगों एवं स्वयं से कम्प्यूटर संबंधी	विभिन्न पदार्थों को गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में	'कम्प्यूटर के उपयोग एवं क्रियाविधि' की जानकारी तथा

जानकारी इकट्ठा कर उस पर बातचीत करना।	वर्गीकृत करना तथा इसके दैनिक जीवन में इसके उपयोग पर चर्चा करना।	प्रायोगिक क्रियाकलाप करना।
विभिन्न प्रकार के जीवों के बास स्थान की जानकारी तथा सम्बन्धित तथ्यों का लेखा–जोखा साझा करना।	ऊष्मीय प्रभाव एवं संचरण आधारित गतिविधियों की जानकारी तथा उस पर प्रयोग प्रदर्शन करना।	वायु एवं वायु से सम्बन्धित घटकों की जानकारी तथा व्यवहारिक जीवन में उपयोग पर बातचीत करना।
स्थानीय परिवेश में पाए जाने वाले पौधों के औषधीय महत्व की जानकारी एवं संग्रह करना तथा पौधे के विभिन्न भागों की जानकारी।	प्रतिबिम्ब का बनना तथा परावर्तन की अवधारणा की जानकारी।	ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी तथा उसके संरक्षण पर प्रोजेक्ट कार्य।
[illegible] प्रणाली के प्रयोग की जानकारी तथा स्थानीय परम्परागत प्रणाली की जानकारी।	जीवन की प्रक्रियाओं पर अपने अनुभव साझा कर चर्चा–परिचर्चा करना।	ध्वनि के विभिन्न स्रोतों तथा उससे उत्पन्न ध्वनियों की पहचान की जानकारी।
चाल, समय एवं दूरी का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक उपयोग करना।	स्थानीय परिवेश में पाई जाने वाली जड़ी–बूटियों की पहचान एवं संग्रह कर प्रोजेक्ट तैयार करना।	दर्पण एवं नेत्र की कार्यविधि की जानकारी तथा मॉडल/चार्ट प्रदर्शित करना।
विद्युत परिपथ तैयार करना, सुचालक तथा कुचालक की पहचान करना और चुम्बक तथा दिक्सूचक यंत्र द्वारा दिशा ज्ञात करना।	विद्युत एवं चुम्बक पर आधारित खेल–खिलौनों की कार्यविधि की जानकारी तथा व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना।	विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों के बारे में जानकारी तथा मॉडल/चार्ट प्रदर्शित करना।
सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण की अवधारणा की जानकारी एवं मॉडल प्रदर्शित करना।	दिए गए मिश्रण का यौगिक में पृथक्करण कर उसके अम्लीयता तथा क्षारीयता का पता लगाना।	विभिन्न आकाशीय घटनाओं की पहचान करना एवं उस पर अपनी राय देना।
जल के विभिन्न स्त्रोतों की जानकारी, जल चक्र, बादल, भूस्खलन, भूमिगत जल, धरातलीय जल, जल के गुणों एवं जल प्रदूषण पर प्रोजेक्ट तैयार करना।	समूह में, स्थानीय क्षेत्र में घटी प्राकृतिक आपदा की सूची बनाकर चर्चा–परिचर्चा करना।	विद्युत उपकरणों के उपयोग एवं सावधानियों की जानकारी इकट्ठा कर कक्षा में प्रस्तुतीकरण करना।
अपने परिवेश में पाए जाने वालों जीवों के प्रति संवेदनशीलता पर प्रोजेक्ट तैयार करना।	आसपास उपलब्ध संसाधनों को पहचानना एवं सदुपयोग करना।	समूह में, अपने क्षेत्र के नकदी फसलों की सूची बनाना तथा फसल चक्र पर चर्चा–परिचर्चा करना।

विषय –संस्कृत

कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
संस्कृत वर्णों की ध्वनियों को सुनकर पहचान पाना (जैसे अकारान्त, आकारान्त इकारान्त, ईकारान्त उकारान्त, ऊकारान्त [illegible]पद, विसर्ग, आदि)	• संस्कृत वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण एवं लेखन कर पाना। • अनुनासिक एवं अनुस्वार ध्वनियों का उच्चारण एवं लेखन कर पाना।	पठित अंश पर किए गए सरल प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना तथा सरल संस्कृत में प्रश्न पूछना।

संयुक्ताक्षर वर्णों की पहचान –द्य, द्ध, ट्ट, ह्म, ह्य, हृ, ह्न, ह्व, रू, क्ष, त्र, ज्ञ।	संयुक्ताक्षर वर्णों का उच्चारण, लेखन एवं विच्छेद कर पाना एवं महाप्राण ध्वनियों की पहचान कर पाना।	उचित गति, लय एवं शुद्ध उच्चारण सहित गद्यांशों का वाचन कर पाना।
संस्कृत पदों का उच्चारण कर पाना।	संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण के ऊपर बलाघात का प्रयोग करना।	संस्कृत श्लोकों का छन्दानुरूप गायन करना।
संस्कृत पद्य पाठों का आनन्दपूर्वक श्रवण एवं लयपूर्वक गायन कर पाना।	संस्कृत पदों का शुद्ध उच्चारण करना।	सूक्तियों, सुभाषितों एवं [illegible] का हिन्दी में अनुवाद करना।
संस्कृत गद्यांशों/पद्यांशों का अर्थ ग्रहण कर अर्थ बता पाना।	संस्कृत गद्य एवं पद्य पाठों का वाचन/गायन करना।	संस्कृत की लघु कथाओं, नाट्यांशों का सारांश हिन्दी में सुनाना।
संस्कृत वर्णों एवं पदों को सुनकर शुद्ध एवं स्पष्ट लेख में लिख पाना।	संस्कृत पाठों के लघु प्रश्नों के उत्तर मौखिक/लिखित रूप में संस्कृत में देना।	संज्ञा, विशेषण शब्दों के साथ विभक्तियों का प्रयोग करना।
संस्कृत पाठों के लघु प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे पाना।	सरल संस्कृत वाक्यों का हिन्दी अनुवाद कर पाना।	संज्ञा, अव्यय एवं विशेषण की जानकारी से वाक्य निर्माण करना।
चित्रकथा एवं नाटक विधा वाले पाठों पर वार्तालाप एवं अभिनय करना।	सरल संस्कृत वाक्यों में वार्तालाप करना।	संस्कृत में नाट्य पाठों पर नाट्य प्रदर्शन करना।
संस्कृत वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम के साथ क्रियापदों का सही अन्वय करना।	नाट्य विधा वाले पाठों पर वार्तालाप एवं अभिनय करना।	किसी वस्तु, घटना या विषय पर संस्कृत में स्वतंत्र वाक्य लिखना।
वाक्यों में विशेष्य के साथ सही 'विशेषण' का प्रयोग करना।	संस्कृत वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम के साथ क्रियापदों का सही अन्वय करना।	संस्कृत में 'स्वपरिचय' देना।
ऊष्म ध्वनियों– श, स, ष की पहचान कर उच्चारण कर पाना।	संधियुक्त पदों का विच्छेद करना।	संधियुक्त पदों का सन्धि विच्छेद करना।
लट्, लोट् लकारों के अनुरूप धातु प्रयोग कर सकना।	लट्, लोट्, लृट् लकारों के अनुरूप धातु प्रयोग करना।	धातुओं के साथ पूर्वकालिक क्त्वा/ल्यप् प्रत्यय लगाकर छोटे वाक्यों को जोड़ना।

4– कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी तदनुसार अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस० राजू)

प्रमुख सचिव।

-8/-

संख्या–   /XXIV(1)/R-373/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0)।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकरी(बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड(द्वारा रा0परि0निदेशक)
8– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या–117 /XXVII(6)–B.588–2014/2011

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनाँक 02 मई, 2014

विषय:– वैयक्तिक लेखा खाता (पी.एल.ए.) की वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया को ई–मोड में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार एवं मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शी एवं लाभार्थियों को त्वरित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर सरकारी भुगतान के लिये इलेक्ट्रानिक पद्धतियों का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया गया है। ई–मोड की प्रक्रिया के लागू हो जाने से सम्बन्धित विभागों/लाभार्थियों को जहां एक ओर कार्य करने में सरलता होगी, वहीं इनसे सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टों का रनटाईम जेनरेट करके प्राप्त किया जाना सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त भुगतान की समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा फर्जी भुगतानों में रोक हेतु यह प्रक्रिया प्रभावी होगी। ई–मोड से भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और त्वरित है।

2– अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में लागू **वैयक्तिक लेखा खाता (पी.एल.ए.)** की मैनुअल प्रकिया के स्थान पर **दिनांक** 01.07.2014 से **ई–पी.एल.ए.** की प्रक्रिया लागू करते हुये उक्त प्रक्रिया को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ विभागों को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–117 (1)/XXVII(6)–बी 588 –2014/2013 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. उप सचिव, वित्त (सेवायें) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, कोषागार 23 लक्ष्मी रोड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त के फलस्वरूप विद्यमान वित्तीय नियम संग्रह एवं सम्बन्धित नियमों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका में जहां जहां संशोधन अपेक्षित है, का प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. चीफ एकाउन्टेन्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक/महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक देहरादून/दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- 114 /XXVII(6)-B.588-2014/2011 का परिशिष्ट

ई-पी.एल.ए. (वैयक्तिक लेखा खाता) की प्रक्रिया

प्रशासक/सक्षम प्राधिकारी का दायित्व

1. ई-पी0एल0ए0 से सम्बन्धित आन लाइन कार्य वित्तीय डेटा सेंटर में एन0आई0सी0 के तकनीकी परामर्श एवं सहयोग से तैयार किये गये साफ्टवेयर पर किया जायेगा।
2. ई-पी0एल0ए0 कार्य करने वाले प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी जिन्हें निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें की विभागीय बेवसाईट ekosh.uk.gov.in पर Login ID व पासवर्ड प्राप्त है, वे इसका प्रयोग करके सम्बन्धित कार्य साफ्टवेयर पर कर सकेगें।
3. सम्बन्धित प्रशासक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार की बेवसाइट पर ई- पी0एल0ए0 से सम्बन्धित डाटा इन्ट्री कर भुगतानादेश कोषागार के लिये आन लाइन जनरेट करेंगे। उक्त भुगतानादेश में सम्बन्धित सभी सूचनाऐं यथा वेन्डर/सम्बन्धित का नाम, वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवंटित टिन नम्बर, पता, बैंक का नाम एवं बैंक खाता संख्या, IFSCode, वित्तीय वर्ष, अवधि, देय धनराशि, लेखाशीर्षक/स्कीम/अनुदान आदि जो भी सूचनाएं एवं विवरण पहले से निर्धारित हैं, का डाटा साफ्टवेयर पर सही-सही भरेंगे। किसी भी दशा में धनराशि बैंक के खाते में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।
4. आन लाइन ई-पी0एल0ए0 में सम्बन्धित कार्यालयों में भुगतानादेश तैयार करने की प्रकिया में मेकर एवं चेकर का रोल पृथक-पृथक होगा तथा इसके लिये सम्बन्धित प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने login पासवर्ड की सहायता से यूजर किएट किये जायेंगे। प्रत्येक रोल हेतु अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने login पासवर्ड का उपयोग किया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी कर्मचारी/अधिकारी की होगी।
5. प्रत्येक भुगतानादेश की एक Uniqe ID सिस्टम से स्वतः जनरेट होगी। जिसको save करने के उपरान्त विभिन्न रिपोर्ट जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-छः एवं सात के अध्याय-छः एवं पी0एल0ए0 नियमावली से सम्बन्धित हैं, अभी मैनुअल प्रकिया से तैयार किये जाते हैं, वे सभी सिस्टम से स्वतः जनरेट होंगे, जिसे सम्बन्धित प्रशासक/यूजर प्रिन्ट लेकर प्राप्त कर सकेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आन लाइन भुगतानादेश तैयार करते समय सम्बन्धित वेंडर/संस्था द्वारा सरकार को देय कर, शुल्क,पेनाल्टी या अन्य रिकवरी का विवरण भी भरा जायेगा ताकि वह धनराशि आन लाइन प्रकिया द्वारा सीधे राज्य सरकार के खाते में स्थानान्तरित हो सके।
7. कार्मिको एवं पेंशनरों के वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन का भुगतान भी नयी व्यवस्था के अनुरूप होगा। प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी कोषागार पोर्टल से ही वेतन/पेंशन बिल तैयार कर भुगतानादेश सीधे कार्मिकों/पेंशनरों के बैंक खाते में जमा करने हेतु तैयार करेंगे।
8. सम्बन्धित प्रशासक /आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार तैयार भुगतानादेश आदेश की प्रिन्ट की हुयी प्रति भौतिक रूप से कोषागार को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. भुगतानादेश का प्रिन्ट कोषागार देयक पंजिका में अंकित करके कोषागार/उपकोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार पंजिका के माध्यम से भुगतानादेश का अभिलेख आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी, जिसकी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर पंजिका में चस्पा किये गये हों, के द्वारा कोषागार/उपकोषागार में उपलब्ध कराया जायेगा।
10. कोषागार/उपकोषागार में भुगतानादेश का प्रिन्ट लेकर उपलब्ध कराने की प्रकिया अन्तरिम है। सम्बन्धित साफ्टवेयर में डिजिटिल सिंगनेचर के माध्यम से ई-पेमेंट की प्रकिया आरम्भ हो जाने पर कोषागार/उपकोषागार में ई-पी0एल0ए0 के भुगतानादेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11. प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी नेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

12. ई–पैमेंट के लाभार्थियों/अदाकर्ताओं के खाते में धनराशि के अन्तरण हो जाने की पुष्टि हेतु कोषागार पोर्टल से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं में बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. (यूनिक ट्रांजेक्शन नम्बर)भी होगा। उक्त यूटीआर नम्बर के विवरण को साइट से डाउनलोड कर बैंकों से पत्राचार के लिये संदर्भ (Reference) के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

13. प्रत्येक पी०एल०ए० प्रशासक द्वारा विगत माह के लेन–देन का मिलान कोषागार लेखे से अगली माह की 10वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। मिलान न करने पर कोषागार द्वारा उनके लेन–देन मिलान न होने तक बन्द कर दिया जायेगा।

14. साफ्टवेयर पर निर्धारित रूप–पत्र पर पी०एल०ए० का लेखा/कैश बुक का रख–रखाव योजनावार किया जायेगा। साफ्टवेयर पर योजनावार/विभागवार धनराशि सम्बन्धित योजना के अंतर्गत जमा कालम के अतर्गत दर्शायी जायेगी। उक्त योजना सम्बन्धी धनराशि का आन लाइन आहरण करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि के निर्गमन, योजना के डेबिट कालम में इसकी प्रविष्टि, सभी योजनाओं के योग एवं आहरण की प्रविष्टि तथा अवशेष आदि की एमआईएस रिर्पोट जनरेट करके इसका प्रिन्ट पंजिका के रूप में अभिलेख स्वरूप रखा जायेगा। कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा सत्यापित मासिक प्रविष्टि से इस पंजिका का मिलान कर कोषागार लेखा की धनराशि से मिलान किया जायेगा।

15. सभी पी०एल०ए० प्रशासक को शासकीय कार्यों हेतु आहरण वितरण अधिकारी के रूप में एक ई–मेल आईडी एन०आई०सी० के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त ई–मेल आईडी पर भविष्य में सभी आवश्यक एम०आई०एस० रिपोर्टों को उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषागार का दायित्व</u>

1. सम्बन्धित पी०एल०ए० प्रशासक /आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषागार में सम्बन्धित भुगतान की भुगतान एडवाईज यूनिक आई डी के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध कराने पर कोषागार अधिकारी यूनिक आईडी के माध्यम से डेटा अपलोड करेगा।

2. ऐसे प्रत्येक भुगतान के प्रकरण पर कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/ उपकोषाधिकारी इसकी जाँच एव सत्यता की परख उसी भांति करेंगे जैसे सभी देयकों को पारित करने से पूर्व किया जाना कोषागार स्तर पर नियमानुसार आवश्यक है। त्रुटि पाये जाने पर हार्ड कापी में प्राप्त भुगतान एडवाईज पर इसके निराकरण हेतु टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर करके इसे सम्बन्धित पी०एल०ए० प्रशासक /आहरण वितरण अधिकारी को वापस करेंगे साथ ही स्क्रीन पर आन लाइन आपत्ति के ऑपशन का प्रयोग करके आन लाइन आपत्ति भी लगायेंगे।

3. पी०एल०ए० के भुगतानादेश पारित करने से पूर्व इनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि की जाँच करके उपलब्ध/अवशेष धनराशि की सीमा तक के भुगतान ही किये जायेंगे। कोषागार/उपकोषागार स्तर पर पी०एल०ए० के अवशेष का आन लाइन रख–रखाव किया जाएगा।

4. धनराशि आहरित करने के लिए पी०एल०ए० प्रशासक/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की एडवाईज जनरेट करके कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित भुगतान की भुगतान एडवाईज के अनुसार इसे सही पाये जाने पर यूनिक आईडी के माध्यम से डेटा अपलोड करने के उपरान्त कोषागार अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक की सीआईएनबी (CINB) सुविधा से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि आन लाइन हस्तानान्तरित करेगा।

5. कोषागार में ई–पी०एल०ए० से सम्बन्धित आहरण/भुगतान की प्रक्रिया उसी भाँति अपनायी जायेगी जैसे ई–पेमेंट के शासनादेश संख्या 03/XXVII(6)/2013, दिनांक 02 जनवरी, 2013 की प्रक्रिया मे मेकर/चेकर–अपलोडर/ऑथराईजर द्वारा अपने–अपने रोल के अनुसार अपनायी जाती है।

6. प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख से पूर्व सम्बन्धित पी0एल0ए0 प्रशासक /आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार लेखा से धनराशि का मिलान न किये जाने पर कोषागार द्वारा अगले भुगतान को तब तक के लिये स्थगित रखा जायेगा जब तक मिलान एव लेखा सत्यापन पूर्ण न किया जाय।

बैंक का दायित्व

1. मैनुअल प्रकिया के अन्तर्गत पी0एल0ए0 के चेकों को पी0एल0ए0 प्रशासक/आहरण वितरण अधिका जमा किये जाने की पूर्व व्यवस्था ई–पी0एल0ए0 की आन लाइन भुगतान की व्यवस्था में स पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशि एवं इसके सापेक्ष भुगतान एवं अवशेष धनराशि के लेखे का रख–रख ... स्तर पर किया जायेगा।

2. ई–पेमेंट आदेश CINB पर Authorize करने के बाद कोषागारों/उपकोषागारों/ भुगतान एवं लेखा कार्यालयों से सम्बद्ध सभी एजेन्सी बैंकर्स उक्त ई–पेमेंट की लगेज फाईल दैनिक स्कॉल के साथ तत्काल सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय को उपलब्ध करायेगा। इस फाईल से कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय मे डेबिट स्कॉल स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जायेगा जिसके आधार पर कार्य दिवस के अन्त में लेखाबन्दी की जायेगी।

3. प्रदेश के सभी कोषागारों/उपकोषागारों के प्रतिदिन के ट्रान्जेक्शन का स्काल डेटा सेंटर/साईबर ट्रेजरी को उपलब्ध कराया जाएगा।

3– उपरोक्त प्रकिया दिनांक 01 जुलाई 2014 से लागू होगी।

(भास्करानन्द)
सचिव।

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-454/XXVII(6)-B.588-2014/2013

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-6 देहरादून: दिनांक 02 मई, 2014

विषय:- **नकद साख सीमा (सी.सी.एल)/जमा साख सीमा (डी.सी.एल.) की वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया को ई-मोड में किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार एवं मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शी एवं लाभार्थियों को त्वरित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर सरकारी भुगतान के लिये इलेक्ट्रानिक पद्धतियों का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया गया है। ई-मोड की प्रक्रिया के लागू हो जाने से सम्बन्धित विभागों/लाभार्थियों को जहां एक ओर कार्य करने में सरलता होगी, वहीं इनसे सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टों का रनटाईम जेनरेट करके प्राप्त किया जाना सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त भुगतान की समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा फर्जी भुगतानों में रोक हेतु यह प्रक्रिया प्रभावी होगी। ई-मोड से भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और त्वरित है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में लागू सी.सी.एल/डी.सी.एल. की मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर **दिनांक** 01-07-2014 से ई-सीसीएल/ई-डी.सी.एल. की प्रक्रिया लागू करते हुये उक्त प्रक्रिया को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ विभागों को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-454 (1)/XXVII(6)-बी 588 -2014/2013 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. उप सचिव, वित्त (सेवायें) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, कोषागार 23 लक्ष्मी रोड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त के फलस्वरूप विद्यमान वित्तीय नियम संग्रह एवं सम्बन्धित नियमों तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका में जहां जहां संशोधन अपेक्षित है, का प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी/कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. चीफ एकाउन्टेन्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक/महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक देहरादून/दिल्ली।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-454/XXVII(6)-B.588-2014/2011 का परिशिष्ट

ई- सी0सी0एल0 /डी0सी0एल0की प्रकिया

खण्डीय कार्यालय स्तर के दायित्व (परिशिष्ट-1)

1. ई-सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 से सम्बन्धित आन लाइन कार्य वित्तीय डेटा सेंटर में एन0आई0सी0 के तकनीकी परामर्श एवं सहयोग से तैयार किये गये साफ्टवेयर पर किया जायेगा।

ई-सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 कार्य करने वाले आहरण वितरण अधिकारी जिन्हे
2. निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें की विभागीय बेवसाईट ekosh.uk.gov.in पर Login ID व पासवर्ड प्राप्त है, वे इसका प्रयोग करके सम्बन्धित कार्य साफ्टवेयर पर कर सकेगें।

सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार की बेवसाइट पर ई-
3. सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 से सम्बन्धित डाटा इन्ट्री कर भुगतानादेश कोषागार के लिये आन लाइन जनरेट करेंगे। उक्त भुगतानादेश में सम्बन्धित सभी सूचनाऐं यथा वेन्डर/सम्बन्धित का नाम, वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवंटित टिन नम्बर, पता, बैंक का नाम एवं बैंक खाता संख्या, IFSCode, वित्तीय वर्ष, अवधि, देय धनराशि, लेखाशीर्षक/स्कीम/अनुदान आदि, जो भी सूचनाएं एवं विवरण पहले से निर्धारित है का डाटा साफ्टवेयर पर सही-सही भरेंगे।

4. आन लाइन ई-सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 में सम्बन्धित कार्यालयों में भुगतानादेश तैयार करने की प्रकिया में मेकर एवं चेकर का रोल पृथक-पृथक होगा तथा इसके लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने login पासवर्ड की सहायता से यूजर क्रिऐट किये जायेंगे। मेकर का कार्य आन लाइन भुगतानादेश को तैयार करना होगा तथा चेकर/अप्रूवर (खण्डीय लेखाकार) द्वारा आन लाइन भुगतानादेश का परीक्षण करके सही पाये जाने पर कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने की कार्यवाही के लिये आहरण वितरण अधिकारी को आन लाइन रूप से अग्रसारित कर दिया जायेगा। आन लाइन भुगतानादेश सही न पाये जाने पर पुनः मेकर को वापस किया जायेगा। सम्पूर्ण प्रकिया कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर आन लाइन की जायेगी।

प्रत्येक रोल हेतु अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने login पासवर्ड का उपयोग
5. प्रत्येक रोल हेतु अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी की होगी।
किया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी कर्मचारी/अधिकारी की होगी।

प्रत्येक भुगतानादेश की एक Uniqe ID सिस्टम से स्वतः जनरेट होगी। जिसको save करने
6. प्रत्येक भुगतानादेश की एक Uniqe ID सिस्टम से स्वतः जनरेट होगी। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-छः एवं सात के अध्याय-छः के उपरान्त विभिन्न रिपोर्ट जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-छः एवं सात के अध्याय-छः "राजस्व की प्राप्ति" एवं "निधियों की आपूर्ति और चैक" से सम्बन्धित है, अभी मैनुअल प्रकिया से तैयार किये जाते हैं, वे सभी सिस्टम से स्वतः जनरेट होंगे, जिसे सम्बन्धित अधिकारी/यूजर प्रिन्ट लेकर प्राप्त कर सकेगा।

आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आन लाइन भुगतानादेश तैयार करते समय सम्बन्धित
7. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आन लाइन भुगतानादेश तैयार करते समय सम्बन्धित वेंडर/संस्था द्वारा सरकार को देय कर, शुल्क,पेनाल्टी या अन्य रिकवरी का विवरण भी भरा जायेगा ताकि वह धनराशि आन लाइन प्रकिया द्वारा सीधे राज्य सरकार के खाते में स्थानान्तरित हो सके।

8. सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार तैयार भुगतानादेश आदेश की प्रिन्ट की हुयी प्रति भौतिक रूप से कोषागार को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. भुगतानादेश का प्रिन्ट कोषागार देयक पंजिका में अंकित करके कोषागार/उपकोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार पंजिका के माध्यम से भुगतानादेश का अभिलेख आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी, जिसकी आहरण वितरण अधिकारी

द्वारा प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर पंजिका में चस्पा किये गये हों, के द्वारा कोषागार/उपकोषागार में उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कोषागार/उपकोषागार में भुगतानादेश का प्रिन्ट लेकर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अन्तरिम है। सम्बन्धित साफ्टवेयर में डिजिटिल सिगनेचर के माध्यम से ई–पेमेंट की प्रकिया आरम्भ हो जाने पर कोषागार/उपकोषागार में ई–सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के भुगतानादेश उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

8. आहरण एवं वितरण अधिकारी नेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

11. ई–पैमेंट के लाभर्थियों/अदाकर्ताओं के खाते में धनराशि के अन्तरण हो जाने की पुष्टि हेतु कोषागार पोर्टल से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं में बैंक द्वारा प्रदत UTR No (यूनिक ट्रॉजेक्शन नम्बर)भी होगा। उक्त यूटीआर नम्बर के विवरण को साइट से डाउनलोड कर बैंकों से पत्राचार के लिये संदर्भ (Reference) के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

12. प्रत्येक खण्ड द्वारा विगत माह के लेन–देन का मिलान कोषागार लेखे से अगली माह की 10वी तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। मिलान न करने पर कोषागार द्वारा उनके लेन–देन मिलान न होने तक बन्द कर दिया जायेगा।

13. साफ्टवेयर पर निर्धारित रूप–पत्र पर सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 का लेखा/कैश बुक का रख–रखाव योजनावार किया जायेगा। साफ्टवेयर पर योजनावार/विभागवार धनराशि सम्बन्धित योजना के अंतर्गत जमा कालम के अंतर्गत दर्शायी जायेगी। उक्त योजना सम्बन्धी धनराशि का आन लाइन आहरण करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि के निर्गमन, योजना के डेबिट कालम में इसकी प्रविष्टि, सभी योजनाओं के योग एवं आहरण की प्रविष्टि तथा अवशेष आदि की एमआईएस रिर्पाट जनरेट करके इसका प्रिन्ट पंजिका के रूप में अभिलेख स्वरूप रखा जायेगा। कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा सत्यापित मासिक प्रविष्टि से इस पंजिका का मिलान कर कोषागार लेखा की धनराशि से मिलान किया जायेगा।

14. सभी खण्डीय कार्यालयों को शासकीय कार्यो हेतु सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 आहरण वितरण अधिकारी के रूप में एक ई–मेल आईडी एन0आई0सी0 के माध्यम से उपललब्ध करायी जायेगी। उक्त ई–मेल आईडी पर भविष्य में सभी आवश्यक एम0आई0एस0 रिपोर्टो को उपलब्ध कराया जायेगा।

कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषागार का दायित्व

1. सम्बन्धित खण्ड/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/ उपकोषागार में सम्बन्धित भुगतान की भुगतान एडवाईज यूनिक आई डी के साथ भौतिक रूप से उपलब्ध कराने पर कोषागार अधिकारी यूनिक आईडी के माध्यम से डेटा अपलोड करेगा।

2. ऐसे प्रत्येक भुगतान के प्रकरण पर कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/ उपकोषाधिकारी इसकी जॉच एवं सत्यता की परख उसी भॉति करेंगें जैसे सभी देयकों को पारित करने से पूर्व किया जाना कोषागार स्तर पर नियमानुसार आवश्यक है। त्रुटि पाये जाने पर हार्ड कापी में प्राप्त भुगतान एडवाईज पर इसके निराकरण हेतु टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर करके इसे सम्बन्धित खण्ड/आहरण वितरण अधिकारी को वापस करेंगें साथ ही स्कीन पर आन लाइन आपत्ति के ऑपशन का प्रयोग करके आन लाइन आपत्ति भी लगायेंगे।

3. सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के भुगतानादेश पारित करने से पूर्व इनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि की जाँच करके उपलब्ध/अवशेष धनराशि की सीमा तक के भुगतान ही किये जायेंगे। कोषागार/उपकोषागार स्तर पर सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के अवशेष का रख-रखाव किया जाएगा।

4. धनराशि आहरित करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की एडवाईज जनरेट करके कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित भुगतान की भुगतान एडवाईज के अनुसार इसे सही पाये जाने पर यूनिक आईडी के माध्यम से डेटा अपलोड करने के उपरान्त कोषागार अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक की सीआईएनबी (CINB) सुविधा से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि आन लाइन हस्तान्तरित करेगा।

5. कोषागार में ई-सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 से सम्बन्धित आहरण/भुगतान की प्रकिया उसी भाँति अपनायी जायेगी जैसे ई-पेमेंट के शासनादेश संख्या 03/XXVII(6)/2013, दिनांक 02 जनवरी, 2013 की प्रकिया मे मेकर/चेकर-अपलोडर/आॅथराईजर द्वारा अपने-अपने रोल के अनुसार अपनायी जाती है।

6. प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख से पूर्व सम्बन्धित खण्ड/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार लेखा से धनराशि का मिलान न किये जाने पर कोषागार द्वारा अगले भुगतान को तब तक के लिये स्थगित रखा जायेगा जब तक मिलान एवं लेखा सत्यापन पूर्ण न किया जाय।

बैंक का दायित्व

1. मैनुअल प्रकिया के अन्तर्गत सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 के चेकों को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सीधे बैंक मे जमा किये जाने की पूर्व व्यवस्था ई-सी0सी0एल0/डी0सी0एल0 की आन लाइन भुगतान की व्यवस्था में समाप्त हो जायेगी। निर्धारित साख सीमा एवं इसके सापेक्ष भुगतान एवं अवशेष धनराशि के लेखे का रख-रखाव कोषागार स्तर पर किया जायेगा।

2. ई-पेमेंट आदेश CINB पर Authorize करने के बाद कोषागारों/उपकोषागारों/ भुगतान एवं लेखा कार्यालयों से सम्बद्व सभी एजेन्सी बैंकर्स उक्त ई-पेमेंट की लगेज फाईल दैनिक स्कॉल के साथ तत्काल सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय को उपलब्ध करायेगा। इस फाईल से कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एव लेखा कार्यालय मे डेबिट स्कॉल स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जायेगा जिसके आधार पर कार्य दिवस के अन्त मे लेखाबन्दी की जायेगी।

3. प्रदेश के सभी कोषागारों/उपकोषागारों के प्रतिदिन के ट्रान्जेक्शन का स्काल डेटा सेंटर/साईबर ट्रेजरी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या- /xxiv- नवसृजित/2014-12(02)/2012

प्रेषक,

आर0के0 तोमर
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित
देहरादून दिनांक मई, 2014

विषयः— अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ प्राप्त शिक्षकों एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात् दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/महानिदे0/7530/A(5)/2013—14 दिनांक 17.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ प्राप्त शिक्षकों एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात् दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—885/xxiv- 2/2005 दिनांक 29.08.2005 के प्रस्तर—2 में उल्लेख है कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात् 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिये जाने पर सेवानिवृत्त लाभों हेतु अनुमन्य नहीं होगा। शासनादेश संख्या—329/XXIV—2/10—9(11)/2008 दिनांक 08.04.2011 यथा संशोधित शासनादेश संख्या—848/XXIV—2/11—9(11)/2008 दिनांक 20.09.2011 एवं शासनादेश संख्या—376/XXIV—2/12—9(11)/2008 दिनांक 01.06.2012 में व्यवस्था है कि कार्मिक को स्वेच्छा से विधिवत आवेदन के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सत्रांत लाभ की अनुमन्यता होगी। अधिवर्षता आयु के पश्चात् 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ एवं शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ तभी अनुमन्य होता है जब संबंधित शिक्षक शारीरिक एवं मानसिक रुप से पूर्णतः स्वस्थ हो।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण में अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अंत तक सत्रांत लाभ प्राप्त शिक्षकों एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षकों को नियमानुसार चिकित्सा अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या— (1)/xxiv-2/2014-12(02)/2012 —तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वी0 एस0 पुण्डीर)
अनु सचिव

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।

सेवामें,

1– अपर निदेशक मा0शि0/प्रा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
2– अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून।
3– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4– अपर निदेशक, सीमैट उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6– समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।
7– समस्त वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
8– समस्त उप शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– अर्थ–5(क)/ /जी0पी0एफ0 सत्यापन/ 2014–2015 दिनांक/9 अप्रैल 2014

विषयः– अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि मिलान प्रकरणों को 12 माह पूर्व महालेखाकार को प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 09/XXVII (28)/2014 /वित्त आडिट प्रकोष्ठ / देहरादून दिनांक 21 अप्रैल 2014 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के 12 माह पूर्व जी0पी0एफ0 मिलान प्रकरण प्रधान महालेखाकार (ले0एवं हक0) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित न किये जाने के कारण मिलान प्रकरण काफी कम संख्या में प्राप्त हो रहे जिससे जी0पी0एफ0 अधिक भुगतान प्रकरणों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अधिक भुगतान के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रधान महालेखाकार(ले.एवं हक) उत्तराखण्ड एवं शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अभिदाताओं के जी0पी0एफ0 मिलान प्रकरण उनकी अधिवर्षता तिथि के 6 से 12 माह पूर्व सत्यापन हेतु अनिवार्य रूप से जी0पी0एफ0 पासबुक कार्यालय प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि अभिदाताओं की अधिवर्षता तिथि को उनके सामान्य भविष्य निधि के सम्पूर्ण भुगतान की व्यवस्था हो सके तथा साथ ही अधिभुगतान /वसूली प्रकरणों में कमी आये।

अतः अनुरोध है कि अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर सभी आहरण वितरण अधिकारियों की एक बैठक ली जाय और निर्देश दिये जायें कि वे माह जून 2015 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी अभिदाताओं के प्रकरण तैयार करते हुए जी0पी0एफ0 पासबुक मिलान हेतु अनिवार्य रूप से प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक) उत्तराखण्ड को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि जी0पी0एफ0 अधिक भुगतान की स्थिति पैदा न हो। जी0पी0एफ0 पासबुक सत्यापन उपरान्त 90 प्रतिशत संतुति हेतु प्रकरण समयान्तर्गत विभागाध्यक्ष को प्रेषित करते हुए शासनादेश में वर्णित प्राविधानों का पूर्णतया पालन करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बधित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0के0जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून

पृ0सं0–अर्थ–5(क)/3994-4003 /जी0पी0एफ0सत्यापन/2014–2015 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक) उत्तराखण्ड ।
2– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादून।
3– निदेशक मा0शि0/प्रा0शि0 एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

(पी0के0जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2
संख्याः 234/XXX–(2)/2014–30(17)/2014
देहरादून:दिनांक 21 मई, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) (संशोधन) नियमावली–2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1(1)इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–3 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) व (दो) का संशोधनः–

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (प्रारम्भिक परीक्षा) नियमावली, 2002 के नियम 3 के उपनियम (4) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड(एक) एवं (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड (एक) एवं (दो) रख दिये जायेगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(एक) प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर–बराबर अंक के दो प्रश्न–पत्र होंगे। इनमें एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान तथा दूसरा प्रश्न–पत्र उन विषयों में से एक का होगा, जिसका विकल्प अभ्यर्थी द्वारा उस सेवा के मुख्य परीक्षा के लिये अनुमत वैकल्पिक विषयों में से किया जायेगा।	(एक) सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में, दो घण्टे की अवधि के बराबर–बराबर अंक के दो अनिवार्य प्रश्न–पत्र होंगे, इनमें एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन तथा दूसरा प्रश्न–पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, किन्तु अन्य सेवाओं के चयन

विशेष– शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–956/XXX(2)/2009, दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया था:–

मूल नियमावली के नियम– 3 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्

"परन्तुक यह कि विशेष परिस्थिति में आयोग शासन के पूर्वानुमोदन से सामान्य ज्ञान के केवल एक प्रश्न–पत्र के आधार पर भी प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करा सकेगा"।

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान और पद पर कार्य की प्रकृति से सुसंगत विषय पर होगा।

विशेष– अवगत कराना है कि आयोग के पत्र संख्याः 140/पाठ्यक्रम/समूह 'ग'/सीधी भर्ती/अतिगोपन–2/2012–13 दिनांक 07.08.2012 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 854/XXX(2)/2012 दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को इस खण्ड में निम्नवत् संशोधन किया गया था:–

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, प्रारम्भिक परीक्षा में दो घण्टें की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य ज्ञान विषय पर होगा।

(उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) को छोड़कर) हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रारम्भिक /स्क्रीनिंग परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा।

परन्तु यह कि जहां किसी चयन हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शासन द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदित है, वहां अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न –पत्र प्रारम्भिक/ स्क्रीनिंग परीक्षाओं के लिये होगा।

(दो) उस दशा में जहां केवल साक्षात्कार द्वारा ही चयन विहित हो, स्क्रीनिंग परीक्षा में दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, किन्तु जहां केवल साक्षात्कार के माध्यम से किसी पद विशेष पर चयन हेतु शासन द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदित है, वहां अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर दो घण्टे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र स्क्रीनिंग परीक्षा के लिये होगा।

आज्ञा से,
(डॉ0 एस0एस0संधु)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ।

सेवामें,

1– अपर निदेशक मा0शि0/प्रा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौढ़ी/कुमांयु मण्डल नैनीताल।
2– अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून।
3– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4– अपर निदेशक, सीमैट उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6– समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।
7– समस्त वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
8– समस्त उप शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 उत्तराखण्ड। दिनांक ... मई 2014

पत्रांक:– अर्थ–5(क)/ .... /जी0पी0एफ0 ब्याज दर/ 2014–2015

विषय:– सामान्य भविष्य निधि , अंशदायी भविष्य निधि उत्तराखण्, पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदायी पेंशन योजना में ब्याज दर के सम्बध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 107/**XXVII** (7)7(1)/2003 /वित्त (वे0आ0 सा0नि0)अनु0–7 देहरादून
दिनांक 04 अप्रेल 2014 की छाया प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में वर्णित ब्याज दर के
आधार पर सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड अंशदायी भविष्य पेंशन बीमा निधि एवं नई अंशदान पेंशन
योजना में अभिदाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा
कुल राशि पर दिनांक 01–04–2013 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अप्रेल 2013 से प्रारम्भ
होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 में जमा धनराशि तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल
राशि पर दिनांक 01–04–2014 से 8.7 (आठ दशमलव सात प्रतिशत) होगी।

अतः शासनादेशानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए उक्त निधियों में ब्याज दर 8.7 प्रतिशत (आठ
दशमलव सात प्रतिशत) होगी । शासनादेशानुसार उक्त वर्षो में ब्याज का आगणन किये जाने हेतु निर्देश अपने अधीनस्थ आहरण
वितरण अधिकारियों को तत्काल देना सुनिश्चित करें, ताकि अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले अभिदाताओं को उक्त वर्षों में ब्याज
की पूर्व निर्धारित दर 8.8 से भुगतान न होने पाये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0के0जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून

पृ0सं0:–अर्थ–5(क)/ 1149? – 5?? / जी0पी0एफ0 ब्याज दर/2014–2015 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) उत्तराखण्ड ।
2– निदेशक मा0शि0/प्रा0शि0 एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

(पी0के0जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवामें,

1-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3-निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- अर्थ-5(क)/ 4926-36 /जी.पी.एफ. अग्रिम/2014-2015 दिनांक 26 मई, 2014

विषय:- सामान्य भविष्य निधि से लिये गये स्थाई आहरणों / अग्रिमों के स्वीकृति आदेशों की प्रति उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 29/XXIV(28)2014 वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादून दिनांक देहरादून दिनांक 12 मई, 2014 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है, के सामान्य भविष्य निधि से आहरण/अग्रिम स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृति आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत किये जाने वाले समस्त प्रकार के अग्रिमों के स्वीकृति आदेशों की एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को पृष्ठांकित कर उन्हें अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,
26/5/14
(पी0 के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0:-अर्थ-5(क)/ ——— /जी.पी.एफ. अग्रिम/2014-2015 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2-सचिव वित्त, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
4-सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5-अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी / कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6-वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7-समस्त वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(पी0 के0 जोशी)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– समस्त वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा,
कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: अर्थ–5क/4915-25/से0नि0लाभ/2014–15 दिनांक 21 मई, 2014

विषय:– अधिवर्षता प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्त लाभों के समयबद्ध निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना सम्बन्धी एक प्रकरण में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के लिए अनुचित विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सम्यक कार्यवाही के साथ समयावधि के बाद लगे समय के लिए देय राशि पर ब्याज दिये जाने की स्थिति का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए माननीय सूचना आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा के साथ यह अपेक्षा भी की गयी है कि सेवा निवृत्त कार्मिकों के देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक वर्ष माह 31 मार्च से जुलाई तक चार माह युद्धस्तर पर भुगतान कराने हेतु अभियान चलाया जाय। जिसमें वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों के देयकों का भुगतान हो चुका है। उक्त कार्य हेतु वित्त अधिकारी जनपद के नोडल अधिकारी होंगे। समयान्तर्गत सेवा निवृत्त लाभों के भुगतान हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1– पेंशन एवं ग्रेज्यूटी:– सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी की अधिवर्षता की तिथि से पूर्व 10–12 माह पूर्व सेवा पंजिका की प्रविष्टियां पूर्ण करा ली जाय, सेवा निवृत्ति के 06 माह शेष रहने पर पेंशन प्रपत्र भरकर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जाय, जिससे सेवानिवृत्ति तक सम्बन्धित की पेंशन/ग्रेज्यूटी भुगतान आदेश प्राप्त हो जाय।

2– सा0भ0नि0:– सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी की अधिवर्षता की तिथि से 10–12 माह पूर्व शासनादेश संख्या 09/XVII(28)/2014/वित्त आडिट प्रकोष्ठ/देहरादून: दिनांक 21 अप्रैल 2014 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार सा0भ0नि0 पास बुक मिलान हेतु महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित की जाय। अधिवर्षता की तिथि से 06 माह पूर्व मासिक अभिदान की कटौती बन्द करते हुए 90% भुगतान की स्वीकृति हेतु सा0भ0नि0 प्रकरण विभागाध्यक्ष को प्रेषित किये जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा 90% की संस्तुति के उपरान्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारी 90% की स्वीकृति जारी करते हुए 10% भुगतान की स्वीकृति हेतु सा0भ0नि0 पासबुक, प्रपत्र–425 एवं अन्य प्रपत्र के साथ महालेखाकार को प्रेषित किया जाय, जिससे सेवा निवृत्ति तिथि तक सम्बन्धित या 10% भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हो जाय। अधिवर्षता की तिथि से पूर्व सा0भ0नि0 90% एवं 10% का भुगतान कदापि न किया जाय।

3– अवकाश नगदीकरण:– सेवा पुस्तिका पेंशन स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व अवकाश लेखा सेवा पंजिका से अलग करते हुए, सेवा निवृत्त होने वाले माह के अन्तिम तिथि को अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अवकाश लेखा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।

4– सामूहिक बीमा:– अधिवर्षता की तिथि पूर्ण करने के दिनांक की अगली तिथि को सम्बन्धित का सामूहिक बीमा प्रकरण तैयार कर कोषागार को प्रस्तुत कर दिया जाय।

सेवा निवृत्त लाभों की सूचना तैयार करने हेतु कार्यालय/विद्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष, विकासखण्ड स्तर पर माध्यमिक शिक्षा हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्रा0शि0 हेतु उप शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर वित्त अधिकारी नोडल अधिकारी घोषित किये जाते हैं। जनपदीय नोडल अधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सेवा निवृत्त प्रकरणों की समीक्षा करेंगे।

क्रमशः/–

उक्तानुसार सेवा निवृत्ति प्रकरणों का समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। कार्यालय, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर सूचना रखे जाने हेतु प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है, संलग्न प्रपत्रों के अनुसार पंजिकायें तैयार कर ली जाय तथा निरीक्षण के दौरान इन पंजिकाओं का निरीक्षण किया जायेगा। जनपद स्तर से निदेशालय को प्रतिमाह 15 तारीख तक सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में जनपदीय नोडल अधिकारी दिनांक 15 जुलाई को इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे कि जनपद के समस्त सेवानिवृत्ति शिक्षकों/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा निवृत्त लाभों के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

अतः दिनांक 31.03.2014 तक सेवा निवृत्त हुए कार्मिकों के सम्बन्ध मे जनपदीय नोडल अधिकारी (वित्त अधिकारी) इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 15–07–2014 को इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे कि जनपद के समस्त सेवानिवृत्ति शिक्षकों/प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा निवृत्त लाभों के समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

कृपया निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(पी० के० जोशी)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पृ०सं०/अर्थ–5क/4915-25/से०नि०ला०/2014–15 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर निदेशक, मा०शि०/प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

24/7/14

(पी० के० जोशी)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विद्यालय/कार्यालय स्तर पर रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

क्र0सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	अधिवर्षता का दिनांक	सेवा निवृत्ति प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति									
			पेंशन/ग्रेच्युटी		सा0बीमा		जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत		जी0पी0एफ0 10 प्रतिशत		अवकाश नगदीकरण	
			प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति

विकास खण्ड स्तर पर रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

क्र०सं०	नाम विद्यालय/कार्यालय	अधिवर्षता का	सेवा निवृत्ति प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति									
			पेंशन/ग्रेज्यूटी		सा०बीमा		जी०पी०एफ० 90 प्रतिशत		जी०पी०एफ० 10 प्रतिशत		अवकाश नगदीकरण	
			प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति

प्रपत्र – ग

जिला स्तर पर रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

क्र0सं0	नाम विकासखण्ड / कार्यालय	अधिवर्षता का दिनांक	सेवा निवृत्ति प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति									
			पेंशन / ग्रेच्यूटी		सा0बीमा		जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत		जी0पी0एफ0 10 प्रतिशत		अवकाश नगदीकरण	
			प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति	प्रकरण भेजने का दिनांक	निस्तारण की स्थिति

संख्या 102-A /XXX(2)/2014 30(5)2014

प्रेषक,
सी०एम०एस० बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 जून, 2014

विषय- राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 एवं यथा संशोधित (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के प्राविधानों तथा कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा राज्य सरकार के अधीन राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2- वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3- अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ाँचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढ़ाँचे में स्वीकृत संवर्ग/पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्ध है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण का भी पालन किया जायेगा।

4– उक्त के निमित्त प्रक्रिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की विद्यमान स्थिति का ऑकलन करते हुए विकलांग कर्मियों की संख्या भी उनको अनुमन्य श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार ऑकलित की जायेगी और तद्नुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मॉंग प्रेषित किया जायेगा, जिसके क्रम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5– अन्य प्रकरणों में जहाँ विभाग के संरचनात्मक ढाँचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 30(5)2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या: 163/xxiv– नवसृजित/2014–1(30)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग– नवसृजित देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2014

विषय: रिट याचिका संख्या–189/एस0बी0/2011 श्री राजेन्द्र सिंह बनकोटी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 एवं याचिका संख्या–191/एस0बी0/2011 श्रीमती तुलसी देवी बनकोटी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2013 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–वाद–10/8317/2014–15 दिनांक 03.07.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित रिट याचिका संख्या–189/एस0बी0/2011 श्री राजेन्द्र सिंह बनकोटी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 एवं याचिका संख्या–191/ एस0बी0/2011 श्रीमती तुलसी देवी बनकोटी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार दिये जाने वाला लाभ उन कार्मिकों को ही दिया जाये जो मौलिक रूप से प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त/पदोन्नत रहे हों।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या: 163 (1)/XXIV–नवसृजित/2014–1(20)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 अपर मुख्य सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–888 /XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.-III
देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2014

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–2 के उपधारा (ज) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु निर्धारित कर्तव्य विषयक अधिसूचना सं0–844/XXIV(1)/2014-45/2008 T.C.III दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है। उक्त अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां शिक्षा–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
9– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– समस्त मेयर, नगर निगम/जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड।
13– निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
14– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
15– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नक:–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)
संख्या-844/XXIV(1)/2014-45/2008-T.C-III
देहरादून: दिनांक 16 जुलाई,2014

अधिसूचना

विषय- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 9 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय प्राधिकारी की पहचान।

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के उपधारा (ज) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी को निम्नवत परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर परिषद् अथवा जिला परिषद् अथवा नगर पंचायत अथवा पंचायत, अथवा जिस किसी भी अन्य नाम से इस प्रकार के प्राधिकारी को जाना जाता हो अथवा जिनका विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण हो अथवा किसी नियम के अन्तर्गत किसी अवधि हेतु शहर, कस्बा अथवा गाँव में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रही हो अभिप्रेत है।

2. सम्बन्धित अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु निम्न कर्तव्य सुनिश्चित किये गये हैं।

- प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि -

(क) प्रत्येक बच्चे को उस विद्यालय में जहाँ उसके माता-पिता, अभिभावक या जैसी भी स्थिति हो, ने उसका नामांकन कराया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालयों या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों या इस प्रकार के अन्य विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों हेतु उनके माता-पिता, अभिभावक या जैसी स्थिति हो, प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च हुई धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(ग) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के भेद-भाव का शिकार न हो।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित रखेंगे।

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उनके विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा।

(च) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन जैसे भवन, अध्यापक, तथा पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(छ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था /उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(ज) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा जो, अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मानदण्डों के अनुरुप हो की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(झ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु समयान्तर्गत पाठ्यचर्या को पूर्ण तथा मुद्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ट) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवासी परिवारों के बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(ठ) स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

(ड) स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अकादमिक पंचाग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपर्युक्त धारा 9 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी हेतु कर्तव्यों का 'स्थानीय प्राधिकारी /स्थानीय निकाय वार' उनके निर्धारण संलग्न तालिका के अनुसार करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–844/XXIV(1)/2014-45/2008-T.C. III दिनांक 16–07–2014 का संलग्नक

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–9 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्यों की पहचान

क. **"नगरीय स्थानीय निकाय (प्राधिकारी)"** से नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत तथा छावनी परिषद् अभिप्रेत है।

ख. **"ग्रामीण स्थानीय निकाय (प्राधिकारी)"** से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत अभिप्रेत है।

क्र0 सं0	अधिनियम एवं नियम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (9) के प्राविधान	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थानीय निकायों (प्राधिकारी) हेतु निर्धारित कर्तव्य		
			जनपद स्तर: 1. जिला पंचायत 2. नगर निगम 3. नगर पालिका परिषद (जिला मुख्यालय स्थित)	तहसील/ब्लॉक स्तर: 1. क्षेत्र पंचायत 2. नगर पालिका परिषद् (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त) 3. छावनी परिषद्	ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर: 1. ग्राम पंचायत 2. नगर पंचायत 3. नगर निगम वार्ड, नगर पालिका वार्ड एवं छावनी परिषद् वार्ड
1	2	3	4	5	6
1.	9(क)	प्रत्येक बच्चे को उस विद्यालय में जहाँ उसके माता–पिता, अभिभावक या जैसी भी स्थिति हो, ने उसका नामांकन कराया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालयों या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों या इस प्रकार के अन्य विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों हेतु उनके माता–पिता, अभिभावक	• सभी बच्चे विशेषकर निःशक्त, कमजोर वर्ग व अपवंचित समूह के बच्चे तथा बालिकाओं की शिक्षा का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना। • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।	• सभी बच्चे विशेषकर निःशक्त, कमजोर वर्ग व अपवंचित समूह के बच्चे तथा बालिकाओं की शिक्षा का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना। • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।	• सभी विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा उनमें 6–14 वय वर्ग के बच्चों को प्रवेशित कराना। • 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों की सूची तैयार कर अभिलेख संधारित रखना एवं ऐसा तंत्र विकसित करना जिससे कि वर्षभर गांव/क्षेत्र/वार्ड में बाहर से आ रहे प्रवासी बच्चों एवं गांव/क्षेत्र/वार्ड से बाहर जा रहे बच्चों की संख्या का पता चल सके। • यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेशित हों। • यदि कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रह गया है तो उसके अभिभावकों से बातचीत कर उसका नामांकन विद्यालय में कराना। • वे बच्चे, जो अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए अर्ह हैं, उनके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना जिससे कि कोई भी पात्र बच्चा सुविधा से वंचित न रहे।

		या जैसी स्थिति हो, प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च हुई धनराशि हेतु प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।			
2.	9 (ख)	स्थानीय प्राधिकारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• यह जांच करना कि विद्यालयों की उपलब्धता उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 6 के अनुसार निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय के मानकों के अनुरूप है। • यदि किसी नए विद्यालय की स्थापना होनी हो तो यह सुनिश्चित कराना कि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु समय पर धनराशि मुक्त हो तथा विद्यालय में अध्यापक भी उपलब्ध हों। • निचले स्तर के प्राधिकारियों हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में संवेदीकरण की व्यवस्था कराना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सुनिश्चितता के समय ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड स्तर के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का पर्यवेक्षण करना।	• यह जांच करना कि विद्यालयों की उपलब्धता उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 6 के अनुसार निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय के मानकों के अनुरूप है। • यदि किसी नए विद्यालय की स्थापना होनी हो तो यह सुनिश्चित कराना कि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु समय पर धनराशि मुक्त हो तथा विद्यालय में अध्यापक भी उपलब्ध हों। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सुनिश्चितता के समय ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड स्तर के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का पर्यवेक्षण करना।	• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकानुसार के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है तो उसकी मांग उचित स्तर तक करना। • नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु सुरक्षित भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना जो भू- स्खलन ,बाढ़, भूकम्प व वन भूमि से बाहर का क्षेत्र हो तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति को इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना। • विद्यालय भवन का निर्माण बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करना।

3.	9(ग)	स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के भेद–भाव का शिकार न हो।	• यह सुनिश्चित करना व पर्यवेक्षण करना कि विद्यालय में कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई भी बच्चा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी भेद–भाव का शिकार न हो। • निचले स्तर के प्राधिकारियों का उक्त के सम्बन्ध में संवेदीकरण तथा अभिमुखीकरण करना।	• यह सुनिश्चित करना व पर्यवेक्षण करना कि विद्यालय में कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह का कोई भी बच्चा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी भेद–भाव का शिकार न हो। • निचले स्तर के प्राधिकारियों का उक्त के सम्बन्ध में संवेदीकरण तथा अभिमुखीकरण करना।	• सभी बच्चों विशेषतः कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। • विद्यालय के अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से यह सुनिश्चित कराना कि कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों को भी विद्यालय की सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करने के समान अवसर प्राप्त हों।
4.	9(घ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित रखेंगे।	• यह अनुश्रवण करना कि प्रत्येक गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित हैं। • यू–डायस सूचना को संकलित कराने में सहयोग प्रदान करना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सूचना संकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित सूचना प्रारूप का अनुप्रयोग सुनिश्चित कराना।	• यह अनुश्रवण करना कि प्रत्येक गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, के अनुसार संधारित हैं। • यू–डायस सूचना को संकलित कराने में सहयोग प्रदान करना। • निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों की सूचना संकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित सूचना प्रारूप का अनुप्रयोग सुनिश्चित कराना।	• स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/छावनी परिषद) के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के जन्म का अभिलेख संधारित रखना। • 0–3 वय वर्ग के सभी बच्चों के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर नाम, आयु, माता–पिता का नाम/व्यवसाय, पता, लिंग तथा आंगनवाड़ी केन्द्र/प्री–नर्सरी, जैसा भी हो, के अनुसार अभिलेख संधारित रखना। • 3–6 वय वर्ग के सभी बच्चों के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर नाम, आयु, माता–पिता का नाम/व्यवसाय, पता, लिंग तथा विद्यालय में नामांकन/शाला त्यागी/विद्यालय में प्रवेश से वंचित/विशिष्ट प्रशिक्षण, जैसा भी हो, के अनुसार अभिलेख संधारित रखना। • सेवित क्षेत्र में बाहर से आए प्रवासी बच्चों एवं क्षेत्र से बाहर गए बच्चों के, यदि हों तो उनके अभिलेख संधारित रखना। • निःशक्त बच्चों, एकल अभिभावक, अनाथ, एड्स पीड़ित आदि समूह के बच्चों का सम्पूर्ण विवरण संधारित रखना।
5.	9(ङ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक उनके विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा।	• विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करना। • बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति आदि प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा यदि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति को किसी अवरोध का सामना करना पड़ रहा हो तो उस अवरोध को दूर	• विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करना। • बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति आदि प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा यदि इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति को किसी अवरोध का सामना करना पड़ रहा हो तो उस अवरोध को दूर	• यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश से वंचित न रह जाए। • यदि कोई बच्चा विद्यालय में अनियमित, अनुपस्थित, शाला त्यागी हो या नामांकन से वंचित रह गया हो तो समुदाय को अभिप्रेरित कर ऐसे बच्चों का विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति, ठहराव आदि सुनिश्चित कराना। • विद्यालय में प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता में सुधार हेतु प्रगति का अनुश्रवण करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति को सहयोग करना कि वे विद्यालयों में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक नियमित रूप से नामांकन,

			करने में सहयोग प्रदान करना।	करने में सहयोग प्रदान करना।	नियमित उपस्थिति, ठहराव आदि का अनुश्रवण करते रहें। • विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में पारदर्शिता, खुली प्रक्रिया एवं बिना भेद–भाव के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु सहयोग प्रदान करना। • बालिकाओं, कमजोर वर्ग एवं अपवंचित समूह के बच्चों के अभिभावक को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाए। • अवरोध जैसे शिक्षकों का अभाव, दैवीय आपदा का प्रभाव, अन्य संसाधनों की कमी आदि जिनसे विद्यालय में नामांकन व उपस्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है, को दूर करने प्रयास करना तथा यदि समस्या बड़ी हो तो उसे उच्च स्तर पर निराकरण हेतु भेजना।
6.	९(ख)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन जैसे भवन, अध्यापक, तथा पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन, पाठ्य सामग्री एवं छात्र–अध्यापक अनुपात का अनुपालन हो रहा हो। यदि इसमें कोई कमी हो तो स्वयं के संसाधनों से तात्कालिक या तदर्थ व्यवस्था करना।	• विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन, पाठ्य सामग्री एवं छात्र–अध्यापक अनुपात का अनुपालन हो रहा हो। यदि इसमें कोई कमी हो तो स्वयं के संसाधनों से तात्कालिक या तदर्थ व्यवस्था करना।	• विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का अनुश्रवण करना, जिससे कि निर्माण सम्बन्धी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण हो सकें तथा अन्य संसाधनों हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का सदुपयोग हो सके। • यदि विद्यालय में मानकानुसार अध्यापकों का अभाव हो या विद्यालय में अध्यापकों द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से न किये जाने पर या उनकी उपस्थिति नियमित न हो, तो ऐसे प्रकरणों को उच्च प्राधिकारी के समक्ष रखना। • छात्र–अध्यापक अनुपात की पूर्ति से सम्बन्धित मुद्दे उठाना।
7.	९(छ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था /उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।	• जनपद के अन्तर्गत हो रहे विशिष्ट प्रशिक्षण की जानकारी एवं उसका अनुश्रवण सुनिश्चित करना।	• विकासखण्ड एवं तहसील के अन्तर्गत हो रहे विशिष्ट प्रशिक्षण की जानकारी एवं उसका अनुश्रवण • सुनिश्चित करना।	• विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) बच्चों के अभिलेख संधारित करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) सभी बच्चों का विद्यालय में

	९(ट)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवासी परिवारों के बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।			• नामांकन हो गया है तथा वे नियमित कक्षा के अनुरुप अधिगम कर रहे हैं। • यह सुनिश्चित कराना कि, जहां तक सम्भव हो विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यालय में उपलब्ध हो। यदि यह सम्भव नहीं हो तो विद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय को सहयोग कर किसी सुरक्षित एवं निकटतम स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) सभी बच्चों को प्रशिक्षण हेतु नियमित रुप से विशिष्ट प्रशिक्षण स्थल पर भेजें। • ऐसे सभी बच्चों के अभिलेख संधारित रखना जो गांव/वार्ड से बाहर चले गए हैं या अन्दर आए हैं। • ऐसे सभी बच्चों को विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना। • ग्राम/वार्ड के समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे ऐसे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख जिनके अभिभावक अन्यत्र प्रवास के दौरान उन्हें छोड़ गए हों।
8.	९(ज)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा जो, अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मानदण्डों के अनुरुप हो की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• अध्यापकों की छात्र–अध्यापक अनुपात के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • विद्यालयों में स्वीकृत ढाँचागत संरचनाओं के समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने एवं प्रगति का अनुश्रवण करना।	• अध्यापकों की छात्र–अध्यापक अनुपात के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • विद्यालयों में स्वीकृत ढाँचागत संरचनाओं के समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने एवं प्रगति का अनुश्रवण करना।	• विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण तथा विद्यालय से बाहर रह गये (Out of School) बच्चों के नामंकन/विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना। • प्रवासी बच्चों का विद्यालय में सत्र के दौरान किसी भी समय प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे नियमित रुप से बच्चों को विद्यालय में भेजें।
9.	९(झ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु समयान्तर्गत पाठ्चर्या को पूर्ण तथा मुद्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• समयान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	• समयान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	• विद्यालयों के कार्यों, कार्य दिवसों/कार्य करने के घण्टों का अनुश्रवण तथा किसी विवाद की स्थिति में कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराना। • समुदाय को इस बात के लिए अभिप्रेरित करना कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति तथा अभिभावक/समुदाय एवं बच्चों की प्रगति का ब्यौरा आपस में साझा करें।

10.	9(ञ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्र के सहयोग से प्रशिक्षण पंचांग तैयार कराना। • यदि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। • नवनियुक्त अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भौतिक संरचनाएं उपलब्ध कराना। • सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में समुदाय की धारणाएं ,विचार या आवश्यकताओं की जानकारी ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराना।	• यदि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। • नवनियुक्त अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भौतिक संरचनाएं उपलब्ध कराना। • सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में समुदाय की धारणाएं, विचार या आवश्यकताओं की जानकारी ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराना।	—
11.	9(ठ)	स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।	• गांव/वार्ड/ब्लॉक स्तर से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना।	• गांव/वार्ड/ब्लॉक स्तर से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना।	• विद्यालय के भवन के रख–रखाव तथा विद्यालय परिसर का प्रयोग केवल विद्यालय के प्रयोजनार्थ हो रहा है का अनुश्रवण करना। • अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना। • यदि गांव/वार्ड किन्ही बिंदुओं पर असंतुष्ट हो तो खण्ड शिक्षाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक/जनपदीय प्राधिकारी के समक्ष उस बात को रखना। • ऐसे विद्यालय जिनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है उनके प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों से बातचीत एवं समुदाय का दबाव बनाकर विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराना। • विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निर्मित विद्यालय विकास नियोजन का अनुश्रवण एवं सत्यापन करना। • अधिगम स्तर में सुधार की नियमित जांच करना।
12.	9(ड)	स्थानीय प्राधिकारी अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में अकादमिक पंचाग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।	• जनपद की आवश्यकता के अनुसार समुदाय की आर्थिकी, व्यवसाय, स्थानीय त्यौहार, मेलों आदि को ध्यान में रखकर एकेडेमिक कैलेन्डर सुनिश्चित कराना।	—	—

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

संख्या– 91 /XXIV-5/2014/10(1)/2014

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा कक्षा– 09 से 12 तक के लिए लागू पाठ्यक्रम में अधिसूचना संख्या–266/XXIV–4/2009 दिनांक 10 जुलाई 2009 के अध्याय–13 एवं 14 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् स्तम्भ–1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ–2 में वर्णित व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुये नवीन पाठ्यक्रम की श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं–

स्तम्भ– 1 वर्तमान विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम (1)	स्तम्भ– 2 विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम (1) में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने पर संशोधित नवीन पाठ्यक्रम
[1] (एक) हिन्दी – भाषा अनिवार्य विषय के रूप में उपहृत की जायेगी। (क) हिन्दी – 70 पूर्णांक (ख) अनिवार्य संस्कृत – 30 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र (दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। (तीन) गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)	[1] (एक) हिन्दी – भाषा अनिवार्य विषय के रूप में उपहृत की जायेगी। (क) हिन्दी – 70 पूर्णांक (ख) अनिवार्य संस्कृत – 30 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र (दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। (तीन) गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)

(चार) विज्ञान

(पांच) सामाजिक विज्ञान

(छः) योग, आयुर्वेद एव स्वास्थ्य शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एव ग्रेडिंग व्यवस्था)

(सात) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास (आंतरिक मूल्यांकन एव ग्रेडिंग व्यवस्था)

(आठ) कला शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एंव ग्रेडिंग व्यवस्था)

(नौ) एक अतिरिक्त विषय–

(क) एक आधुनिक भारतीय भाषा– यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नही लिया गया है।

(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उडिया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा – यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा– यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।

(संस्कृत, अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

(ख) वाणिज्य

(ग) पेंटिंग

(घ) संगीत

(ङ) गृह विज्ञान

(च) सूचना एव प्रौद्योगिकी

(छ) कृषि

(चार) विज्ञान

(पांच) सामाजिक विज्ञान

(छः) योग, आयुर्वेद एव स्वास्थ्य शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

(सात) कार्यानुभव एव उद्यमिता विकास (आंतरिक मूल्यांकन एव ग्रेडिंग व्यवस्था)

(आठ) कला शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एव ग्रेडिंग व्यवस्था)

(नौ) एक अतिरिक्त विषय–

(क) एक आधुनिक भारतीय भाषा– यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।

(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उडिया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा – यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा– यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।

(संस्कृत, अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

(ख) वाणिज्य

(ग) पेंटिंग

(घ) संगीत

(ङ) गृह विज्ञान

(च) सूचना एव प्रौद्योगिकी

(छ) कृषि

(ज) **व्यावसायिक शिक्षा** (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)

	(1) आईटीईएस (ITES-) (Information Technology Enabling Services) (2) ऑटोमोबाइल (Automobile) (3) रिटेल (Retail) (4) पेशेंट केयर (Patient Care) (5) सिक्यूरिटी (Security) (6) टूरिज्म (Tourism)

अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम–3 (ङ)(v)के उपरान्त विनियम–3 (ङ) (v) (i) निम्नवत् जोड़ दिया गया है–

(v) (i) व्यावसायिक शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान में से जिस विषय में भी परीक्षार्थी को अधिक अंक प्राप्त होंगे, उसे मुख्य विषय मानकर परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

स्तम्भ– 1 वर्तमान विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम–3	स्तम्भ– 2 विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम–3 में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित किया गया।
(VI) अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विषय की भाषा में जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है नियमानुसार कृपांक देय होगा।	(VI) अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विषय की भाषा में जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है नियमानुसार कृपांक देय होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान के स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा में, जिसने अब सामाजिक विज्ञान का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय के तीनों भागों में कुल 25 प्रतिशत अंक अर्जित किये गये हों, साथ ही वह तीनों भागों की परीक्षा मे सम्मिलित हुआ हो।

अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम–3 (ङ) (ix) में इंगित तालिका के CODE–046 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया गया है:–

BOARD OF SCHOOL EDUCATION, RAMNAGAR (NAINITAL) HIGH SCHOOL PASS CRITERIA

code	Name of subject	Theory Maximum Marks	Theory Minimum pass Marks	Practical Maximum Marks	Practical Minimum marks	Internal Assesment Maximum Marks	Internal Assesment Minimum marks	Total Minimum pass marks	Total Maximum marks
052	ITES	030	10	50	17	20	07	33	100
053	Automobile	030	10	50	17	20	07	33	100
054	Retail	030	10	50	17	20	07	33	100
055	Patient care	030	10	50	17	20	07	33	100
056	Security	030	10	50	17	20	07	33	100
057	Tourism	030	10	50	17	20	07	33	100

इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 11 एवं 12 का पाठ्यक्रम)

वर्तमान विनियम अध्याय–चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा(कक्षा–11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम–3	विनियम अध्याय–चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा(कक्षा–11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम–3 व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने पर संशोधित नवीन पाठ्यक्रम
3– इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी। **प्रथम विषय**– उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में एक विषय हिन्दी भाषा का अनिवार्य होगा, जिसमें संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से समाहित रहेगा। (क) हिन्दी – 70 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र (ख) अनिवार्य संस्कृत – 30 पूर्णांक **अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय** **योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा** कक्षा– 11 एवं 12 में आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग के लिए जायेंगे।	3– इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी। **प्रथम विषय**– उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में हिन्दी भाषा (जिसमें संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से समाहित रहेगा। 70:30 पूर्णांक के अनुपात में) अथवा अंग्रेजी **अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय** **योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा** कक्षा– 11 एवं 12 में आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग के लिए जायेंगे।

अध्याय–चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम–4 (viii) में इंगित तालिका के CODE–144 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया गया है:–

INTERMEDIATE EXAMINATION PASS CRITERIA

code	Name of subject	Theory Maximum Marks	Theory Minimum pass Marks	Practical Maximum Marks	Practical Minimum marks	Internal Assesment Maximum Marks	Internal Assesment Minimum marks	Total Minimum pass marks	Total Maximum marks
145	ITES	030	10	50	17	20	07	33	100
146	Automobile	030	10	50	17	20	07	33	100
147	Retail	030	10	50	17	20	07	33	100
148	Patient Care	030	10	50	17	20	07	33	100
149	Security	030	10	50	17	20	07	33	100
150	Tourism	030	10	50	17	20	07	33	100

2– चूंकि व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत Level I (Class 9th) तथा Level II (Class 10th) में दक्षता विकास हेतु क्रमशः 200 व 250 घन्टों का व्यवहारिक भाग (Practical Part) होना अनिवार्य है। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन हेतु जिन विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा, उसमें निर्धारित घंटों हेतु कालांश (Periods) की व्यवस्था हेतु संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी।

3– व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत Level III (Class 11th) तथा Level IV (Class 12th) में व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को मानविकी वर्ग के अन्तर्गत विहित निर्धारित विषयों के साथ अन्य विकल्पों के रूप में शामिल किया जायेगा। मानविकी वर्ग के अन्तर्गत इन विषयों को शामिल करने से वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी अपने पांचवे ऐच्छिक विषय के रूप में लेने का अवसर मिल सकेगा। इस क्रम में छात्र–छात्रा प्रथम विषय के रूप में हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा चुन सकेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन हेतु जिन विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा, उसमें निर्धारित घंटों हेतु कालांश (Periods) की व्यवस्था संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा पृथक से की जायेगी।

आज्ञा से,

(एस०राजू)

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–05
संख्या–197 /xxiv–5/2014
देहरादून दिनांक22 जुलाई, 2014

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा कक्षा–09 से 12 तक के लिए लागू पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने सम्बधी माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–91/XXIV–5/2014/10(1)/2014 दिनांक 21 जुलाई 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन।
6– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
8– अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊ मण्डल नैनीताल/गढवाल पौडी।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14– गार्ड फाइल।

संलग्नक यथोपरि:–

(वी0एस0पुण्डीर)
अनु सचिव ।

संख्या– /XXXI(13)G/2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 23 जुलाई, 2014

विषय:– भारतीय झण्डा संहिता, 2002, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु महत्वपूर्ण अवसरों पर प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2034/XXXI (13)G/2012 दिनांक 04 जुलाई, 2012 एवं संख्या–991/XXXI(13)G/12–2013 दिनांक 04 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से भारतीय झंडा संहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त अधिनियम का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा सगत उपबन्धों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाओं, संगठनों, एवं व्यक्ति विशेष के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उपर्युक्त विषय के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– प्रायः यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वजों का प्रयोग किया जाता है और समारोह की समाप्ति के पश्चात इधर–उधर फेंक दिया जाता है जिससे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा तो प्रभावित होती है साथ ही प्लास्टिक से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज सरलता से अपघटित न होने से पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इससे भारतीय झंडा संहिता, 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्राविधानों का उल्लघंन भी होता है। भारत सरकार द्वारा भी उक्त स्थिति से बचने के आवश्यक कदम सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– अतः इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सास्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्राविधानों के अनुरूप, शासकीय कार्मिकों एवं जनता द्वारा केवल कागज से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाय तथा समारोह उपरांत कागज निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को न तो विकृत किया जाय और न ही इधर–उधर जमीन पर फेंका जाय बल्कि ऐसे राष्ट्रीय ध्वजों का निर्दान एकांत में पूर्ण मर्यादा के साथ किया जाय।

कृपया इस शासनादेश की विषयवस्तु को सभी संबंधित अधिकारियों/कार्यालयों के संज्ञान मे लाने के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या–1604/XXXI(13)G/2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या- 15/3/2014- Public दिनांक 20 जनवरी, 2014 के क्रम में सूचनार्थ।

2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।

4–सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।

5- अपर स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

6- महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।

7–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश को राज्य सरकार की वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)

संयुक्त सचिव।

संख्या– 262 /XXIV–नवसृजित/2014–7(4)/2010

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादून: दिनांक 28 जुलाई, 2014

विषय:– प्रदेश के रा0इ0का0/रा0उ0मा0विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एल0टी0 वेतनक्रम के पदों का **Rationalization** के फलस्वरूप विषयवार अतिरिक्त पदों को समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन/3387/पदों का निर्धा0/2014–15, दिनांक 15.05.2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एल0टी0 वेतनक्रम के पदों के युक्तिकरण (Rationalization) के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार विषयवार अतिरिक्त 2600 पदों (गढ़वाल मण्डल के 1453 एवं कुमाऊँ मण्डल के 1147 पद) को समर्पण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 स0	जनपद का नाम	सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के अधिसंख्या पदों के विषयों का विवरण														
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	सामान्य	गणित	विज्ञान	कला	व्यायाम	वाणिज्य	कृषि	संगीत	गृहविज्ञान	उर्दू	काष्ठ कला	योग
	पौड़ी	107	66	2	189	176	10	3	3	0	0	3	3	0	1	56
.	उत्तरकाशी	6	0	0	25	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	रूद्रप्रयाग	6	38	0	69	34	5	0	1	0	0	0	0	0	0	15
	हरिद्वार	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
	देहरादून	26	23	2	25	45	5	1	0	0	0	1	2	0	0	13
	चमोली	1	8	0	141	137	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	टिहरी	6	30	0	118	104	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2
योग		153	165	4	571	513	23	5	4	3	0	5	5	1	1	14
	नैनीताल	28	30	0	107	45	10	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	पिथौरागढ़	28	53	1	156	52	3	1	1	3	2	1	0	0	0	3
	बागेश्वर	6	20	0	34	19	0	0	0	3	1	0	0	0	0	8
	चम्पावत	15	9	38	21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
	अल्मोड़ा	71	68	1	198	77	9	2	0	1	0	0	0	0	0	4
	उधमसिंहनगर	4	1	0	25	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
योग		150	179	40	541	197	22	3	1	7	4	3	0	0	0	11
महायोग		303	344	44	1112	710	45	8	5	10	4	8	5	1	1	2

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी

प्रभारी सचिव

संख्या– /XXIV–नवसृजित/2014–7(4)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहारादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी।

आज्ञा से

(वी0 एस0 पुण्डीर)

अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्या: 1038/XXIV-3/14/04(65)2005T.C.
देहरादून, दिनांक: 29 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञाप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित TEAB की बैठक में दिनांक: 12.06.2012 में अप्रेजल नोट के कमेण्ट्स एवं निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: शि0शि0/1871–72/आठ–I(1)/2013–14 दिनांक: 18 जून, 2013 के संदर्भ में राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा योजना के सशक्त अनुश्रवण, एवं योजना के सफल कियान्वयन व समयान्तर्गत धनराशि का सम्बन्धित मद में उपयोग किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समन्वयन–सह अनुश्रवण समिति (State Level Co-ordination cum Monitoring Committy-SLCMC) तथा कार्यक्रम सलाहकार समिति एस0सी0ई0आर0 का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

राज्य स्तरीय समन्वयन–सह अनुश्रवण समिति
(State Level Co-ordination cum Monitoring Committy-SLCMC)

1. सचिव/प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा – अध्यक्ष
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा – उपाध्यक्ष
3. राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0 – सदस्य
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान – सदस्य
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण – सदस्य सचिव
6. निदेशक, उच्च शिक्षा – सदस्य
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा – सदस्य
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य
9. डीन, एस0सी0ई0आर0टी0 – सदस्य
10. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 – सदस्य
11. प्राचार्य, डायट (निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित) – सदस्य
12. विभागाध्यक्ष, आई0ए0एस0ई0 – सदस्य
13. प्राचार्य, सी0टी0ई0 (अध्यक्ष द्वारा नामित चक्रानुक्रम में) – सदस्य
14. डीन/विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय, कुमायुं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा – सदस्य
15. डीन/विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, स्वामी रामतीर्थ परिसर श्रीनगर – सदस्य
16. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित चक्रानुक्रम में) – सदस्य

17. प्राचार्य निजी शिक्षक शिक्षा संस्थान

(निदेशक, अका0शो0एवं प्रशि0 द्वारा नामित) – सदस्य

18. प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 उत्तराखण्ड,

(निदेशक, अका0शो0 एवं प्रशि0 द्वारा नामित) – सदस्य

19. प्रधानाचार्य, रा0बा0उ0मा0वि0, उत्तराखण्ड

(निदेशक, अका0शो0 एवं प्रशि0 द्वारा नामित) – सदस्य

2– उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) के वृहद् कार्यक्रमों के सफल कार्यान्यन एवं विभिन्न नीतिमूलक प्रश्नों के समाधान, कार्यकमों के सुनियोजित संचालन तथा कार्य दायित्वों के बेहतर निष्पादन हेतु कार्यक्रम सलाहकार समिति (Programme Advisory Committee-PAC for SCERT) का भी निम्नवत् गठन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

कार्यक्रम सलाहकार समिति एस0सी0ई0आर0टी0:–
(Programme Advisory Committee-PAC for SCERT)

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
2. राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0 / प्रतिनिधि – सदस्य
3. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान / प्रतिनिधि – सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड – सदस्य
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड – सदस्य
7. डीन, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड – सदस्य
8. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड – सदस्य
9. प्राचार्य, डायट – 2 सदस्य
10. विभागाध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड – सदस्य
11. विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा एवं आधारीय, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड – सदस्य
12. विभागाध्यक्ष, शैक्षिक सर्वे, शोध एवं नियो0, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड – सदस्य
13. डीन, शिक्षा संकाय, गढ़वाल विश्वविद्यालय – सदस्य
14. डीन, शिक्षा संकाय, कुमायूं विश्वविद्यालय – सदस्य
15. विभागाध्यक्ष, आई0ए0एस0ई0 – सदस्य
16. विभागाध्यक्ष, समस्त सी0टी0ई0 – 3 सदस्य

17. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि
(अध्यक्ष द्वारा नामित चक्रानुक्रम में) – 02 सदस्य

18. बाल अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि – सदस्य

19. स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि (महानिदेशक, स्वास्थ्य द्वारा नामित) –सदस्य

20. शिक्षक प्रतिनिधि प्रारम्भिक शिक्षा
(निदेशक, अका0शो0एवं प्रशि0 द्वारा नामित) – सदस्य

21. शिक्षक प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा
(निदेशक, अका0शो0एवं प्रशि0 द्वारा नामित) – सदस्य

22. प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 – सदस्य

23. प्रधानाचार्य, रा0बा0इ0का / रा0बा0उ0मा0वि0 – सदस्य

24. राज्य महिला आयोग की प्रतिनिधि – सदस्य

25. निदेशक, बाल विकास द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य

26. सहायक लेखाधिकारी, एस0सी0ई0आर0टी0 – सदस्य

3– उपरोक्तानुसार गठित की गयी समितियों में नामित किये जाने वाले सदस्यों को निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित किया जायेगा। जिन संस्थानों से दो या अधिक प्रतिनिधि नामित है, वहां लिंगानुसार एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

4– गठित की गयी समितियों की वर्ष में कम से कम दो बैठकें फरवरी तथा अक्टूबर में आयोजित की जायेगी।

5– गठित समिति परिषद् के नीति निर्धारण, आय–व्यय के साथ परिषद् के द्वारा प्रस्तुत कार्यकमों का परामर्श/अनुमोदन करेंगी।

6– समिति के गैर सरकारी सदस्यों जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहां समिति की बैठक आयोजित की जा रही हो अथवा परिषद् मुख्यालय हो, को समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए यात्राओं हेतु नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

7– समिति शिक्षक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के साथ–साथ पर्सपक्टिव प्लान को तैयार करने हेतु परामर्श/अनुमोदन करेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(एस0राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1038/XXIV-3/14/94(65)2005T.C.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महानिदेशक/प्रभारी, आई0सी0टी0, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।

2– राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून, उत्तराखण्ड।

3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।

4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5– अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।

6– वित्त नियत्रंक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, आई0सी0टी0 (प्रकोष्ठ), विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून।

8– लेखाधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

9– निदेशक, उत्तराखण्ड सूचना तकनीकी विकास ऐजेन्सी ITDA देहरादून, उत्तराखण्ड।

10– अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

11– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून, उत्तराखण्ड।

12– गार्ड फाइल।

(एम0सी0जोशी)
सचिव।

संख्या– ५९५ / XLII–1 / 2014–05(01) / 2010

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद,
देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 16 सितम्बर, 2014

विषय–उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–528 / सं0शि0परि0 / वि0पुर्न0 / 2013–14 दिनांक 07.09.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद् के ढांचे में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों के शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी 2015 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाये अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता / अनिवार्य अर्हता
1.	शोध अधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ गणितीय सांख्यिकी या कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा। **अधिमानी अर्हता–** ऐसे अभ्यर्थी को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड या उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हो, अन्य बातों के समान होने पर अधिमान दिया जायेगा। **भर्ती का स्रोत–** शोध सहायक के पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी शोध सहायक से पदोन्नति द्वारा। पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण से भरा जा सकेगा।
2.	शोध सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ गणितीय सांख्यिकी या कामर्स में

				स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा। **अधिमानी अर्हता**– ऐसे अभ्यर्थी को जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड या उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हों, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **भर्ती का स्रोत**– विभागीय सीधी भर्ती।
3.	सहायक लेखाधिकारी	अपने संवर्ग के वेतनमान के अनुसार	01	———
4.	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	01	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। 2. हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है। **भर्ती का स्रोत**–वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण द्वारा।
5.	वरिष्ठ सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 2800	02	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। 2. हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है। **भर्ती का स्रोत**– प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण द्वारा।
6.	अनुवादक	9300–34800 ग्रेड वेतन 2400	01	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हिन्दी एवं संस्कृत सहित इण्टमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि में डिप्लोमा। आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर टंकण (हिन्दी) में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। **भर्ती का स्रोत**– विभागीय सीधी भर्ती।
7.	वाहन चालक	आउटसोर्सिंग	01	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। 2. वाहन चलाने का पूर्ण अनुभव सहित भारी–हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेन्स।

6.	चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग	02	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। 2. साईकिल चलाने का ज्ञान।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा विकास–103–संस्कृत शिक्षा–08–उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–133(P)/XXVII(3)/2014 दिनांक 04 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–595 (1)/XLII–1/2014–05(01)2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

संख्या: 1154/XXIV-3/14/02(62)2014

प्रेषक,

एम०सी०जोशी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 20 अक्टूबर, 2014

विषयः कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों हेतु किराये व भोजन मद की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 5ख2/6604/क०गां०आ०बा०वि०/2014–15 दिनांक: 07 जून, 2014 एवं पत्रांक: 5ख2/9741/क०गां०आ०बा०वि०/2014–15 दिनांक: 14 जुलाई, 2014 तथा पत्रांक पत्रांक: /नियो०/5ख2/19647/क०गांधी/2014–15 दिनांक: 20 सितम्बर, 2014 व अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक: अ०रा०प०नि०/1001/के०जी०बी०वी०/2014–15 दिनांक: 19 अगस्त, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों हेतु छात्रावास भवन निर्माणाधीन होने के दृष्टिगत किराये पर संचालित 8 छात्रावास भवनों के किराये मद में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण वर्णित धनराशि तथा छात्रावासों में निवासरत छात्राओं के भोजन व्यय हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए अनुमन्य दर रू0 1500/– प्रतिमाह (11 माह हेतु) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत अनुमन्य भोजन दर रू0 850/– प्रतिमाह (11 माह हेतु) के अन्तर की धनराशि रू0 650/– प्रतिमाह प्रतिछात्रा (11 माह हेतु) की धनराशि का व्यय वहन/भुगतान राज्य सरकार से करने के इस प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी की दिनांक: 28.05.2014 की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त वर्णित पत्रों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रेत्तर आदेश अथवा इस संबंध में व्यवस्था हो जाने तक तद्नुसार किराया एवं भोजन व्यय की वर्णित धनराशि का व्यय वहन राज्य सरकार से करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– संगत योजना हेतु सर्व शिक्षा अभियान के मानकानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यों से सम्बन्धित समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय यथास्थिति अनुदान संख्या: 11 के लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 0111–शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत तथा/अथवा अनुदान संख्या: 11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 12–कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण, 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत संगत वित्तीय वर्ष के विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि से ही की जायेगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 177(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक: 17 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एम0सी0जोशी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1154/XXIV-3/14/02(62)2014 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. राज्य परियोजना निदेशक, रमसा/सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0जोशी)
सचिव

संख्या– 1266/XXIV-2/14-02(03)/2013

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के द्वारा कार्मिक तैनाती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1047/XXIV-2/14-02(03)/2013 दिनांक 22.08.2014 के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षणेत्तर कर्मियों (प्रयोगशाला सहायक एवं कार्यालय सहायक) को आवश्यक अर्हता एवं अनुभव के प्रतिबन्धाधीन आउटसोर्सिंग आधार पर पी0आर0डी0 के माध्यम से नियमानुसार नियोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। आपके पत्र संख्या–रा0प0का0/2518/196(V)–आउटसोर्सिंग/2014–15 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उत्तराखण्ड द्वारा रमसा अभियान के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध कराने में लिखित असहमति के पश्चात् हिल्ट्रॉन के महाप्रबन्धक द्वारा रमसा अभियान के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखित सहमति प्रदान की गयी है।

अतः आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत शिक्षणेत्तर कार्यों (प्रयोगशाला सहायक एवं कार्यालय सहायक) हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव के प्रतिबन्धाधीन मितव्ययता/वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के आधार पर नियमानुसार कार्मिक नियोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 1266 (1)/XXIV-2/14-02(03)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महाप्रबन्धक, यू0पी0 हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 785 इन्द्रानगर, देहरादून।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 एम0 सी0 जोशी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्याः 601(A)/xxiv–नवसृजित/2014–32(01)/2013
देहरादूनः दिनांक 23, दिसम्बर, 2014

अधिसूचना संख्या–601/ xxiv–नवसृजित/2014–32(01)/2013, दिनांक 23 दिसम्बर 2014 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–नवसृजित को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड,।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(वी0एस0पुण्डीर)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–(नवसृजित)
संख्या: 601 / XXIV–(नवसृजित) / 2014–32(01) / 2013
देहरादून, दिनांक : 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–4(1), 4(2)(ख) 5(1), 5(2), 7, 8, 9(1), 10(1)(अ)(ख) (तीन), 10(2) (ख), 10(2)(ग), 10(2) (घ), 10(2) (छ), 10(2)(झ), 10(2), 10(2)(झ) के अन्त में टिप्पणी, 11(3) (क), 11(3)(ग), 11(3)(च), 20, 22 (1), 22(2), 29(1) (2) एवं परिशिष्ट 'क' का सशोधन तथा परिशिष्ट क(1) व परिशिष्ट क(2) अन्तास्थापन	2. उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में एतद्पश्चात् इंगित विवरणानुसार स्तम्भ–1 में नियम 4(1), 4(2)(ख) 5(1), 5(2), 7, 8, 9(1), 10(1) (अ) (ख) (तीन), 10(2) (ख), 10(2)(ग), 10(2) (घ), 10(2)(छ), 10(2)(झ), 10(2), 10(2)(झ) के अन्त में टिप्पणी, 11(3)(क), 11(3)(ग), 11(3)(च), 20, 22(1), 22(2), 29(1)(2) एवं परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, तथा परिशिष्ट 'क' के बाद परिशिष्ट क(1) व परिशिष्ट क(2) अन्तस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

	स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
	वर्तमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–4(1) का संशोधन	3.	शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा :– (1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A, B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।	शिक्षकों की पदस्थापना हेतु विद्यालयों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगाः– (1) विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं (सड़क, विद्युत, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, दूरसंचार, ऊंचाई, आवास, यातायात के साधन, बाजार, रेलवे स्टेशन से दूरी आदि) के आधार पर विद्यालयों को प्राप्त गुणांकों के अनुसार सर्वोच्च गुणांक से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः छः श्रेणियों (A, B, C, D, E, F) में विभक्त किया जायेगा। A, B, C श्रेणी के विद्यालयों को X क्षेत्र तथा D, E, F श्रेणी के विद्यालयों को Y क्षेत्र के विद्यालयों के नाम से जाना जायेगा। ग्रेडिंग के मानकों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा किया जायेगा। परन्तु नवीन मानक रेलवे स्टेशन से दूरी के कारण विद्यालयों के कोटिकरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव भविष्यगामी होगा तथा पूर्व में इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरण प्रभावित नहीं होंगे।
नियम–4(2) (ख) का संशोधन	4.	(ख)राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरणः– मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही कम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित	(ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरणः– मण्डल के अन्तर्गत स्थित समस्त जनपदों की जनपदीय समिति द्वारा राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों के निर्धारित गुणांकों की सूची, अनुमोदनोपरान्त मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। मण्डलीय समिति द्वारा समस्त जनपदों से प्राप्त सूची को एक साथ संकलित कर गुणांको के आधार पर अवरोही कम में सूचीबद्ध कर मण्डल की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मण्डल के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस प्रकार से छः श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा कि यथा सम्भव X क्षेत्र में 40 प्रतिशत व Y क्षेत्र में 60 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा समय–समय पर X क्षेत्र व Y क्षेत्र में निर्धारित अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके । परन्तु मण्डलान्तर्गत समस्त राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों का कोटिकरण निर्धारित शर्तों के अधीन मण्डलीय समिति द्वारा पृथक से किया जायेगा।

		अनुपात के अनुसार विद्यालय आ सके ।	
नियम–6(1) का संशोधन	5.	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे– (क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) –अध्यक्ष; (ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी –उपाध्यक्ष; (ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा –सदस्य सचिव; (घ) जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य; (ङ) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य; (च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी –सदस्य।	राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण एवं माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी का अनुप्रसारण जनपद स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) जिलाधिकारी (अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी) –अध्यक्ष; (ख) मुख्य शिक्षा अधिकारी –उपाध्यक्ष; (ग) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा –सदस्य सचिव (घ) जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य ; (ङ) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य ; (च) समस्त विकास खण्डों के उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी –सदस्य। नोट–(1) मान्यता प्राप्त जनपदीय राजकीय प्रा० शिक्षक संघ/रा० उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष/महामंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में) (2) माध्यमिक विद्यालयों के लिये राजकीय शिक्षक संघ के जनपदीय अध्यक्ष/मंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में)
नियम–6(2) का संशोधन	6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक)– अध्यक्ष; (ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी– सदस्य सचिव; (ग) मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) –सदस्य।	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणी निर्धारण, मण्डल स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त– अध्यक्ष; (क) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक) –सदस्य सचिव; (ख) मण्डल मुख्यालय का मुख्य शिक्षा अधिकारी –सदस्य ; (ग) मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – सदस्य। नोट– मान्यता प्राप्त मण्डलीय राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष/महामंत्री (आमंत्रित सदस्य के रूप में)
नियम–7 का संशोधन	7.	किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा परिशिष्ट 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी : परन्तु यह कि माइग्रेशन	किसी क्षेत्र विशेष की किसी श्रेणी विशेष में की गयी सेवा की गणना के लिए उस क्षेत्र में अथवा श्रेणी में एक अथवा एक से अधिक बार तथा एक अथवा अधिक पदों पर की गयी समस्त सेवा को जोड़ कर गणना जैसा परिशिष्ट 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार की जायेगी; परन्तु यह कि माइग्रेशन विद्यालय के सन्दर्भ में उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि वह सम्पूर्ण सेवा

	विद्यालय के सन्दर्भ में उस विद्यालय संचालन के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों में की गयी सम्पूर्ण सेवा की गणना इस प्रकार की जायेगी कि वह सम्पूर्ण सेवा अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। "माइग्रेशन विद्यालय" से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न-भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं : परन्तु यह और कि Y क्षेत्र की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा।	अवधि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूल विद्यालय में की गयी सेवा है। "माइग्रेशन विद्यालय" से ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है, जो गर्मी एवं सर्दी में भिन्न-भिन्न स्थानों में संचालित होते हैं; परन्तु यह और कि Y क्षेत्र की किसी श्रेणी में सेवा की गणना के लिए शिक्षक द्वारा उस श्रेणी की सेवा की अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश के दिनों को कुल सेवा अवधि से घटाया जायेगा; परन्तु यह भी कि परिशिष्ट (क)-1 व 2, के अनुसार शिक्षक की नियमित उपस्थिति, शैक्षिक गुणवत्ता/छात्र नामांकन (जो लागू हो) में वृद्धि के आधार पर अर्जित गुणांको को शिक्षक के सम्पूर्ण सेवा गुणांको में Y क्षेत्र के सेवा गुणांकों में जोड़कर गणना की जायेगी।
नियम-8 का संशोधन	8. शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी : परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी : परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी : परन्तु शिक्षिकाओं को प्रथम नियुक्ति में यथा सम्भव D श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा; परन्तु यह कि विकलांग शिक्षकों की Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी ; परन्तु यह और कि महिला शाखा (माध्यमिक शिक्षा) के संदर्भ में D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में जिस विषय विशेष में अध्यापन न होता हो, उस विषय विशेष में X क्षेत्र के A, B, C श्रेणी में भी पदस्थापना की जा सकेगी। यह भी कि महिला शाखा के सन्दर्भ में ही X क्षेत्र के किसी विद्यालय में किसी विषय विशेष में रिक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस विषय विशेष में X क्षेत्र के विद्यालयों में भी नियुक्ति पर पदस्थापना की जा सकेगी, परन्तु ऐसी स्थिति में प्रथमतः विकलांग अभ्यर्थी को और तत्पश्चात मेरिट क्रम में उच्च वरीयता प्राप्त महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु यह और कि सामान्य अथवा महिला शाखा के किसी विषय विशेष अथवा पद में Y क्षेत्र में पद रिक्त न होने की दशा में Y क्षेत्र में संबंधित विषय/पद पर कार्यरत शिक्षक, जो अनिवार्य स्थानान्तरण की अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों अथवा Y क्षेत्र में सर्वाधिक गुणांक वाले शिक्षकों में से अवरोही क्रम में उनकी सहमति के आधार पर X क्षेत्र में स्थानान्तरित/ समायोजित कर उसने

		पद रिक्त किये जायेंगे, जिन पर प्रथम नियुक्ति पर शिक्षकों की पदस्थापना की जा सकेगी। स्थानान्तरण/समायोजन की निर्धारित समय सारिणी से इतर होने पर स्थानान्तरण समिति, नियम-28 में अपीलीय व्यवस्था हेतु अधिकृत अपीलीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेगी।
8 नियम-8(1) का संशोधन	(1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी: परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक परिशिष्ट 'क' के क्रमांक-1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो : परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/ परित्यक्ता शिक्षिका, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/ पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों	(1) शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापना केवल Y क्षेत्र के D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में ही की जायेगी। परन्तु शिक्षिकाओं को पदोन्नति पर यथा सम्भव D श्रेणी के विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व में Y क्षेत्र के विद्यालयों में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक परिशिष्ट 'क' के क्रमांक-1 के अनुसार 15 अथवा जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए प्राप्त कर लिए हों, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदोन्नत करने की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो । परन्तु यह कि किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु यह और कि विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षकों, विधवा/ परित्यक्ता/ विधुर/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता/पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, को Y क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती की बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते कि X क्षेत्र के विद्यालयों में पद रिक्त हो। लेकिन यदि उपरोक्त स्वेच्छा से Y क्षेत्र के विद्यालयों में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम-22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी। परन्तु यह और कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच०आई०वी० (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय शल्य सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से

	में जाने का विकल्प देते हैं तो पद रिक्ति की दशा में Y क्षेत्र आवंटित किया जा सकेगा। विकलांग तथा गम्भीर रोग की परिभाषा जैसा नियम-22 में वर्णित किया गया है, के अनुसार होगी।	ग्रसित हों, को नियम-22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को भी नियम-22 की शर्तों के अधीन Y क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापना की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु यह और कि किसी विषय विशेष या पद में Y क्षेत्र में स्थित विद्यालय में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की दशा में संबंधित विषय/पद में Y क्षेत्र में सर्वाधिक ठहराव के शिक्षक, जो अनिवार्य स्थानान्तरण की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों, में से अवरोही क्रम में शिक्षक को उनकी स्वेच्छा से X क्षेत्र में स्थानान्तरित कर रिक्त होने वाले पद पर पदोन्नति की जायेगी, परन्तु स्थानान्तरण/समायोजन की निर्धारित समय सारिणी से इतर होने पर स्थानान्तरण समिति, नियम-20 में अपीलीय व्यवस्था हेतु अधिकृत अपीलीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेगी। इसके उपरान्त भी पद रिक्त न होने पर X क्षेत्र में स्थित विद्यालय में पदोन्नति पर पदस्थापना की जा सकेगी। नोट– ऐसे शिक्षक जो विधुर होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, उन्हें यह अनुबन्ध पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया गया है तथा उनके आश्रित बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार)। परन्तु स्थानान्तरण के समय इस श्रेणी के ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे अपेक्षाकृत छोटे हों, को पहले प्राथमिकता दी जायेगी।
10. नियम-10(1)(अ) (ख) (तीन) (छूट का प्राविधान) का संशोधन	नियम-22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/पिता।	नियम-22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/ विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, विधुर(जैसा कि नियम-9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के शिक्षक माता/ पिता। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम-22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य

		स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी।
11. नियम–10(2)(ख) का संशोधन	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत् कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी Y क्षेत्र के विद्यालयों में एक ही स्थान पर तैनाती के इच्छुक हों तो वे केवल Y क्षेत्र में ही एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे;	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक की सेवा में कार्यरत शिक्षक पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।
12. नियम–10(2)(ग) का संशोधन	शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/ विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे;	शिक्षक स्वयं अपनी गम्भीर बीमारी/ विकलांगता नियम 22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एच0आई0वी0 पॉजिटिव), हृदय वाल्व सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को भी नियम–22 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुरोध के आधार पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
13. नियम–10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन– (अनुरोध के आधार)	टिप्पणी– 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चे के शिक्षक माता या पिता मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त बच्चे की 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।	टिप्पणी– 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग अविवाहित बच्चे के शिक्षक माता या पिता, बच्चे की 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।
14. नियम–10(2)(छ) का संशोधन	विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।	विधवा, विधुर(जैसा कि नियम–9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र एवं उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध करने के पात्र होंगे।
15. नियम–10(2)(झ) का संशोधन	Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी विद्यालय में एवं E श्रेणी विद्यालय से केवल F श्रेणी विद्यालय में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।	Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत् शिक्षक, जिसने Y क्षेत्र में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो (स्थानान्तरण वर्ष की 31 मार्च के अनुसार), वे मात्र Y क्षेत्र के E अथवा F श्रेणी के विद्यालयों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

16. नियम–10(2)(छ) के अन्त में टिप्पणी (अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) का संशोधन	टिप्पणी:– (एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। (दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।	टिप्पणी :– (एक) उक्त (क) से (छ) तक के लिए अनुरोध के आधार पर अपने संवर्ग में स्थानान्तरण हेतु X/Y क्षेत्र में न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं होगी। (दो) किसी स्थान विशेष के लिए एक से अधिक आवेदक होने की दशा में Y श्रेणी में अधिक सेवा गुणांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु समान गुणांक होने की दशा में अधिक आयु प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। (तीन) अनुरोध के आधार पर एवं अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में शिक्षक कार्यरत विद्यालय से स्थानान्तरित होने पर तभी कार्यमुक्त होंगे जबकि:– 1–प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय शिक्षक विहीन न हो रहा हो। 2–उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी न हो। (चार) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किसी संवर्ग विशेष में किए गये कुल अनिवार्य स्थानान्तरणों की संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे।
17. नियम–10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात 10(4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तःस्थापन	–	अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो अथवा माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।
18. नियम–11(3)(क) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया) का संशोधन	सर्वप्रथम उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी यदि Y क्षेत्र में एक ही स्थान पर तैनाती हेतु आवेदन करते हैं, तो उन्हें रिक्ति की दशा में ऐसा स्थान स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मी के पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अपने ही संवर्ग में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे;
19. नियम–11(3)(ग) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया)	तत्पश्चात गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान	तत्पश्चात गम्भीर रूप से बीमार शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर उनके द्वारा ऐच्छिक स्थान रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया

का संशोधन	रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा;	जायेगा; परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम–22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को पद रिक्त होने की दशा में अनुरोध के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा;
20. नियम–11(3)(ख) (वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया) का संशोधन	तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी ।	तत्पश्चात् स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों में विधवा, परित्यक्ता, विधुर(जैसा कि नियम–9(1) नोट में वर्णित है)/ भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों /तलाकशुदा परित्यक्ता शिक्षिका को दिये गये विकल्प के अनुसार स्थान, रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में स्थानान्तरण हेतु आवंटित किया जायेगा। विधवा शिक्षिका की स्थिति में एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कम आयु की विधवा शिक्षिका को प्राथमिकता दी जायेगी ।
21. नियम–20 का संशोधन	पति और पत्नी दोनों ही उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हों, और Y क्षेत्र के विद्यालयों हेतु नियमावली में उल्लिखित सेवा गुणांक पूर्ण करते हों तो उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।	राज्य में उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मी के शिक्षक पति अथवा पत्नी, जो X/Y क्षेत्र में कार्यरत है, वे पति/पत्नी के कार्यस्थल के निकट केवल Y क्षेत्र के विद्यालयों में अपने संवर्ग में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे।
22. नियम–22(1) का संशोधन	गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), एक्यूट आर्थराइटिस, ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (A.I.I.M.S.), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (P.G.I.), अन्य अखिल भारतीय मेडिकल संस्थान अथवा राज्य में स्थित समकक्ष चिकित्सा संस्थान	गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, हृदय एन्जियो प्लास्टी, हृदय पेस मेकर, एक किडनी फेल होने पर, दोनों किडनी फेल हो जाने से डायलेसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें) सॉर्स (थर्ड स्टेज), क्रॉनिक आर्थराइटिस विद डिफॉरमिटी विद डिसएबिलिटी एवं ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग हो, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा विगत एक वर्ष के अन्दर प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/ पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैन्सर, एड्स/ एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल

	में उपचाराधीन हो। शिक्षक को संबंधित संस्थान से उक्त रोग का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित शिक्षक अध्यापन करने में सक्षम है। उक्त के अतिरिक्त शिक्षक के उपरोक्त बीमारियों से रोग ग्रस्त होने तथा अन्यत्र चिकित्साधीन होने की दशा में शिक्षक द्वारा फॉरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज हॉस्पिटल हल्द्वानी, राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर अथवा हिमालय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस जौलीग्रान्ट देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का और उसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	(डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग के अन्तर्गत एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हो, को 01 वर्ष पूर्व तक का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु नियमावली में उल्लिखित उक्त बीमारियों/प्रमाण पत्रों पर संशय होने की दशा में 01 वर्ष के अन्दर पुनः परीक्षण किया जा सकेगा। परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उपरोक्त बीमारी/विकलांगता का 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. नियम–22(2) का संशोधन	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत् हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त हो । साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
24. नियम–29(1) (2) का संशोधन	(1) इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट प्रकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें :– (क)महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा (ख) निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) (ग) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (घ) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण)	इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट प्रकरण मे उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के निराकरण एवं ऐसे विशेष आकस्मिक/अप्रत्याशित स्थानान्तरण प्रकरण, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं होते हैं, हेतु प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:– (क) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा (ख) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो) (ग) महानिदेशक, चिकित्सा (घ) निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा)

	(ङ) कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि (अपर सचिव से अन्यून) प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा नामित सदस्य होंगे। (2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसे अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।	(ड) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (ढ) निदेशक (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) (2) यह समिति इस नियमावली के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई अथवा ऐसा अप्रत्याशित विषय, जो नियमावली में सम्मिलित नहीं है, के सम्बन्ध में भी विचार करके अपनी संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। परन्तु किसी संवर्ग विशेष में किए गये कुल स्थानान्तरण के 03 प्रतिशत की सीमा तक ही समिति स्थानान्तरण की संस्तुति करेगी।

आज्ञा से

(डॉ०एम०सी०जोशी)
सचिव

परिशिष्ट 'क'

सम्पूर्ण सेवाकाल के आधार पर X क्षेत्र (A, B, C श्रेणी के कार्यस्थल एवं Y क्षेत्र (D, E, F श्रेणी के कार्यस्थल) में शिक्षक द्वारा की गई सेवा गुणांक

वर्तमान परिशिष्ट 'क'		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट 'क'	
1. X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– C श्रेणी के विद्यालयों में की गई सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = X क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।	1. Y क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– D क्षेत्र में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + F श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना) = योग ÷ 365 = Y क्षेत्र के विद्यालय में की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक।	1. X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– X क्षेत्र में (A, B, C श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक = [C श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + B श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + A श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना)]/365	1. Y क्षेत्र में (D, E, F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि में लिये गये अवैतनिक अवकाश को घटा कर) की गई सेवा की गणना निम्नानुसार की जायेगी:– Y क्षेत्र में (D,E,F श्रेणी के विद्यालयों में की गई कार्य अवधि) की गई सेवा का कुल सेवा गुणांक = [F श्रेणी में की गयी सम्पूर्ण सेवा (दिवसों में) + E श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 1.5 (डेढ़ गुना) + D श्रेणी में की गयी सेवा (दिवसों में) × 2 (दो गुना)]/365
2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:– अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में X क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के X क्षेत्र का सेवा गुणांक – Y क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक।	**2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:–** अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के Y क्षेत्र का सेवा गुणांक – X क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक	**2. X- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण :–** अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में X क्षेत्र मे कार्यरत शिक्षक के X क्षेत्र का सेवा गुणांक – Y क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक – नियमित उपस्थिति के आधार अर्जित सेवा गुणांक [परिशिष्ट–क(1) के अनुसार] – शैक्षिक	**2. Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक का निर्धारण:–** अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सेवा गुणांक = वर्तमान में Y क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक के Y क्षेत्र का सेवा गुणांक + नियमित उपस्थिति के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक [परिशिष्ट–क(1) के अनुसार] + शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक[परिशिष्ट–क(2) के

		सम्प्राप्ति स्तर में सुधार के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक (परिशिष्ट–क(2) के अनुसार)	अनुसार) – X क्षेत्र में की गयी सेवा का सेवा गुणांक
3. X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक: 12 अथवा नियमावली के नियम 10के उपनियम (1) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	**3. Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक :** 12 अथवा नियमावली के नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	**3. X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक :** 12 अथवा नियमावली के नियम 10(1)(अ)(क) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक।	**3. Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम पात्रता सेवा गुणांक:** 12 अथवा नियमावली के नियम 10(1)(आ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित गुणांक ।

आज्ञा से,

(डॉ0एम0सी0जोशी)

सचिव।

परिशिष्ट–क के बाद परिशिष्ट क (1) का अन्तस्थापन

परिशिष्ट "क" (1)

विगत तीन शैक्षिक सत्रों में शिक्षक की नियमित उपस्थिति के आधार पर अर्जित सेवा गुणांक

शैक्षिक सत्र	शैक्षिक सत्र में औसत उपस्थिति का प्रतिशत	प्राप्त सेवा गुणांक 1. 90 % या उससे अधिक पर = 1 2. 85 % से अधिक किन्तु 90 % से कम = .75 3. 80 % से अधिक किन्तु 85 से कम = .5 4. 80 % से कम = 0
तीनों शैक्षिक सत्रों का योग :–		

शैक्षिक सत्र में औसत उपस्थिति का प्रतिशत	=	सत्र में कुल उपस्थिति + सत्र में शासकीय कार्यदिवस / शैक्षिक सत्र में कुल कार्य दिवस	X 100

परिशिष्ट–क(1) के बाद परिशिष्ट क (2) का अन्तस्थापन

परिशिष्ट क (2)

विगत तीन शैक्षिक सत्र में शैक्षिक सुधार के आधार पर प्राप्त सेवा गुणांक

(निम्नवत् A,B,C में से जो लागू हो)

A परिषदीय परीक्षा परिणाम के आधार पर

शैक्षिक सत्र	स्व विषय में कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	परिषद के औसत परीक्षाफल से अधिक होने पर प्रतिवर्ष हेतु = .3 गुणांक	परिषदीय परीक्षा में 60 से 74 अंक/% अर्जित करने वाले छात्रों का प्रतिशत x .008	परिषदीय परीक्षा में 75 या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों का प्रतिशत x .012	शैक्षिक सत्र में प्राप्त कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

B गृह परीक्षा में शिक्षक के स्वविषय में परिणाम के आधार पर

माध्यमिक शिक्षकों (जो परिषदीय परीक्षाओं में अध्यापन न कर रहे हों) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु

शैक्षिक सत्र	विषय	गृह परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .015	गृह परीक्षा में 60 से 74 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .01	गृह परीक्षा में 50–59 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं का % x .005	शैक्षिक सत्र में कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

C राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सम्प्रति के आधार पर

शैक्षिक सम्प्रति का आधार L.L.A. होगा, किन्तु जिन शैक्षिक सत्रों में L.L.A. के परिणाम उपलब्ध नहीं होंगे उनमें CCE के आधार पर छात्रों के सम्प्राति स्तर पर के आधार पर गुणांकों का निर्धारण किया जायेगा।

ग्रेड A = LLA/CCE में 85 % या उससे अधिक सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा
ग्रेड B = LLA/CCE में 75 % से अधिक किन्तु 85 % से कम सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा
ग्रेड C = LLA/CCE में 60 % से अधिक किन्तु 75 % से कम सम्प्राति स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा

शैक्षिक सत्र	छात्र संख्या जिनका अध्यापन के उपरान्त शिक्षक द्वारा LLA/ CCE किया गया	LLA/ CCE में ग्रेड A प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .015	LLA/ CCE में ग्रेड B प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .01	LLA/ CCE में ग्रेड C प्राप्त करने वाले छात्रों का % x .005	शैक्षिक सत्र में कुल गुणांक (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
				तीनों शैक्षिक सत्रों का कुल योग =	

विद्यालय स्तर से सूचनायें संकलित करने हेतु प्रपत्र

शिक्षक का नाम ________ पद नाम________ विद्यालय ______________

परिशिष्ट क–1 के अनुसार

विद्यालय में नियमित उपस्थिति का विवरण

शैक्षिक सत्र	सत्र में कुल संचालित कार्य दिवस	सत्र में शिक्षक की विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति	निर्वाचन/प्रशिक्षण विभागीय स्तर के अकादमिक कोर्सो में शासकीय निर्देश के उपरान्त प्रतिभागिता (दिवस)	योग (3+4)	शैक्षिक सत्र में कुल कार्य दिवस
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर शिक्षक

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

मुहर :-

परिशिष्ट क–2 के अनुसार

शैक्षिक सम्प्राप्ति में उत्कृष्ट योगदान का विवरण निम्नवत A,B,C में से कोइ एक जो लागू हो।

A–बोर्ड परीक्षा

शैक्षिक सत्र	अध्यापित स्वविषयक	हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	परिषदीय परीक्षा में 60 से 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	परिषदीय परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र
1	2	3	4	5	6	7

B–गृहपरीक्षा

ऐसे माध्यमिक शिक्षक, जो बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं वे स्वविषय में गृह परीक्षा का विवरण भरेंगे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भी निम्नवत् प्रारूप पर अंकना करेंगे।

शैक्षिक सत्र	स्तर उच्च प्राथमिक/ हाईस्कूल/इण्टर	विषय	सम्मिलित छात्र	50 से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	60 से 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र	75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र
1	2	3	4	5	6	7

C–प्राथमिक स्तर हेतु

शैक्षिक सत्र	छात्र संख्या जिनके अध्यापन के पश्चात् शिक्षक द्वारा LLA/ CCE किया गया	ग्रेड A अर्थात् 85 % अधिक सम्प्राप्ति वाले छात्रों की संख्या	75 % से 85 % तक छात्र नामांकन में सुधार	60 % से 75 % वर्षवार नामांकन में वृद्धि
1	2	3	4	5

ह0शिक्षक

ह0 प्रधानाचार्य/प्र0अध्यापक

प्रतिहस्ताक्षरित खण्ड शिक्षा अधिकारी

मानक: 11 रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी **अधिकतम गुणांक : 9**

(B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन : देहरादून,ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर, C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन: कोटद्वार, रामनगर, खटीमा, काठगोदाम, टनकपुर, लक्सर)

क्र0सं0	मानक: रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी	गुणांक
1	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 15 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 5 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	9
2	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 16 किमी से 25 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 6 किमी से 20 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	8
3	B- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 26 किमी से 50 किमी की दूरी अथवा C- श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 21 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	7
4	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 51 किमी0 से 80 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	6
5	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 81 किमी0 से 110 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	5
6	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 111 किमी0 से 140 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	4
7	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 141 किमी0 से 180 किमी0 की दूरी तक के कार्यस्थल	3
8	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 181 किमी0 से	2

	220 किमी० की दूरी तक के कार्यस्थल	
9	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 221 किमी० से 260 किमी० की दूरी तक के कार्यस्थल	1
10	B- श्रेणी अथवा C–श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 260 किमी० से अधिक की दूरी तक के कार्यस्थल	0

आज्ञा से,

(डॉ०एम०सी०जोशी)
सचिव।

संख्या-124 /XXIV(1)2014-45/2008T.C.III

प्रेषक,

एस0 राजू
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा (बेसिक शिक्षा अनुभाग-1) देहरादून: दिनांक 03 मार्च, 2015

विषय:-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एस्कार्ट/परिवहन व्यवस्था हेतु बस्तियों को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सँ0-रा0प0का0/276/07ST/ 2014-15 दिनांक 23-05-2014, पत्र सँ0-रा0प0का0/514/07ST/2014-15 दिनांक 25-6-2014 एवं पत्र सँ0-रा0प0का0/2096/ ST/T.E./2014-15 दिनांक 02-02-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप जनपदवार चिन्हित बस्तियों को एस्कार्ट/परिवहन सुविधा हेतु अधिसूचित करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या-261/XXIV(1)/2013-452008 T.C.III दिनांक 22.02.2013 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत असेवित/सेवित बस्तियों को अधिसूचित किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानकों (प्राथमिक विद्यालयों हेतु 01 किमी0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 03 किमी0) के अन्तर्गत अधिक दूरी तय करने हेतु प्राथमिक स्तर पर 582 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 369 बस्तियां अनाच्छादित घोषित है। अतः संलग्न सूची में वर्णित उक्त कुल 951 (582 +369) अनाच्छादित बस्तियों मे निवासरत बच्चों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दरों पर एस्कोर्ट/परिवहन सुविधा अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- एस्कार्ट/परिवहन व्यवस्था हेतु भुगतान स्कूल प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) के माध्यम से किया जायेगा। जिस विद्यालय में ऐसे बच्चों का नामांकन किया गया है उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक इस श्रेणी के बच्चों का ब्यौरा रखेगें। एस्कार्ट/परिवहन सुविधा प्राप्त बच्चों की नियमति उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति/सेवित विद्यालय का प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त (सूची)

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2—प्रमुख सचिव/वित्त नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4—निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5—निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6—अपर निदेशक (शिक्षा), गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7—समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अ0जि0शि0 अधिकारी(बेसिक/माध्यमिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से)
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।